48

आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क का उद्ग्रहण

वित्त मंत्रालय

लोक लेखा समिति

(2021-22)

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

सत्रहवीं लोक सभा

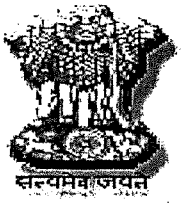

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

पीएसी सं. 2276

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति

(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क का उद्ग्रहण

वित्त मंत्रालय

05/04/2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

05/04/2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022 / चैत्र, 1944 (शक)

विषय-सूची

पृष्ठ

लोक लेखा समिति (2021-22) की संरचना (iii)

लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति- चार (वित्त) की संरचना (iv)

प्राक्कथन (v)

प्रतिवेदन

भाग –एक

एक. प्रस्तावना 1

दो. व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) 1

तीन. एडीडी उद्ग्रहण में प्रणाली आधारित निर्धारणों में कमी 15

चार. एडीडी अधिसूचना की वैधता की समाप्ति के बावजूद एडीडी का उद्ग्रहण 18

पाँच. एडीडी अधिसूचनाओं की शर्तों का अननुपालन

छह. उद्गम देश की शर्तों के उल्लंघन में एडीडी का अनुद्ग्रहण 83

सात. उत्पाद विशिष्ट शर्तों के उल्लंघन के आधार पर एडीडी का अनुद्ग्रहण

आठ. एडीडी की गलत गणना 105

नौ. अनंतिम निर्धारण का गलत सहारा 108

भाग –दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

परिशिष्ट

* एक. लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति - चार (वित्त) की 08.09.2021 को हुई पहली बैठक का कार्यवाही सारांश।

* दो. लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति - चार (वित्त) की 28.09.2021 को हुई तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश।

* तीन. लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति - चार (वित्त) की 06.10.2021 को हुई चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश।

* चार. लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति - चार (वित्त) की 03.03.2022 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

* पाँच. लोक लेखा समिति (2021-22) की 28.03.2022 को हुई ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

* संलग्न नहीं है

लोक लेखा समिति (2021-22) की संरचना

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री टी.आर. बालू
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. श्री सुधीर गुप्ता
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री जगदम्बिका पाल
7. श्री विष्णु दयाल राम
8. श्री प्रताप चंद्र षडंगी
9. श्री राहुल रमेश शेवाले
10. श्री जी. एम. सिद्देश्वर
11. श्री राजीव रंजन सिंह `ललन`
12. डॉ. सत्यपाल सिंह
13. श्री जयंत सिन्हा
14. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
15. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

16. श्री शक्तिसिंह गोहिल
17. श्री भुबनेश्वर कालिता
18. डॉ. सी.एम. रमेश
19. श्री सुखेन्दु शेखर राय
20. डॉ. एम. थंबीदुरई
21. श्री वि. विजयसाई रेड्डी #
22. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ##

सचिवालय

1. श्री टी. जी. चन्द्रशेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री तीर्थंकर दास - निदेशक
3. श्रीमती भारती एस. टुटेजा - अपर निदेशक
4. श्री गिरधारी लाल - उप सचिव
5. सुश्री प्रज्ञा नामा - सहायक समिति अधिकारी

---

*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 29.07.2021 से निर्वाचित।

**श्री अजय मिश्र टेनी, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 29.07.2021 से निर्वाचित।

श्री राजीव चन्द्रशेखर, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 09.08.2021 से निर्वाचित।

श्री भूपेन्द्र यादव, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 09.08.2021 से निर्वाचित।

लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति - चार (वित्त) की संरचना

1. श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति
2. श्री भर्तृहरि महताब - संयोजक
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया - सदस्य
4. डॉ. सी.एम. रमेश - सदस्य
5. डॉ. एम. थंबीदुरई - सदस्य
6. श्री वि. विजयसाई रेड्डी - सदस्य

प्राक्कथन

मैं, लोक लेखा समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, उनकी ओर से वित्त मंत्रालय से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन सं. 17 के अध्याय-तीन पर आधारित "आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क का उद्ग्रहण" विषय संबंधी यह अड़तालीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

2. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन सं. 17 को 03.02.2020 को सभा पटल पर रखा गया था।

3. लोक लेखा समिति (2021-22) ने उपर्युक्त विषय का चयन किया और उप-समिति-चार (वित्त) को इसे जांच करने और प्रतिवेदन तैयार करने हेतु सौंपा।

4. लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति-चार (वित्त) को दिनांक 08.09.2021 को लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी प्रदान की गई। तत्पश्चात, उप-समिति ने उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 28.09.2021 और 06.10.2021 को क्रमशः वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन व्यापार उपचार महानिदेशालय तथा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

5. लोक लेखा समिति की उप-समिति-चार (वित्त) ने दिनांक 03.03.2022 को हुई अपनी बैठक में उपर्युक्त विषय से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदन पर पहले विचार किया और इसे स्वीकृत किया। तत्पश्चात, प्रारूप प्रतिवेदन को मुख्य समिति के समक्ष विचारार्थ और स्वीकार करने हेतु रखा गया। समिति ने दिनांक 28.03.2022 को हुई अपनी बैठक में इसे स्वीकार किया। बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रतिवेदन में संलग्न हैं।

6. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है और ये प्रतिवेदन का भाग - दो हैं।

7. समिति, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन व्यापार उपचार महानिदेशालय तथा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों द्वारा समिति के समक्ष साक्ष्य देने और विषय की जांच के संबंध में उप-समिति-चार (वित्त) को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उनको धन्यवाद देती है।

8. समिति, इस मामले में समिति सचिवालय और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा उनको दी गई सहायता की भी सराहना करती है।

नई दिल्ली;
31 मार्च, 2022
10 चैत्र, 1944 (शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति

(iv)

प्रतिवेदन

भाग-एक

प्रस्तावना

मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2019 के प्रतिवेदन सं. 17 में वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग - सीमा शुल्क तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन महानिदेशक विदेश व्यापार की अनुपालन लेखापरीक्षा लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

2. लोक लेखा समिति (2021-2022) ने उपर्युक्त प्रतिवेदन के अध्याय-तीन की जांच करने का निर्णय लिया जो "आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क (एडीडी) के उद्ग्रहण" के बारे में है और उसे अपनी उप-समितियों में से एक अर्थात उप-समिति-चार (वित्त) को जांच करने हेतु सौंपा।

3. इस अध्याय में एंटी-डंपिंग शुल्क से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में अनेक पैरा शामिल हैं। इस अध्याय के पैरा 3.5.1 में, लेखापरीक्षा ने पाया कि आईसीईएस में सीमा शुल्क जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) आधारित मंजूरी के अंतर्गत प्रणाली के द्वारा एंट्री आयात बिलों को मंजूरी दी गई थी। यह भी पाया गया था कि जांच की गई काफी एंट्री बिलों के अंतर्गत प्रभावित आयातों में, आरएमएस, एडीडी की विशिष्ट परिस्थितियों को जानने में असमर्थ था। इसके अलावा, पैरा 3.5.2 से 3.5.7 में लेखा परीक्षा ने उद्ग्रहण से बचने की और एंटी-डंपिंग शर्तों की अननुपालना की कई घटनाएं देखीं जिसके परिणामस्वरूप 86.69 करोड़ रू. की एंटी-डंपिंग ड्यूटी राशि का गैर/कम उद्ग्रहण किया गया था।

4. उप-समिति ने इस विषय के संबंध में क्रमशः 28 सितम्बर, 2021 और 6 अक्तूबर, 2021 को हुई अपनी बैठकों में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन महानिदेशक विदेश व्यापार और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)

5. भारत में एंटी डंपिंग उपायों को वाणिज्य और उद्यम मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में कार्यशील व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर), (पूर्व में एंटी डंपिंग और संबंधित शुल्क महानिदेशालय) द्वारा शासित किया जाता है। उनका कार्य एंटी डंपिंग शुल्क जांच करना और एंटी-डंपिंग उपायों हेतु सरकार को सिफारिश करना है। इस प्रकार के शुल्क अंततः वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना के द्वारा ही लगाए/उद्ग्रहीत किए जाते हैं। इस प्रकार, प्रकार, वाणिज्य विभाग एंटी-डंपिंग शुल्क (एडीडी) की सिफारिश करता है, जबकि वित्त मंत्रालय ऐसे शुल्क उद्ग्रहीत करता है।

6. निदेशालय की भूमिका के बारे में आगे स्पष्ट करते हुये, डीजीटीआर के प्रतिनिधि ने साक्ष्य साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:

> ".....डीजीटीआर एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है जो वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। जैसा कि अपर सचिव ने उल्लेख किया, महोदय, पहले हमारे यहाँ एक एंटी-डंपिंग निदेशालय था जिसे डीजीएडी कहा जाता था और हमारे यहाँ एक अलग निदेशालय था जिसे रक्षोपाय महानिदेशालय कहा जाता था और सभी को एक साथ मिला दिया गया और वर्ष 2018 में एक प्रबंधन अर्थात डीजीटीआर के अंतर्गत लाया गया था। जैसा कि अपर सचिव ने बताया, हम मूल रूप से तीन प्रकार की जांच करते हैं। पहली जांच एंटी-डंपिंग के मामले में, दूसरी सब्सिडी के मामले में और तीसरी रक्षोपायों के मामले में और जब हम प्रस्तुति के साथ आगे बढ़ेंगे तो मैं उन सभी को विस्तार से बताऊंगा। हमने एक नया विंग भी बनाया है जिसे ट्रेड डिफेंस विंग कहा जाता है। इस विंग का उद्देश्य हमारे उन निर्यातकों को सहायता प्रदान करना है जिन्हें विदेशों में व्यापार उपचार संबंधी कारवाई का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार, हम निदेशालय में यह सहायता प्रदान करते हैं।....."

7. प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि अपवंचन नामक एक नए तथ्य के बारे में पता चला है, जो मूल रूप से तब किया जाता है जब कोई वस्तु किसी तीसरे देश के माध्यम से भारत में भेजी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि निदेशालय अपवंचन-रोधी उपाय करने के लिए ऐसे मामलों की जांच भी करता है।

8. घरेलू उद्योग की रक्षा करने हेतु व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) को सौंपी गई भूमिका के संबंध में, डीजीटीआर ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"व्यापार उपचारात्मक उपाय विश्व व्यापार संगठन के कार्यढांचे के अंतर्गत सदस्य देशों देशों को उनके घरेलू उद्योग को अनुचित व्यापार परिपाटियों और आयात में अप्रत्याशित वृद्धि से बचाने के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रमुख साधन हैं। डीजीटीआर भारत में व्यापक और तेज व्यापार रक्षा तंत्र प्रदान करने के लिए एक एकीकृत एजेंसी है। डीजीटीआर का मिशन प्रभावी व्यापार उपचारात्मक उपायों जैसे व्यापक पाटनरोधी, सब्सिडीरोधी और प्रवंचनारोधी जांचों और रक्षोपायों का प्रयोग करके किसी भी निर्यातक देश से अनुचित व्यापार परिपाटियों यथा पाटन, कार्रवाई योग्य सब्सिडियों, प्रवंचना आदि के प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध घरेलू उद्योग को एक उचित व्यापारिक मंच प्रदान करना है।"

9. डीजीटीआर द्वारा एंटी-डंपिंग शुल्क (एडीडी) के निर्धारण और सिफ़ारिश किए जाने से पूर्व पूर्व मापदंडों के बारे में पूछे जाने पर, डीओसी ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

" अधिनियम और नियमावली के अनुसार विश्लेषण के तत्य निम्नलिखित हैं:

- पाटन (डम्पिंग) की मौजूदगी, अर्थात निर्यातक भारत को संबद्ध सामान का निर्यात उसके घरेलू बाजार में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर अर्थात उसके अपने देश के घरेलू बाजार में प्रचलित कीमत से कम कीमत पर निर्यात करता है।
- घरेलू उद्योग को क्षति की मौजूदगी।
- पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति अर्थात तथाकथित पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क घरेलू उद्योग को क्षति के कारण हैं।"

10. जब समिति ने डीजीटीआर द्वारा किए गए एंटी-डंपिंग शुल्क जांच के पूरा होने में लगने वाले औसत समय के बारे में जानना चाहा, तो डीजीटीआर ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"जांच पूरी करने में लगने वाले औसत समय में काफी कमी आई है। किसी जांच पूरी करने और अंतिम निष्कर्ष जारी करने में लगा औसत समय 2018-19 के दौरान 281 दिनों से कम होकर 2019-20 में 230 दिन हो गया है जोकि पिछले वर्षों में 400 दिनों से अधिक था। तथापि, मौजूदा कोविड-19 महामारी और भौतिक आवागमन पर

लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, वर्ष 2020-21 में अंतिम निष्कर्ष जारी करने का औसत समय लगभग 305 दिन है।"

11. प्रमुख उत्पाद श्रेणियों, जो आम तौर पर एडीडी के अंतर्गत आते हैं, के बारे में पूछे जाने पर डीओसी ने निम्नवत उत्तर दिया:

"प्रमुख उत्पाद श्रेणियां इस प्रकार हैं:

(एक) रासायनिक और संबद्ध उद्योगों के उत्पाद

(दो) क्षार धातु और सामग्री

(तीन) स्टोन, प्लास्टर, सिरेमिक उत्पाद; कांच की सामग्री,

(चार) टैक्स्टाइल और आर्टिकल्स

(पाँच) मशीनरी और बिजली के उपकरण।

12. यह पूछे जाने पर कि क्या एडीडी के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की समय-समय पर कोई समीक्षा की जाती है, डीओसी ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत उत्तर दिया:

"शुल्क की अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय डंपिंग रोधी शुल्क की समीक्षा की जा सकती है। उपाय की समाप्ति से पूर्व, डीजीटीआर अपनी पहल पर या किसी इच्छुक पार्टी के अनुरोध के परिणामस्वरूप एक निर्णायक समीक्षा शुरू कर सकता है। ऐसी समीक्षा के परिणाम आने तक, जो एक वर्ष से अधिक न हो, एंटी-डम्पिंग शुल्क प्रभावी बना रह सकता है। हालांकि, समीक्षा में केंद्र सरकार की यह राय है कि शुल्क की समाप्ति से डंपिंग और हानि के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है, तो वह समय-समय पर पर इस तरह के अधिरोपण की अवधि को विस्तार के आदेश की तिथि से प्रारंभ होकर अधिकतम पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। घरेलू उद्योग को इसकी समाप्ति की तारीख से कम से कम 270 दिन पहले (या उपाय की समाप्ति की तारीख से 240 दिन पहले, देरी के औचित्य के साथ) एक एंटी-डंपिंग उपाय के लिए विस्तार की मांग करने के लिए एक याचिका दायर करनी चाहिए। याचिका की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर आरंभ होने या अस्वीकृति का आदेश आम तौर पर जारी किया जाता है। निर्णायक समीक्षा स्वप्रेरणा से शुरू की जा सकती है। तथापि, ऐसे मामले बहुत अधिक नहीं हैं क्योंकि घरेलू उद्योग की याचिका के बिना, कथित

कथित पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को स्थापित करने के लिए लिए पर्याप्त आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।"

13. बेरियम कार्बोनेट पर एडीडी को हटाने के संबंध में एक विशिष्ट प्रश्न तथा क्या इसे हटाने से पहले हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखा गया था, के संबंध में दिनांक 06.10.2021 को लिए गए मौखिक साक्ष्य में डीओआर के प्रतिनिधि ने निम्नवत उत्तर दिया: दिया:

"बेरियम कार्बोनेट से संबंधित आपके प्रश्न पर, हमें डीजीटीआर से निष्कर्ष प्राप्त प्राप्त हुए थे। उन्होंने निष्कर्ष की सावधि समीक्षा की। लेवी पांच साल के लिए थी। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, पांच वर्षों के अंत में, डीजीटीआर द्वारा एक सावधि समीक्षा का प्रावधान है। जब वे निर्णायक समीक्षा करते हैं, तो यह लगभग मूल जांच जैसी ही होती है। उन्हें सभी इच्छुक पार्टियों, घरेलू उद्योग और आयातकों से फीडबैक मिलता है। उसी के आधार पर वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वे आयात के आंकड़ों को भी देखते हैं कि क्या डंपिंग हो रही है या क्या कोई क्षति हुई है। इसलिए, मूल जांच के समय उन्होंने जिस प्रश्न का उत्तर दिया था, सावधि समीक्षा के दौरान उन्होने उन्होने इसका अवलोकन किया था।

अब, बेरियम कार्बोनेट के मामले में, जांच की अवधि के दौरान, जिसे डीजीटीआर ने देखा, चार या पांच संकेतक थे, जिसके आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शुल्क को पांच साल पूरे होने पर समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए, पहले पहले उन्होंने यह पाया कि जांच की अवधि के दौरान आयात लगभग शून्य या नगण्य था। कीमत में कोई कटौती नहीं हुई थी जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एक एक महत्वपूर्ण संकेतक है। वे इस निष्कर्ष पर भी आए कि आयात के कारण कोई क्षति नहीं हुई थी। आम तौर पर होता है कि हम यह भी देखते हैं कि क्या ड्यूटी हटा दिए जाने पर क्षति होने का खतरा है। जब वे इस पर विचार करते हैं तो उन कारकों में से एक यह है कि क्या निर्यातक देश में अतिरिक्त क्षमता है, क्योंकि यदि क्षमता अधिक है और हम एंटी डोपिंग शुल्क हटाते हैं, भले ही अभी कोई क्षति नहीं हुई है, इस बात की संभावना है कि देश में उत्पाद को डंप करने के लिए अतिरिक्त क्षमता का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने यह भी पाया कि चीन के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं थी। महोदय, जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने इस मामले में हितधारकों की राय ली थी और घरेलू उद्योग ने भी इसका विरोध नहीं किया था, और इसीलिए पांच

साल पूरे होने पर दिनांक 24 अगस्त, 2021 को हमने एंटी डोपिंग शुल्क को हटाने की सिफारिश की थी।"

14. आगे, पीड़ित पक्ष द्वारा दायर याचिका के बिना स्व-प्रेरणा से पाटनरोधी शुल्क जांच से से संबंधित प्रावधान के बारे में डीजीटीआर की वैबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में, डीजीटीआर ने कहा कि:

"आम तौर पर, निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग से प्राप्त एक याचिका के आधार पर डंपिंग रोधी कार्रवाई के लिए कार्यवाही शुरू करता है, जिसमें कुछ सामानों की डंपिंग और इस तरह के डंपिंग से हुई क्षति का आरोप लगाया गया है। तथापि, पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(4) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 1962 के तहत नियुक्त सीमा शुल्क कलेक्टर या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना के के आधार पर डंपिंग रोधी कार्यवाही शुरू करने का प्रावधान है। ऐसी परिस्थितियों में, प्राधिकारी इस संबंध में दायर की गई किसी शिकायत/याचिका के बिना स्वयं ही पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं, बशर्ते प्राधिकारी संतुष्ट हो कि पाटित आयातों और कथित क्षति के बीच डम्पिंग क्षति और कैजुअल लिंक के अस्तित्व के संबंध में पर्याप्त पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जांच शुरू करने के बाद, स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच में उसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है जैसा कि डंपिंग रोधी नियमों में उल्लिखित याचिका में है।"

15. जब समिति ने निदेशालय में राजस्व की कुल हानि या शुल्क न लगाने के कारण हुई क्षति का पता लगाने के लिए किसी निर्धारण प्रणाली के अस्तित्व के बारे में जानना चाहा, वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने दिनांक 29.09.2021 को हुए मौखिक साक्ष्य में निम्नवत कहा:

"नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हमारे पास ऐसा करने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि एक बार हम अपनी सिफारिश भेज दें क्योंकि यह सीमा शुल्क के डोमेन के अंतर्गत है। अपने आइसगेट के माध्यम से, वे ड्यूटी जमा करते हैं। हमारी उस डेटा तक पहुंच नहीं है।"

16. यह पूछे जाने पर कि क्या राजस्व विभाग के परामर्श और समन्वय से वाणिज्य विभाग द्वारा एडीडी की सिफारिशें की गई हैं, दिनांक 29.09.2021 को हुए मौखिक साक्ष्य के दौरान डीजीटीआर ने निम्नवत उत्तर दिया:

"नहीं, शुल्क का संग्रह राजस्व विभाग के डोमेन के अंतर्गत है।"

17. डीजीटीआर द्वारा की गई सिफारिशों की स्वीकृति की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, पर, वाणिज्य विभाग ने दिनांक 29.09.2021 को हुए मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नवत कहा:

> "महोदय, यदि मैं पिछले वर्षों के आंकड़े देता हूं, तो हम जो भी सिफारिश करते थे उसे लगभग 99.9 प्रतिशत मामलों में स्वीकार किया जाता था। हाल ही में हमने एक विश्लेषण किया था। विश्लेषण में यह संख्या लगभग 60 प्रतिशत पर आ गई है। इसलिए हमने उनके साथ एक बैठक भी की ताकि उनके दृष्टिकोण को समझा जा सके कि वे क्या चाहते हैं और हम क्या काम नहीं कर रहे हैं।"

18. पिछले दो वर्षों 2019-20 और 2020-21 के दौरान राजस्व विभाग द्वारा अस्वीकृत की की गई सिफारिशों की संख्या के संबंध में, डीजीटीआर ने अपने लिखित उत्तर में इन सिफारिशों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

> "कुछ सिफारिशों को, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, वित्त मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा डीजीटीआर की सिफारिशों को स्वीकार न करने के के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है।"

डंपिंग रोधी शुल्क लगाने के लिए डीजीटीआर की सिफारिशें जिसे राजस्व विभाग ने खारिज कर दिया है।

सारांश				
वर्ष	समग्र सकारात्मक सिफ़ारिशें (पीएफ़)	स्वीकृत सिफ़ारिशें	अस्वीकृत सिफ़ारिशें	लंबित सिफ़ारिशें
2019-20	61	28	33	0
2020-21	33	5	5	23

क्रम सं	उत्पाद	देश	अंतिम निष्कर्ष (एफ़एफ़)/अनंतिम निष्कर्ष(पीएफ़)	अस्वीकृति की तिथि
1	नायलान मल्टी फिलामेंट यार्न	चाइना पीआर, कोरिया आरपी, ताइवान, थाईलैंड	अंतिम निष्कर्ष	04-मार्च-20
2	पोलीस्ट्रीन	ईरान, मलेशिया, सिंगापुर, चाइनीज, ताइपेई, यूएई और यूएसए	अंतिम निष्कर्ष	12-जून-20
3	कोटेड/प्लेटेड टिन मिल फ्लैट रोल्ड स्टील प्रोडक्ट	यूरोपियन संघ, जापान, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका और कोरिया आरपी	अंतिम निष्कर्ष	17-जून-20
4	पोलिथिनाइल टेराफथैलेट	चाइना पीआर	अनंतिम निष्कर्ष	05-अगस्त-20
5	डिफ़ाइमेथिल फोरमामीड़े फोरमामाइड (डीएमएफ़)	चाइना पीआर और सऊदी अरब	अनंतिम निष्कर्ष	18-अगस्त-20
6	फेनाल	थाईलैंड और यूएसए	अनंतिम निष्कर्ष	20-अगस्त-20
7	सोडा ऐश	तुर्की और यूएसए	अनंतिम निष्कर्ष	21-अगस्त-20
8	कोलीन क्लोराइड	चाइना पीआर, ईयू, मलेशिया, वियतनाम	अंतिम निष्कर्ष	25-अगस्त-20
9	एक्रिलिक फाइबर	थाईलैंड	अंतिम निष्कर्ष	31-अगस्त-20
10	एक्रिलिक फाइबर	बेलारूस, ईयू, पेरु, यूक्रेन	अंतिम निष्कर्ष	01-सितंबर-20
11	डीपीपी रेड	चाइना पीआर,	अंतिम निष्कर्ष	08-सितंबर-20
12	हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स स्टैनलैस स्टील- 304 ग्रेड	चाइना पीआर, कोरिया आरपी, मलेशिया	अंतिम निष्कर्ष	29-सितंबर-20
13	एसीटोन	कोरिया, ताईवान और	अंतिम निष्कर्ष	29-सितंबर-20

		सऊदी अरब		
14	एनटीसीएफ़	चाइना पीआर	अंतिम निष्कर्ष	29-अक्टूबर-20
15	सर्टेन रबर कैमिकल्स पी X 13	चाइना पीआर, यूएसए और कोरिया	अनंतिम निष्कर्ष	11-नवंबर-20
16	आल फुल्ली ड्रान यार्न	चाइना पीआर और थाईलैंड	अंतिम निष्कर्ष	24-नवंबर-20
17	एक्रिलोनिट्राइल बुटाडीन रबर (एनबीआर)	कोरिया आरपी	अंतिम निष्कर्ष	24-नवंबर-20

19. डीजीटीआर द्वारा की गई सिफारिशों के परिणामस्वरूप आयात पर किए गए एडीडी संग्रह की सीमा का पता लगाने के लिए की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में एक विशिष्ट प्रश्न के संबंध में, डीजीटीआर ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत उल्लेख किया:

> "चूंकि डीजीटीआर केवल एंटी-डम्पिंग शुल्क की सिफ़ारिश करता है और इस प्रकार के शुल्क का अधिरोपण और संग्रह केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है, शुल्क लगाने के बाद आयात पर एडीडी संग्रह के बारे में डीजीटीआर के पास कोई जानकारी नहीं है।"

20. जब समिति ने पूछा कि क्या डीजीटीआर को लेवी से बचने और एंटी-डंपिंग उपायों की शर्तों का अनुपालन न करने, जो लागू थे, के कई उदाहरणों के बारे में लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बारे में पता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि ने दिनांक 29.09.2021 को हुए मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:

> "जी नहीं, महोदय।"

दो पैरा संख्या 3.5.1: एडीडी उद्ग्रहण में प्रणाली आधारित निर्धारणों में कमी।

21. लेखापरीक्षा के अनुसार, सीमा शुल्क और किसी भी अन्य शुल्कों और अधिभारों का भुगतान स्व-घोषणा के आधार पर किया जाता है। आयातक द्वारा आयातित माल का विवरण विवरण प्रदान करने वाला बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने के बाद, भारतीय सीमा शुल्क

ईडीआई प्रणाली या आईसीईएस द्वारा माल का मूल्यांकन किया जाता है। भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली या आईसीईएस लेनदेन की पहचान करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली, (आरएमएस) का उपयोग करता है जिसके लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त जांच की आवश्यकता होती है।

22. इस संबंध में, जब आरएमएस द्वारा किसी लेनदेन, जिसके लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त जांच की आवश्यकता है, को चिह्नित/पहचानने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाले मापदंडों के बारे में पूछा गया, तो मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:

> आरएमएस कई गतिशील जोखिम-मूल्यांकन मानदंडों/पैरामीटरों के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए बिल ऑफ एंट्री/सीमा शुल्क घोषणा की पहचान करने और ध्वजांकित करने के लिए एक बहु-स्तरित दृष्टिकोण का उपयोग करता है जिसमें जोखिम भरी संस्थाएं, जोखिम भरी वस्तुएं, मूल देश, सीटीएच/ सीटीआई और एडीडी अधिसूचना शामिल हैं। यह एडीडी से संबंधित सहित जोखिम भरे लेन-देन को पहचानने और ध्वजांकित करने के लिए कई प्रकार के उपकरणों (जैसे, नियम-आधारित और जोखिम-आधारित), साथ ही मशीन लर्निंग सहित आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करता है। इन मापदंडों और मानदंडों की लगातार समीक्षा की जाती है और इन्हें परिष्कृत/अद्यतन किया जाता है।

23. यह पूछे जाने पर कि क्या कर्तव्यों से बचने के लिए आईसीईएस में व्यापार नियमों के नियमित अद्यतन को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार कहा:-

> "जी हाँ, एक तंत्र है। आईसीईएस एक लेनदेन संबंधी मंच है जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर डिजाइन किया गया है जो एक्जिम कार्गो की निकासी के लिए बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के लिए व्यावसायिक नियम हैं। पूर्वोक्त नियमों और विनियमों में किसी भी परिवर्तन जिसका एक्जिम कार्गो के प्रसंस्करण पर प्रभाव पड़ता है, को विधिवत अद्यतन किया जाता है। उदाहरण के लिए, लिए, अधिसूचनाएं निर्देशिका प्रबंधन साइट (डीएमएस) में दर्ज की जाती हैं और जारी होने के तुरंत बाद इनकी पीयर रिव्यू साइट (पीआरएस) द्वारा समीक्षा की जाती है। टैरिफ हेडिंग, ड्रॉबैक रेट आदि में कोई भी संशोधन इसी तरह अपडेट किया जाता है।

वार्षिक बजट के बाद, बजटीय परिवर्तनों को समय पर अद्यतन करने के लिए एक कवायद की जाती है।

24. आईसीईएस में व्यापार नियमों के अद्यतन की आवृत्ति के संबंध में, मंत्रालय ने अपने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"निर्देशिकाओं के अद्यतन की आवृत्ति सीबीआईसी द्वारा अधिसूचना आदि जारी किए जाने के अनुसार परिवर्तन पर निर्भर है। एक्जिम कार्गो का प्रसंस्करण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 17 के अनुसार स्व-घोषणा और अधिनियम के तहत अनिवार्य मूल्यांकन के सत्यापन के आधार पर है। शब्द "स्वचालित" सही नहीं है क्योंकि लगाया गया शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अनुसार स्व-घोषणा पर और निर्धारण उपरोक्त धारा 17 में निर्धारित पर निर्भर है। आईसीईएस अधिकारियों को मूल्यांकन करने में सक्षम बनाने का एक उपकरण है। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, बजटीय परिवर्तनों के समय पर कार्यान्वयन के लिए एक वार्षिक कवायद भी की जाती है।"

25. लेवी के स्वतः चार्ज करने के लिए सिस्टम में अद्यतन एडीडी अधिसूचनाओं को शामिल करने को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों के संबंध में, मंत्रालय की प्रतिक्रिया निम्नवत है:-

स्व-मूल्यांकन के लिए निर्धारित डिजाइन आयातक के लिए माल की सही घोषणा करने और वर्गीकरण, अधिसूचना, शुल्क की दर आदि का दावा करने के लिए एक तंत्र है। दावा करने के बाद, दावा किए गए सीमा शुल्क अधिसूचना के अनुसार लागू शुल्क के आधार पर सिस्टम में स्वतः भर जाता है। यह दोहराया जाता है कि एडीदी एक लेवी है और सिस्टम इस अधिसूचना को स्वचालित रूप से लागू नहीं करता। यह नोट करना जरूरी है कि एक सीटीएच के तहत सभी आयातों पर एडीडी नहीं लगाया जा सकता है और यह विनिर्माताओं, मूल देश, माल का विवरण आदि जैसी शर्तों पर निर्भर है। यदि आयातक या आयातक की ओर से सीमा शुल्क ब्रोकर स्व-घोषणा के समय विशेष अधिसूचना (सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 17) का दावा करता है, तो आईसीईएस आईटी प्लेटफॉर्म उसी के प्रसंस्करण की प्रक्रिया प्रदान करेगा। यदि जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) द्वारा दिए गए उपयुक्त उपचार के माध्यम से बिल ऑफ एंट्री को मूल्यांकन के लिए चिह्नित किया जाता है, तो संबंधित निर्धारण अधिकारी सिस्टम द्वारा दिए गए अलर्ट के आधार पर कि आइटम एंटी डंपिंग शुल्क को आकर्षित करता है और अधिकारी को इसकी जांच करनी चाहिए, मूल्यांकन के समय उक्त अधिसूचना की प्रयोज्यता के आधार पर अधिसूचना को लागू कर या हटा सकता है।"

26. लेखा परीक्षा ने यह भी नोट किया कि भारतीय सीमा शुल्क इडीआई प्रणाली (आईसीईएस) में उत्पादक/ विनिर्माता का नाम दर्ज करना अनिवार्य नहीं किया गया था। उद्गम उद्गम देश के अलावा उत्पादक/विनिर्माता और आपूर्तिकर्ता/निर्यातक का नाम विशेष वस्तुओं के के आयात पर लागू एडीडी की दरे निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि विनिर्माता/निर्यातक या इसके संयोजन से विभिन्न दरें निर्धारित की जाती है। हालांकि, दर्ज की गई अधिकतर बीई को आईसीईएस में जोखिम प्रबंधन प्रणाली से गुजारा गया था, लेखापरीक्षा में देखा गया था कि आईसीईएस से 'उत्पादक/विनिर्माता के नाम' के फील्ड को भरना अनिवार्य करने हेतु कोई प्रावधान नहीं था।

27. कांडला कमिश्नरी में, यह देखा गया कि कोरिया और सिंगापुर से उद्भूत और निर्यातित फिनोल के आयात के मामलों में एडीडी से छूट का दावा किया गया था यद्यपि 53, ये वस्तुएं वस्तुएं एडीडी के अंतर्गत आती है जब इन्हे कोरिया और सिंगापुर से आयात किया गया हो। आयातक द्वारा प्रणाली में दर्ज किए गए आयात दस्तावेजों में 'विनिर्माता' के स्थान को रिक्त रिक्त छोडा गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में न तो प्रणाली में निर्धारण अधिकारियों की कोई टिप्पणियां मिल सकी और न ही संबंधित फाइलें लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई, न ही संबंधित फाइलें लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई, जिसके कारण इन आयातों हेतु 91.28 लाख की एडीडी छूट की स्वीकार्यता की सटीकता सुनिश्चत नहीं की जा सकी।

28. इस संबंध में मंत्रालय ने अपने विस्तृत पृष्ठाधार टिप्पण में निम्नानुसार टिप्पणी टिप्पणी की है:

"कांडला

> जहां तक 'निर्यातक का नाम" फ़ील्ड को शामिल करने और ईडीआई प्रणाली में उल्लेख किए जाने के लिए 'निर्माता का नाम" फ़ील्ड अनिवार्य करने हेतु लेखापरीक्षा की सिफारिश का संबंध है, ऐसी वस्तुओं के लिए जो पाटन-रोधी शुल्क अधिसूचनाओं के अंतर्गत आती हैं, इस संबंध में दिनांक *11.10.2018* को डीजी सिस्टम, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली को एक अनुरोध पहले ही किया जा चुका है। लेखापरीक्षा ने आपत्ति उठाई है कि आयातक द्वारा *53* बीई के संबंध में सिस्टम में भरे गए आयात दस्तावेजों में निर्माता' के फील्ड को खाली रखा गया था। और लेखापरीक्षा को प्रणाली में निर्धारण अधिकारियों की कोई टिप्पणी नहीं मिली जिसके कारण इन आयातों के लिए *91.28* लाख रुपये के एडीडी की छूट की स्वीकार्यता की शुद्धता पता नहीं लगाया जा सका। आयातकों से दस्तावेज मांगे गए थे और आयातकों से प्राप्त उत्तरों की जांच करने के बाद, यह पाया गया कि आयातक अधिसूचना संख्या

06/2016 में परिकल्पित निर्माता-आपूर्तिकर्ता संयोजन की शर्त को पूरा करते हैं।

29. इसके अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट वस्तुओं के आयात पर लागू एडीडी की दरें निर्धारित करने के लिए मूल देश के साथ-साथ उत्पादक/विनिर्माता और आपूतकर्ता/निर्यातक के नाम महत्वपूर्ण पाए गए थे। यह पूछे जाने पर कि क्या निर्माता/निर्माता का नाम' के लिए क्षेत्र को दाखिल करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में इस प्रकार बताया :

(क) परिपत्र संख्या *55/2020-* सीमा शुल्क दिनांक *17.12.2020* में उल्लेख है "उन मामलों में जहां शुल्क प्रयोज्यता निर्माताओं पर आधारित है जैसे एंटी-डंपिंग ड्यूटी (एडीडी), सेफगार्ड ड्यूटी (एसडी) आदि, निर्माता के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं।उन उत्पादों के मामले में जिन पर एडीडी लगता है, इन विवरणों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।"

(ख) यह नोट करना प्रासंगिक है कि गैर-निर्दिष्ट संस्थाओं के लिए निर्धारित एडीडी अक्सर निर्दिष्ट निर्माताओं के लिए निर्धारित एडीडी से अधिक होता है। इसलिए, यह आयातक के हित में है कि वह निर्माता/उत्पादक का नाम दिखाने के लिए अपने बीई में एडीडी की प्रयोज्यता की घोषणा स्वयं करे।

(ग) वर्तमान में, इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ़ एंट्री में निर्माता/उत्पादक फ़ील्ड को न भरने से बिल ऑफ़ एंट्री को दाखिल होने से नहीं रोका जा सकता है। इससे जुड़े कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं-

- भले ही आपूर्तिकर्ता कुछ मामलों में निर्माता व *supplier* एक हो, लेकिन सभी मामलों में ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि इस तरह की घोषणा की अनुपलब्धता को सीमा शुल्क आरएमएस के लिए एक चुनौती माना जा सकता है, फिर भी सभी आयातों के लिए इस तरह के क्षेत्र को अनिवार्य बनाना एक अलग चुनौती है क्योंकि आयातक जब विदेश के एक व्यापारी से माल खरीदता है, तो हमेशा निर्माता के नाम का पता लगाने (और घोषित) की स्थिति में नहीं हो सकता है।
- बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने के लिए निर्माता/उत्पादक फील्ड को अनिवार्य बनाना उत्पाद के कस्टम टैरिफ हेडिंग से संबंधित बीई दाखिल करने के लिए पहले से ही अनिवार्य फ़ील्ड के संयोजन के साथ होगा। यह अतिरिक्त सिस्टम सत्यापन उत्पाद विनिर्देशों जैसे ग्रेड, घनत्व, मोटाई आदि को ध्यान में नहीं रख सकता है। ऐसी स्थिति में, सिस्टम सत्यापन को जोड़ने से घरेलू उद्योग को आयात करने के लिए उच्च अनुपालन आवश्यकताए होसकतीहैक्योंकि होसकतीहैक्योंकि आयात उत्पाद अभी भी इसके विनिर्देशों के आधार पर एडीडी

की प्रयोज्यता को आकर्षित नहीं कर सकता है। इससे व्यवसाय करने की लागत अधिक हो जाएगी।

(घ) जैसा कि पहले कहा गया है, एडीडी के दुरुपयोग या गैर-उदग्रहण/कम वसूली की जांच करने के लिए तंत्र मौजूद हैं जैसा कि ऊपर दिए गए बिंदु *1* और *5* की टिप्पणियों में वर्णित है। दोहराने के लिए, इनमें सीमा शुल्क आरएमएस और सीमा शुल्क अनुपालन आवश्यकताओं (सीसीआर) में निर्देशों के आधार पर मूल्यांकन, जांच और निकासी चरणों में स्व-मूल्यांकन का सत्यापन शामिल है। आसूचना/जांच एजेंसियों के विभिन्न प्रकार के लेखापरीक्षा और हस्तक्षेप भी होते हैं। इसलिए, यह संपूर्ण जोखिम प्रबंधन ढांचा या पारिस्थितिकी तंत्र एडीडी के मामले में अनुपालन प्राप्त करने के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है।
(ङ) इसके अलावा, निर्दिष्ट वस्तुओं पर लागू एडीडी की पहचान का समर्थन करने करने के लिए अन्य सिस्टम-आधारित और गैर-सिस्टम आधारित साधनों के विकल्प का पता लगाया गया है और ऑडिट की अवधि के बाद सीमा शुल्क आरएमएस में सुधार किए गए हैं। विकसशील घटनाओं के आधार पर एडीडी के संबंध में क्षमता में सुधार किया गया है। उदाहरण के लिए-

- *2017* की अंतिम तिमाही से, आरएमएस मानदंड को कम जोखिम वाले आयातकों के प्रविष्टि बिलों को मूल्यांकन के लिए रूट करने के लिए बदल दिया गया था, ताकि ऐसे आयातकों से जुडे, एडीडी से बचने के लिए परिवर्तित विवरण अपनाकर,जोखिम का निवारण किया जा सके।
- वर्ष 2020 में, आरएमएस द्वारा मशीन लर्निंग तकनीकों को पेश करने के के साथ एक और शुरुआत की गई, जिसमें दो स्तरों पर एडीडी से संबंधित जोखिमों सहित विभिन्न जोखिमों के लक्ष्यीकरण को मजबूत किया गया है-

1. पहले में वे बिल ऑफ एंट्री शामिल हैं जिनमें एडीडी घोषित नहीं किया गया है, जहां पहले समान सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक, मूल देश और आपूर्तिकर्ता संयोजन पर इस तरह के शुल्क का भुगतान किया गया था।
2. दूसरे में बिल ऑफ एंट्री में आपूर्तिकर्ता, सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक और विवरण संयोजन, तथा साथ में बिल ऑफ एंट्री के ऐतिहासिक डेटा, जहां एडीडी वसूला गया है और अतीत में भुगतान किया गया है, शामिल हैं।

- जोखिम प्रबंधन के अन्य घटकों जैसे पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट, में भी सुधार किया जा रहा है - जहां एडीडी से बचने की संभावना को भी शामिल किया जा रहा है और आरएमएस का उपयोग ऑडिट के लिए चुने गए बिलों की पहचान के लिए किया जा रहा है।

- सीबीआईसी के राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्ष्यीकरण केंद्र (एनसीटीसी) ने वर्ष 2021 में एडीडी अधिसूचनाओं के गैर-अनुपालन का पता लगाने के उद्देश्य से विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और अलर्ट जारी किए हैं।"

30. इसके अलावा, आरएमएस में व्यवस्थित कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में, सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने *06* अक्टूबर, *2021* को को लिए गए मौखिक साक्ष्य में आरएमएस में निम्नलिखित अपडेट का उल्लेख किया है:-

'घर्ष, *2020* में, आरएमएस ने दो स्तरों पर एडीडी-संबंधित जोखिमों सहित विभिन्न जोखिमों के लक्ष्यीकरण को मजबूत करने के लिए मशीन लर्निंग तकनीकों की शुरुआत की। प्रविष्टि का पहला बिल जिसमें एडीडी की घोषणा नहीं की गई है, जिसमें समान कस्टम टैरिफ हेडिंग कंट्री ऑफ ओरिजिन और सप्लायर कॉम्बिनेशन में पहले के अवसर पर, इस तरह के शुल्क का भुगतान किया गया था। इसलिए, जब हम इंडोनेशिया से इस व्यक्ति ए' को एक विशेष उत्पाद एक्स' देते हुए लेते हैं, तो उसे एक एंटीडम्पिंग ड्यूटी लगाई गई थी जो छह महीने या आठ महीने या एक साल पहले प्रविष्टि की अपने अंतिम बिल में हो सकती है, और यह उसने घोषित नहीं किया है, और ये सभी प्रविष्टियां मेल खाती हैं, तो हम उसे इस परीक्षण के लिए भी चुनते हैं। तो, यह मेरी मशीन समतलीकरण प्रक्रिया में बनाया गया है, और यह लाल झंडे हैं । दूसरा मैच सप्लायर सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक और विवरण संयोजन और प्रविष्टि की बिल के साथ जिसमें प्रविष्ट बिल का ऐतिहासिक डाटा है जिसमें एडीडी का भुगतान किया गया है। यह उसी के समान है जिसका मैंने उल्लेख किया था। फिर जोखिम प्रबंधन अनुपालन ढांचे के अन्य घटक हैं या लगातार सुधर रहे आरएमएस को सहायता देने और पूरक करने के लिए हैं।"

तीन. पैरा *3.5.2:* एडीडी अधिसूचना की वैधता की समाप्ति के बावजूद एडीडी का उद्ग्रहण

31. सीबीआईसी द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन के विन्यसन की तिथि से एडीडी उदग्रहणीय हे और अधिकतम पाँच वर्षों की अवधि हेतु प्रभावी है जब तक इसे रद्द , समाप्त या संशोधित न किया जाये।

32. लेखापरीक्षा ने यह पाया कि सीटीएच -के अंतर्गत वर्गीकरणीय डाई 29291020 (एडीडी) सीमा शुल्क-2017/25 .आईसोसाइनेट के आयात पर अधिसूचना सं

के अंतर्गत एडीडी उद्ग्रहणीय है। यह अधिसूचना केवल 2017 जून 5 दिनांक 4 माह अर्थात :छदिसंबर तक वैध थी। इसी प्रकार 2017, फॉस्फोरिक एसिड, विस्टामैक्सक्स प्रोपलीन 6202, ग्लेज्डविट्रीफाइड टाइलों / पोर्सिलेनज्डअनग्ले/ 2012 अप्रैल 4 दिनांक 2012/19 आदि के आयात पर अधिसूचना, 119/2010 दिनांक -2016/12 और 2010 नवंबर 19सीमा शुल्क दिनां (एडीडी)क मार्च 29 माह की वैधता के साथ एडीडी :पांच वर्षों और छ :के अंतर्गत क्रमश 2016 उद्ग्रहणीय है।

33. चार कमिश्नरियों में लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग ने निर्धारित अधिसूचनाओं की समाप्ति के बाद डी-आईसोसाइनेट, फोस्फोरिक एसिड, विस्टामेक्स फिनोल और ग्लैज्ड/अनग्लेज्ड पोर्सिलेन/विट्रीफाइड टाइल्स के आयात के 72 मामलों में ₹ 1.17 करोड़ के एडीडी की वसूली की थी जो किसी मौजूदा अधिसूचना के बिना एडीडी की वसूली के समान था।

34. उपर्युक्त मामलों के संबंध में मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया:-

"उल्लिखित सभी मामलों में, मंत्रालय लेखा परीक्षा आपत्ति से सहमत है। भविष्य भविष्य में अधिकारियों का आकलन करके बीएसई का आकलन करते समय उचित सावधानी बरती जाएगी। शुल्क करदाता द्वारा स्वयं मूल्यांकन किया जाता जाता है और किसी भी बी / ई के खिलाफ भुगतान की जाने वाली कोई भी राशि भारत की समेकित निधि का हिस्सा है। सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार, सीमा शुल्क के अतिरिक्त भुगतान की वापसी का दावा करदाता द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* की धारा *27* के तहत किया जा सकता है। लेकिन अब तक कोई रिफंड दावा दायर नहीं किया गया है।"

35. एडीडी अधिसूचना की वैधता समाप्त होने के बाद भी एडीडी लगाने के कारणों और उन पर की गई उपचारात्मक कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर और क्या इस तरह से वसूल की गई धनराशि को वापस कर दिया गया है, मंत्रालय ने इस प्रकार उत्तर दिया:-

" एडीडी अधिसूचना की वैधता समाप्त होने के बाद भी एडीडी लगाने का एक कारण सिस्टम में अंतिम तिथि का न होना है। आयातक ने *72* मामलों में से *29* में, स्वयं डंपिंग रोधी शुल्क का निर्धारण किया। *2* मामलों में, मूल्यांकन समूह ने एहतियात के तौर पर साधारण एडीडी एकत्र किया, अंतिम एडीडी को अनंतिम एडीडी की तारीख से लागू करते हुए लगाया गया है। ऐसे मामलों में रिफंड सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* की धारा *27* द्वारा शासित होता है,

जिसके अनुसार दावा किया जाना है और रिफंड की मंजूरी के लिए शर्तों को निर्दिष्ट किया गया है। अनुचित रूप से भुगतान किए गए एडीडी का रिफंड संबंधित आयातकों द्वारा रिफंड आवेदन जमा करने पर किया जाएगा। अभी तक, तक, भुगतान किए गए अतिरिक्त एडीडी के ऐसे रिफंड के संबंध में संबंधित आयातक द्वारा कोई रिफंड आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आयातक द्वारा अधिक भुगतान किए गए शुल्क के स्वतः रिफंड के लिए सीमा शुल्क अधिनियम में कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। शेष *41* मामलों में, एडीडी की वसूली लागू अधिसूचनाओं (*30/2011* दिनांक *04.03.2011, 06/2011* दिनांक *07.02.2011, 09/2013* दिनांक *26.04.2013* और *119/2010* दिनांक *19.11.*2010*)* की वैधता बढ़ा कर कवर की गई है। सिस्टम में एडीडी अधिसूचना की समाप्ति के लिए एक अंतर्निहित तंत्र होने के मुद्दे की जांच करने के लिए सिस्टम महानिदेशालय को कहा गया है।

36. इसके अलावा, यह पूछे जाने पर कि 'क्या मंत्रालय द्वारा स्वतः संज्ञान रिफंड शुरू शुरू करने के लिए कोई प्रावधान किया जा सकता है, सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने *06* अक्टूबर, *2021* को लिए गए मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित का उल्लेख किया था:

"माननीय सदस्यों में से एक ने इस बारे में एक सवाल पूछा कि अगर हम वैधता की अवधि से परे एंटी-डंपिंग ड्यूटी एकत्र करते हैं तो हम अपने दम पर रिफंड क्यों नहीं दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सभी अप्रत्यक्ष कर कानूनों में, हमारे पास एक प्रावधान है जो अन्यायपूर्ण संवर्धन के विषय से संबंधित है। अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत के तहत, यह माना जाता है कि कोई भी अप्रत्यक्ष कर जो एक आयातक या निर्माता भुगतान करता है, हमेशा उपभोक्ता को पारित कर दिया जाता है और इसलिए, यदि आप उस अप्रत्यक्ष कर को उसे वापस कर देते हैं, तो वह अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध हो जाएगा क्योंकि उसने इसे उपभोक्ता को पारित कर दिया होगा और उससे इसे पुनर्प्राप्त किया होगा। इसके अलावा, उसे वह रिफंड मिलेगा जो हम उसे देते हैं। इसलिए, यही कारण है कि हम ऐसी स्थितियों में स्वतः संज्ञान वापसी देने में असमर्थ हैं। हम आम तौर पर एक वापसी का दावा दायर करने के लिए कहते हैं क्योंकि जब दावा दायर किया जाता है, तो हम दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सत्यापित करते हैं, जो आमतौर पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाण पत्र और खातों की पुस्तकों को यह पता लगाने के लिए आते हैं कि क्या जिस कर्तव्य के बारे में धनवापसी का दावा किया जा रहा है, वह वास्तव में उनकी कीमतों में पास किया गया है या नहीं। इसलिए, स्वतः रिफंड देने में थोड़ी सी दिक्कत है।"

37. जहां तक एडीडी अधिसूचना की वैधता समाप्त होने के बाद भी एंटी डंपिंग ड्यूटी ड्यूटी लगाने के मामलों का संबंध है, सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने *06* अक्टूबर, *2021* को लिए गए मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित का उल्लेख किया है:-

> "महोदय, सामान्य प्रक्रिया आयातक द्वारा स्व-मूल्यांकन की है, जिसके पास धनवापसी का दावा करने का विकल्प है। इसलिए, यदि वह गलती से, एंटी-डंपिंग ड्यूटी का भुगतान करता है, तो वह रिफंड का दावा कर सकता है। कुछ अंतिम तारीखों में, प्रणाली बहुत व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इस शुल्क की लेवी प्रकृति में गतिशील है और विभिन्न प्रकार की समीक्षा के अधीन है, जिसे मैंने पहले समझाया है। इसलिए, इसका मतलब यह नहीं है कि शुल्क उस तारीख को समाप्त हो जाएगी। इसलिए, उस प्रक्रिया को आसान बनाने या किसी भी कानूनी जटिलता को नहीं करने के लिए, हम अंतिम तिथि का उल्लेख नहीं करते हैं जब तक कि उस अधिसूचना को रद्द नहीं किया जाता है। इसलिए, यदि हम अंतिम तिथि डालते हैं तो यह भी समस्याएं पैदा करेगा। लेकिन रिफंड प्रक्रिया उपलब्ध है, और हम उम्मीद करते हैं कि निर्यातक को इस बात की जानकारी होगी कि शुल्क क्या हैं।"

38. आंतरिक नियंत्रण तंत्र द्वारा चूक का पता लगाने में विफलता के विशिष्ट कारणों कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय की लिखित प्रतिक्रिया निम्नानुसार थी:-

> "एडीडी में, शामिल प्रक्रियाओं में अनंतिम रूप से एडीडी लगाना, फिर पांच साल के लिए अंतिम शुल्क लगाना शामिल है। पांच साल से आगे शुल्क जारी रखने का निर्णय लेने के लिए एक अंतिम समीक्षा की जाती है। एक शिपर समीक्षा का प्रावधान किया गया है। एडीडी को लगातार लागू करने या उसमें बदलाव की आवश्यकता की जांच करने के लिए मध्यावधि समीक्षा के प्रावधान भी हैं। ये पहलू एडीडी की प्रकृति को गतिशील बनाते हैं। अतीत में, सिस्टम में एडीडी अधिसूचनाओं की समाप्ति तिथि निर्दिष्ट नहीं की गई थी। तथापि, यहाँ ऊपर बिंदु बिंदु संख्या *11* सम्बंधी टिप्पणी में यथा उल्लिखित, सिस्टम में एडीडी अधिसूचना की समाप्ति के लिए एक अंतर्निहित तंत्र होने के मुद्दे की जांच करने के लिए सिस्टम महानिदेशालय को कहा गया है।

चार. 2019 के प्रतिवेदन संख्या 17 का पैरा संख्या 3.5.3: एडीडी अधिसूचनाओं की शर्तों का अननुपालन

39. एडीडी का उद्ग्रहण विशेष वस्तुओं पर किया जाता है और यह स्त्रोत विशेष है। एडीडी की अधिसूचना में एडीडी के उद्ग्रहण की शर्तों का प्रावधान किया जाता है जो मुख्यत: उद्गम देश/निर्यात का देश, विनिर्माता का नाम, नियार्तित वस्तुं का वर्गीकरण

और आयातित माल की प्रकृति है। उन आयातों पर एडीडी उद्ग्रहणीय है जो अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट सभी अथवा इनमें से कुछ शर्तों को पूरा करते हो।

40. लेखापरीक्षा में पाया गया कि एडीडी अधिसूचना के प्रावधानों के गलत अनुप्रयोग के कारण 2015-16 से 2017-18 के दौरान 15 कमिश्नरियों के माध्यम से आयात के 1205 मामलों में ₹63.60 करोड़ के एडीडी का उद्ग्रहण नहीं/कम हुआ था। जो वस्तुयें एडीडी से बच गई, वे थे-प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पाद, कपडा और नायलोन यार्न, रसायन, धातु और चीनी मिट्टी की वस्तुयें तथा कांच के बने बर्तन।

41. लेखा परीक्षा की टिप्पणी पर, मंत्रालय ने प्रत्येक मामले के संबंध में अपनी टिप्पणियां निम्नानुसार प्रस्तुत कीं:-

"(i) चेन्नई :-

इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन -

लेखापरीक्षा के अनुसार, चेन्नई समुद्री आयुक्तालय के माध्यम से *18* आयातकों द्वारा आयातित इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की *21* खेपों को बिना *139.15* लाख रुपए की एडीडी की वसूली/कम वसूली के अनुमत किया गया था।

राजस्व की बचत के लिए, *11* आयातकों को एससीएन जारी किया गया है। अन्य *6* आयातकों के मामले में, यह लंबित है क्योंकि आयातित माल प्रकृति में उपयोग किए जाते हैं (यानी उपयोग की जाने वाली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन) और एक आयातक मैसर्स टॉपरन ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसी तरह के मामले के लिए सीमा शुल्क आयुक्त के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी सीईएसटीएटी (अपील संख्या.सी */40034/2020)* में अपील दायर की है और यह सीईएसटीएटी के समक्ष लंबित है।

नाइलॉन फिलामेंट यार्न-

लेखापरीक्षा के अनुसार, चेन्नई समुद्री आयुक्तालय के माध्यम से *4* आयातकों द्वारा आयातित नाइलॉन फिलामेंट यार्न की *21* खेपों को बिना *131.70* लाख रुपए की एडीडी की वसूली/कम वसूली के अनुमत किया गया था। एक आयातक, मेसर्स एचएसआई ऑटोमोटिव प्रा. लिमिटेड ने *100%* पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न की *5* खेपों का आयात किया, जिसे फिलामेंट यार्ड पीईएफ और *1500* डीएक्स *1* प्लाई' के रूप में घोषित किया गया है, जिसके लिए एडीडी लागू नहीं है। पिछले बीई के तहत आयातित और उसी आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति आपूर्ति किए गए ऐसे ही माल का परीक्षण वस्त्र समिति द्वारा किया गया था और *100%* पॉलिएस्टर पाया गया था। एडीडी अधिसूचना *03/2012* केवल

नायलॉन फिलामेंट यार्ड को संदर्भित करती है। *16* खेपों के संबंध में *3* आयातकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

<u>मंत्रालय की टिप्पणियां:</u> ओआईओ अन्य बीएस / ई के संबंध में जारी किया गया है।

<u>शहतूत का कच्चा रेशम-</u>

लेखापरीक्षा के अनुसार, चेन्नई सागर आयुक्तालय के माध्यम से *4* आयातकों द्वारा आयातित शहतूत कच्चे रेशम की *5* खेपों को बिना *13.67* लाख रुपए की की एडीडी की वसूली/कम वसूली के अनुमत किया गया था। सभी *4* आयातकों को एससीएन जारी किया गया है।

मंत्रालय की टिप्पणियां: ओआईओ अन्य बीएस / ई के संबंध में जारी किया गया है।

<u>मापने वाले टेप-</u>

लेखापरीक्षा के अनुसार, चेन्नई सागर आयुक्तालय के माध्यम से आयातित मापने वाली टेप की *1* खेप को बिना *32.15* लाख रुपए की एडीडी की वसूली/कम वसूली के अनुमत किया गया था। मामले का न्यायनिर्णयन किया गया और मांग की पुष्टि के लिए मूल-आदेश जारी किया गया।

मंत्रालय की टिप्पणियां: वसूली प्रक्रियाधीन है।

<u>क्लीयर फ्लोट ग्लास:</u>

लेखापरीक्षा के अनुसार, *1* आयातक द्वारा चेन्नई सागर आयुक्तालय के माध्यम माध्यम से आयातित क्लियर फ्लोट ग्लास की *2* खेपों को बिना *6.07* लाख रुपए की एडीडी की वसूली के अनुमत किया गया था। आयातक को एससीएन दिनांक *25.08.2020* जारी किया गया है।

मंत्रालय की टिप्पणियां: इस संबंध में आगे का उत्तर क्षेत्र गठन से प्राप्त होने पर पर उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।

<u>सोडियम एस्कोर्बेट:</u>

लेखापरीक्षा के अनुसार, मैसर्स श्री फार्मा द्वारा चेन्नई सागर आयुक्तालय के माध्यम से आयातित सोडियम एस्कॉर्बेट की *5* खेपों को बिना *331.36* लाख रुपए की एडीडी की वसूली/कम वसूली के अनुमत किया गया था।

इस संबंध में, आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत नहीं है। एडीडी अधिसूचना के अवलोकन पर यह पाया गया कि इस अधिसूचना के तहत एडीडी

विटामिन सी के सभी समानार्थक शब्दों पर लागू होगा, जिसमें विटामिन-सी के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले समानार्थक शब्द, अर्थात् एस्कॉर्बिक एसिड, एल-ज़ाइलोस्कॉर्बिक एसिड, *3*-ऑक्सो-एल-गुलफर्नोलैक्टोन (एनोल फॉर्म), एल-*3*-केटोथ्रेओहेक्सुरोनिक एसिड लैक्टोन, आदि मर्क इंडेक्स की प्रविष्टि संख्या *"867"* के तहत यथा वर्णित शामिल हैं। जबकि मर्क इंडेक्स के अवलोकन पर, यह देखा गया है कि सोडियम एस्कॉर्बेट को मर्क इंडेक्स की संख्या *8723* पर एक विशिष्ट प्रविष्टि दी गई है। प्रविष्टि में सोडियम एस्कॉर्बेट का एस्कॉर्बिक एसिड सोडियम डेरिवेटिव के रूप में उल्लेख किया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट है है कि विटामिन सी (एस्कॉर्बिक एसिड) और सोडियम एस्कॉर्बेट रासायनिक रूप से दो अलग-अलग यौगिक हैं। इसके अलावा, अधिसूचना संख्या *67/2009* दिनांक *16.06.2009* और *38/2015*-एडीडी दिनांक *06.08.2015* के तहत एडीडी केवल विटामिन सी (एस्कॉर्बिक एसिड) के समानार्थक शब्दों पर लागू होता है जो मर्क इंडेक्स *867* के तहत प्रविष्टि पाते हैं। सोडियम एस्कॉर्बेट का विटामिन सी के समकक्ष या पर्यायवाची के रूप में कोई संदर्भ नहीं है। इसलिए, मर्क इंडेक्स *8723* के तहत उल्लिखित उत्पादों पर एडीडी की वसूली उन उत्पादों पर एडीडी के दायरे से बाहर जाकर होगी, जिनका उल्लेख अधिसूचना में ही नहीं है, जो कानूनी रूप से सही है।

<u>केबल टाइलें:</u>

लेखापरीक्षा के अनुसार, मैसर्स ईल-केयर द्वारा चेन्नई सागर आयुक्तालय के के माध्यम से आयातित केबल टाइलों की 1 खेप को बिना 5.23 लाख रुपए की एडीडी की वसूली/कम वसूली के अनुमत किया गया था।आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत है। आयातक से राशि वसूल वसूल करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

<u>मंत्रालय की टिप्पणियां:</u> वसूली प्रक्रियाधीन है।

<u>सिरेमिक वेयर्स:</u>

लेखापरीक्षा के अनुसार, चेन्नई सागर आयुक्तालय के माध्यम से 12 आयातकों द्वारा आयातित चीनी मिट्टी के सामानों की 13 खेपों को बिना 29.04 लाख रुपए की एडीडी की वसूली के अनुमत किया गया था। आयुक्तालय आंशिक रूप से लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करता है। एक एक आयातक, मैसर्स रॉयल पैलेस ने 1 खेप के संबंध में 626/- रुपये के ब्याज के साथ 3049/- रुपये के अंतर शुल्क का भुगतान किया है। मेसर्स एसवी इंफ्रा डेवलपर्स ने सूचित किया कि बी/ई 2197699 दिनांक

22.06.17 के तहत माल सिरेमिक से बना बेसिन था जो शौचालय की वस्तु है, जिसके लिए एडीडी लागू नहीं होगा। मैसर्स कालापुरा इम्पेक्स ने सूचित किया कि बी/ई 4298302/15.07.17 के तहत आयातित माल सिरेमिक बेसिन है जो शौचालय की वस्तु है, जिसके लिए एडीडी लागू नहीं होगा। अन्य प्रकरणों के संबंध में, एससीएन जारी कर धनराशि की वसूली की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

मंत्रालय की टिप्पणी: इस संबंध में आगे जवाब क्षेत्रीय कार्यालय से उत्तर प्राप्त होने पर यथासमय प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

पीवीसी (पॉली विनाइल क्लोराइड) पेस्ट रेसिन

लेखापरीक्षा के अनुसार, चेन्नई सागर आयुक्तालय के माध्यम से आयातित आयातित पीवीसी रेजिन की 8 खेपों को बिना 19.28 लाख रुपए की एडीडी की वसूली/कम वसूली के अनुमत किया गया था।

आयुक्तालय आंशिक रूप से लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करता है।

एक आयातक, मेसर्स ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड ने ब्याज सहित 78,321/- रुपए का भुगतान किया है। इसके अलावा, आयातक मैसर्स सॉफ्ट टर्फ ने अपने पत्र दिनांक 29.03.2019 के माध्यम से कहा है कि उनके आपूर्तिकर्ता ने बी/ई 7529473/21.11.2016 में गलती से पीवीसी रेसिन एस65 के बजाय पीवीसी पेस्ट रेसिन एस65 का उल्लेख किया है और दस्तावेज अर्थात टाइपोग्राफ़िकल त्रुटि की पुष्टि करते हुए आपूर्तिकर्ता से प्रोफार्मा चालान, उनके बैंक को प्रस्तुत किया गया एलसी आवेदन, जमा किए हैं। दस्तावेजों के अवलोकन पर यह पाया गया कि आयातक का तर्क स्वीकार्य है।

एक अन्य मामले में मैसर्स पॉली पाइप्स इंडिया (पी) लिमिटेड ने बी/ई नं. 8820642/06.04.2015 के द्वारा आपूर्तिकर्ता मैसर्स फॉर्मोसा प्लास्टिक्स कॉर्पोरेशन, ताइवान से एडीडी अधिसूचना संख्या 27/2014 क्रमांक 6 का उल्लेख करते हुए पाइप निर्माण के लिए प्रयोग होने वाली सस्पेंशन ग्रेड रेसिन का आयात किया है, जिसके लिए वसूलनीय एडीडी शून्य है।

4 आयातकों के मामले में, यह देखा गया है कि प्रविष्टि बिल 2015 से संबंधित हैं और खोलने संबंधी जांच के आदेश के बाद उन्हें मंजूरी दे दी गई थी। इसलिए, कारण बताओ नोटिस केवल धारा 28(1) के तहत जारी किया जा सकता है और उक्त आपत्ति जुलाई 2018 में ही उठाई गई थी।

इसलिए, इन बी/ई के लिए एससीएन जारी नहीं किए जा सकते। इसके अलावा, अंतर राशि का भुगतान करने के लिए मैसर्स सैलकॉम्प मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पत्र भेजा गया था।

फॉस्फोरिक एसिड

लेखापरीक्षा के अनुसार, चेन्नई सागर आयुक्तालय के माध्यम से 5 आयातकों द्वारा आयातित फॉस्फोरिक एसिड की 9 खेपों को बिना 14.94 लाख रुपए की एडीडी की वसूली/कम वसूली के अनुमत किया गया था।

आयुक्तालय आंशिक रूप से लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करता है।

3 आयातकों (मैसर्स पंची केमिकल्स, मेसर्स इंटरनेशनल फ्लेवर एंड फ्रेगरेंस और मेसर्स केसीसी पेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के संबंध में 2.49 लाख रुपये वसूले गए।

आयातक मैसर्स पद्मा एजेंसियों के लिए एडीडी लागू नहीं था क्योंकि एडीडी 12.01.2017 तक ही लागू था और सभी प्रविष्टि बिल बाद की तारीखों के थे।

एडीडी मेसर्स नवकार एक्जिम के मामले में भी लागू नहीं है क्योंकि एडीडी अधिसूचना की समीक्षा के कारण 22.06.2015 से 23.08.2018 की अवधि के दौरान कोई एडीडी अधिसूचना नहीं थी।

मैसर्स पंची केमिकल्स संबंधी एक प्रविष्टि बिल संख्या 710062 दिनांक 15.10.2016 भी एडीडी अधिसूचना के तहत कवर नहीं है क्योंकि आयातित वस्तु डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है।

मंत्रालय की टिप्पणियां: दस्तावेज नियत समय पर जमा कर दिये जाएंगे।

डाइक्लोरोमेथेन (मेथिलीन क्लोराइड):

लेखापरीक्षा के अनुसार, चेन्नई सागर आयुक्तालय के माध्यम से 2 आयातकों द्वारा आयातित डाइकोलोरोमीथेन की 2 खेपों को बिना 10.33 लाख रुपए की एडीडी की वसूली/कम वसूली के अनुमत किया गया था।

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करता है।

दोनों आयातकों से 11.16 लाख रुपये वसूले जा चुके हैं।

हाइड्रोजन पेरोक्साइड

लेखापरीक्षा के अनुसार, चेन्नई सागर आयुक्तालय के माध्यम से 5 आयातकों द्वारा आयातित हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 7 खेपों को बिना 7.20 7.20 लाख रुपए की एडीडी की वसूली/कम वसूली के अनुमत किया गया था।

आयुक्तालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया है।

सभी 5 आयातकों से 9.21/- लाख की वसूली की जा चुकी है।

मेलामाइन

लेखापरीक्षा के अनुसार, चेन्नई सागर आयुक्तालय के माध्यम से आयातित मेलामाइन की 1 खेप को बिना 1.21 लाख रुपए की एडीडी की वसूली/कम वसूली के अनुमत किया गया था। आयुक्तालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया। आयातक ने ब्याज के साथ 1,26,188/- रुपए के अंतर शुल्क का भुगतान किया था।

बेरियम कार्बोनेट

लेखापरीक्षा के अनुसार, चेन्नई सागर आयुक्तालय के माध्यम से आयातित आयातित बेरियम कार्बोनेट की 1 खेप को बिना 0.73 लाख रुपए की एडीडी की वसूली/कम वसूली के अनुमत किया गया था।

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करता है। आयातक ने ब्याज ब्याज के साथ 97,181/- रुपए के अंतर शुल्क का भुगतान कर दिया है।

पोटेशियम कार्बोनेट

लेखापरीक्षा के अनुसार, चेन्नई सागर आयुक्तालय के माध्यम से आयातित आयातित पोटैशियम कार्बोनेट की 4 खेपों को बिना 0.50 लाख रुपए की एडीडी की वसूली/कम वसूली के अनुमत किया गया था।

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करता है। आयातक ने ब्याज ब्याज के साथ 65,053/- रुपए के अंतर शुल्क का भुगतान कर दिया है।

शीट ग्लास

लेखापरीक्षा के अनुसार, चेन्नई सागर आयुक्तालय के माध्यम से 16 आयातकों द्वारा आयातित शीट ग्लास की 69 खेपों को बिना 229.34 लाख लाख रुपए की एडीडी की वसूली/कम वसूली के अनुमत किया गया था। मेसर्स मैट्रिक्स वॉल्व्स एंड टूल्स ने ब्याज सहित 2,94,486/- रुपए की मांग की गई राशि का भुगतान किया। सभी आयातकों को एससीएन जारी किया जा चुका है।

<u>मंत्रालय की टिप्पणियां:</u> मूल-आदेश(ओआईओ) जारी किए जा चुके हैं।

(ii) मुंबई:-

<u>इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न</u>

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत है। तीन में से दो आयातकों ने ने मैनुअल चालान के माध्यम से निकासी के समय एडीडी का भुगतान किया। तीसरे आयातक ने 21.9.2017 को लागू ब्याज के साथ भुगतान किया। वसूल की गई कुल राशि 16,84,207/- रुपए है।

<u>ट्रेलरों के लिए एक्सल</u>

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से इस हद तक सहमत है कि मैसर्स किंग किंग कावेरी द्वारा आयात के मामले में एडीडी नहीं वसूला गया था।

मैसर्स एस.एस. ऑटोमोबाइल्स के मामले में, माल नामतः 'ट्रेलर के लिए एक्सल' प्रविष्टि बिल संख्या 7606021 दिनांक 26.11.2016 के अंतर्गत कवर किया गया था, उसे 26.11.2016 (इंवर्ड प्रविष्टि की तिथि/आयात की तिथि) को आयात किया गया था जबकि, उक्त एडीडी अधिसूचना संख्या 54/2016 दिनांक 29.11.2016 इसी तिथि यानी 29.11.2016 से प्रवृत्त हुई थी। अतः उक्त एडीडी अधिसूचना इन वस्तुओं पर लागू नहीं होती है।

मैसर्स किंग कावेरी ट्रेडिंग कंपनी के मामले में, डीआरआई, मुंबई ने आयातक को एससीएन फा. सं. DRI/MZU/E/ENQ-77(Int-79)/2017/8777 to 8783 दिनांक 21.11.2017 के माध्यम से जारी किया है। तद्नुसार उन्होंने सभी पाटनरोधी शुल्क चालान सं. एचसी-30 दिनांक 03.11.2017, एचसी-371 दिनांक 21.06.2017, एचसी-427 दिनांक 23.06/2017/2018841101 दिनांक 05.07/2017 एचसीएम-469 दिनांक 08.12.2017, 2018657009/ 2018657028/2018670522 सभी दिनांकित 16.06.2017के द्वारा अदा कर दिया है।

फ्लैट बेस व्हील

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत है।

मैसर्स फिएट इंडिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड को 11 प्रविष्टि बिल के तहत आयातित माल के सम्बंध में 4,66,604.80/- रुपये के पाटन रोधी शुल्क की मांग और वसूली के संबंध में कारण बताओ नोटिस 248/2020-21/CAC/JNCH दिनांक 05/08/2020 जारी किया गया है।

मंत्रालय की टिप्पणियां: इस संबंध में आगे जवाब क्षेत्रीय कार्यालय से उत्तर उत्तर प्राप्त होने पर यथासमय प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत है।

मैसर्स कल्याणी कारपेंटर स्पेशल स्टील्स लिमिटेड के मामले में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28कक के तहत लागू ब्याज के साथ 11,77,119.63/- रुपये का पाटनरोधी शुल्क।

मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के मामले में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28कक के तहत लागू ब्याज के साथ 24,57,663.77/- रुपये का पाटनरोधी शुल्क।

आयुक्तालय मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के मामले में लेखापरीक्षा निष्कर्ष से सहमत है। इसके अलावा, मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 36,37,851/- रुपए की धनराशि का भुगतान किया है जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28कक के तहत पाटनरोधी शुल्क के साथ उस पर लागू ब्याज चालान संख्या एचसीएम 358 दिनांक 5.2.2020, एचसी 65 दिनांक 05.02.2020, एचसीएम 1913 दिनांक 20.02.2020, एचसी 461 दिनांक 20.02.2020, एचसीएम 817 दिनांक 14.07.2017 और एचसी 127 दिनांक 07.07.2017 के द्वारा किया गया शामिल था।

आयुक्तालय मैसर्स कल्याणी कारपेंटर स्पेशल स्टील्स लिमिटेड के मामले में लेखापरीक्षा के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले ही चालान संख्या एचसीएम-912 दिनांक 10.03.2015 यानी मूल्यांकन के एक दिन के भीतर के तहत 11,77,119/- रुपये की एंटी डंपिंग ड्यूटी का

भुगतान कर दिया है। इसलिए, इस मामले में पाटनरोधी शुल्क का कोई कम भुगतान नहीं हुआ था।

<u>कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल)</u>

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28कक के तहत लागू ब्याज के साथ 12,20,444/- रुपये वसूलनीय हैं।

आयुक्तालय द्वारा मेसर्स लेडवेंस प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स फिलिप्स लाइटिंग इंडिया लिमिटेड के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया जाता है।

मेसर्स लेडवेंस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, कारण बताओ नोटिस संख्या 241/2020-21/सीएसी/जेएनसीएच दिनांक 04.08.2020 जो एफ.सं. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(4) के तहत एस/26-विविध-521/2017-18/जीआरवीए/जेएनसीएच सेलागू ब्याज के साथ 340794.26/- रुपये की पाटन रोधी शुल्क के लिए जारी किया गया है।

मेसर्स फिलिप्स लाइटिंग इंडिया लिमिटेड के मामले में, कारण बताओ नोटिस संख्या 242/2020-21/सीएसी/जेएनसीएच दिनांक 04.08.2020 जो एफ.सं. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(4) के तहत एस/26-विविध-521/2017-18/जीआरवीए/जेएनसीएच सेलागू ब्याज के साथ 194941/- रुपये की पाटन रोधी शुल्क के लिए जारी किया गया है।

हालांकि, मैसर्स हैलोनिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 1,21,133/- रुपये का एंटी डंपिंग शुल्क चालान एचसी 896 दिनांक 25.07.2016 के साथ-साथ 17,552/- रुपये के लागू ब्याज के साथ चालान एचसीएम 717 दिनांक 25.07.2016 के लिए बिल ऑफ एंट्री नंबर 2614957 दिनांक 16.09.2015 और चालान एच.सी. 895 दिनांक 25.07.2016 के द्वारा 5,63,578/- रुपये का एंटी डंपिंग शुल्क, 89,678/- रुपये के लागू ब्याज के साथ चालान एचसीएम 716 दिनांक 25.07.2016 बिल ऑफ एंट्री नंबर 2282310 दिनांक 18.08.2015 के लिए पहले ही जमा किया जा चुका था। इसलिए आयुक्तालय इस मामले में लेखापरीक्षा निष्कर्ष से सहमत नहीं है।

<u>विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपोलिमर</u>

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत है।

अधिसूचना संख्या 26/2014 दिनांक 16.6.2014 के तहत पाटनरोधी शुल्क की गैर वसूली

एससीएन दिनांक 05.08.2020 जारी किया गया है। न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है।

प्रणाली/प्रक्रिया में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आयातक द्वारा द्वारा माल को निलंबन ग्रेड का घोषित न करने के कारण गैर-वसूली हुई। हुई।

<u>इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन</u>

अधिसूचना संख्या 09/2016 दिनांक 15.03.2016 के अनुसार

लेखापरीक्षा ने देखा कि मेसर्स मनीषा फार्मो प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स द सुप्रीम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सुभादा पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड ने क्रमशःबीई संख्या 4685888/23.03.2016, 5773104/27.06.2016 और 6004253/ 15.07.2016 के द्वारा उक्त माल का का आयात 22,00,409/- रुपए की एडीडी की वसूली एवं भुगतान के बिना किया था।

आयुक्तालय मैसर्स मनीषा फार्मो प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड से सम्बंधित बी/ई संख्या 4685888/23.03.2016 के सम्बंध में 6,48,476/- रुपये की राशि, और मैसर्स सुभादा पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित बी/ई संख्या 6004253/15.07.2016 के सम्बंध में 9,94,490/- रुपए के एडीडी की गैर- उगाही की सीमा तक सहमत है।

मैसर्स द सुप्रीम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में बीई सं. 5773104/27.06.2016, माल की जांच के समय, डॉक अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है मैनुअल चालान के माध्यम से 5.57 लाख का एडीडी भुगतान किया गया है।

शेष दो मामलों में एडीडी की कम वसूली और भुगतान न करने, मांग और वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

<u>अधिसूचना संख्या 57/2015 दिनांक 04.12.2015 के अनुसार</u>

लेखापरीक्षा ने देखा कि मेसर्स सुप्रीम इंडस्ट्रीज और आरआर एंटरप्राइजेज ने उक्त माल का आयात बीई संख्या 5281671/16.05.2016 और

5388717/25.05.2016 के तहत क्रमशः बिना 81,40,191/- रुपए एवं 23,569/- रुपए के एडीडी के किया था।

आयुक्तालय सहमत है, दोनों ही मामलों में आयातकों को एससीएन दिनांक दिनांक 03.08.2020 एडीडी की कम लेवी या गैर-लेवी से संबंधित राशि के लिए जारी किए गए हैं।

मंत्रालय की टिप्पणियां: इस संबंध में आगे जवाब क्षेत्रीय कार्यालय से उत्तर उत्तर प्राप्त होने पर यथासमय प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

<u>अल्युमिनियम फॉयल</u>

आयुक्तालय सीआरए से सहमत है। मेसर्स सिद्धी प्रोडक्ट्स के बीई नं. 4095328/21.11.2017 के मामले में, आयातक ने निकासी के समय चालान संख्या 2020544469 दिनांक 14.12.2017 के द्वारा प्रणाली में 8,62,000/- रुपये की राशि के एडीडी का भुगतान किया है।

मेसर्स टाइमेक्सबोड इंडस्ट्रीज के बीई नं. 4146084/25.11.2017 के मामले में, घोषित विवरण "रंग लेपित एल्यूमिनियम फोइल इनवॉइस मोटाई 0.042 मिमी = 42 माइक्रोन के अनुसार" है। बोर्ड के परिपत्र 42/2017 दिनांक 22.11.2017 के अनुसार, बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि रंग लेपित एल्युमिनियम फॉयल डंपिंग रोधी शुल्क के दायरे से बाहर है। उस सीमा तक लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार्य नहीं है।

बोर्ड के परिपत्र 42/2017 दिनांक 22.11.2017 के अनुसार, बोर्ड ने स्पष्ट स्पष्ट किया है कि रंग लेपित एल्युमिनियम फॉयल एंटी डम्पिंग ड्यूटीके दायरे से बाहर है। उस सीमा तक लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार्य नहीं है।

<u>टोलुएन डि-आइसोसायनेट (टीडीआई)</u>

लेखापरीक्षा ने देखा कि अधिसूचना सं. 25/2017-सीस एडीडी दिनांक 05.06.2017 के द्वारा चीन और कोरिया से टीडीआई पर 6 आयातकों से संबंधित 12 बीई के संबंध में वसूलनीय एडीडी की गैर-वसूली के बारे में इंगित किया गया था।

आयुक्तालय मेसर्स ह्यूबर ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीई संख्या 2371104/08.07.2017 के मामले में परिमाणीकरण की सीमा तक सीआरए से आंशिक रूप से सहमत है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि एडीडी क्रमांक 8 पर @ 0.40 यूएसडी/किग्रा के स्थान पर क्रमांक 7 पर @ 0.17 यूएसडी/किग्रा पर लागू है, क्योंकि निर्यातक आयात दस्तावेजों के अनुसार, मै. आईएमएस कॉर्पोरेशन, कोरिया और निर्माता मैसर्स हनवा केमिकल कंपनी लिमिटेड, कोरिया हैं, सीओओ प्रमाणपत्र संख्या K001-17-0445287 दिनांक 16.06.2017 है। इसलिए कुल कम लेवी 43,58,43,58,094/- रुपए की कम वसूली हुई है।

43,58, 43,58,094/- रुपए की पूरी राशि वसूल ली गई है। इसके अलावा, डीजी (सिस्टम) से निर्माता/ विनिर्माता के नाम की घोषणा करने के लिए बीई में अलग फील्ड बनाने का अनुरोध किया जा रहा है।

<u>पोर्सिलीन टाइलें</u>

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मैसर्स थियोडोरा इम्पेक्स और 10 अन्य आयातकों ने उपरोक्त प्रकार के चीनी मिट्टी के बरतन टाइलों को 14 बीई के माध्यम से बिना एडीडी लगाए आयात किया। इसके परिणामस्वरूप 34.87 लाख रुपए की एडीडी की गैर-लेवी हुई।

आयुक्तालय सीआरए से आंशिक तौर पर सहमत है। 12 बीई के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उन मामलों में एडीडी लागू नहीं है, क्योंकि 09 मामलों में आयातित माल या तो फुल बॉडी पोर्सिलेन टाइलें या माइक्रो क्रिस्टल टाइलें थीं जिन्हें एडीडी अधिसूचना के दायरे से बाहर रखा गया है। दो मामलों में, निकासी के समय मैनुअल चालान द्वारा एडीडी का भुगतान किया गया था और शेष एक मामले में माल एडीडी के दायरे से बाहर रखे गए कुछ निर्माताओं द्वारा निर्मित पाया गया था।

मेसर्स त्रिशक्ति ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज द्वारा बीई नं. 2452056/14.07.2017 2452056/14.07.2017 और मेसर्स अवतार मोटल्स एंड सिने प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर बीई नं. 5275778/19.02.2018 के मामलों में, एससीएन 04.08.2020 को जारी किए गए हैं।

शीट ग्लास

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मेसर्स एके ट्रेडर्स एवं अन्य 6 आयातकों से संबंधित 19 बीई के मामले में; चीन से शीट ग्लास का आयात किया गया और बिना एडीडी लगाए उसे मंजूरी मिली। इसके परिणामस्वरूप 41.46 लाख रुपए की एडीडी की गैर-लेवी हुई।

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत नहीं है। वर्तमान मामले में सीटीएच 70042011 और 70042019 के तहत वर्गीकृत वस्तुओं पर एडीडी लागू हैं। जबकि, संदर्भाधीन 19 बीई के तहत आयात की सभी वस्तुओं को सीटीएच 70049099 के तहत वर्गीकृत किया गया है।

नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 01 मामले में आयातक ने 'डिप्ड नाइलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक' विवरण के रूप में घोषित माल को निकाल लिया है और बिना एडीडी लगाए उसे मंजूरी दे दी गई है। इसके परिणामस्वरूप 17,41,125.54/- रुपए की एडीडी की गैर-वसूली हुई।

आयुक्तालय सीआरए से सहमत है। आयातक को दिनांक 21.02.2019 को कम प्रभार सह कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इस मामले में दिनांक 31.12.2019 को आदेश जारी किया गया। हालांकि, सीमा शुल्क आयुक्त आयुक्त (अपील), मुंबई जोन II के पास अपील दायर की गई है, जो बोर्ड के परिपत्र संख्या 1023/11/2016 सीएक्स दिनांक 08.04.2016 के पैरा 5.2 के अनुसार उक्त मूल-आदेश को अलग करने के लिए दायर की गई है। उक्त अपील का परिणाम लंबित है।

मंत्रालय की आगे की टिप्पणियां: इस संबंध में आगे का उत्तर फील्ड फॉर्मेशन फॉर्मेशन से प्राप्त होने पर उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।

फाइबर ग्लास

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मेसर्स किंग्फा साईंस एंड टेक्नोलॉजी (इंडिया) एवं अन्य 4 आयातकों से संबंधित 7 बीई के मामले में; चीन से शीट ग्लास का आयात किया गया और बिना एडीडी लगाए उसे मंजूरी मिली। इसके परिणामस्वरूप 25.19 लाख रुपए की एडीडी की गैर-वसूली हुई।

आयुक्तालय सीआरए से सहमत है। मैसर्स ओके ग्लास फाइबर प्राइवेट लिमिटेड के एक मामले में बीई संख्या 9810345/04.05.2017 द्वारा निकासी के के समय मैनुअल चालान पर एडीडी का भुगतान किया गया है। शेष छह बीई के मामले में; 01.03.2018 को कम प्रभार नोटिस जारी किया गया था। न्यायनिर्धारण प्रक्रियाधीन है।

मंत्रालय की आगे की टिप्पणियां: इस संबंध में आगे का उत्तर फील्ड फॉर्मेशन फॉर्मेशन से प्राप्त होने पर उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।

<u>क्लीयर फ्लोट ग्लास</u>

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एक मामले में मेसर्स नवदुर्गा सेल्स कार्पोरेशन ने सऊदी अरब से क्लियर फ्लोट ग्लास (4-12 मिमी) का आयात किया और बिना एडीडी लगाए उसे मंजूरी दी गई। इसके परिणामस्वरूप 4.59 लाख रुपए की एडीडी की गैर-वसूली हुई।

आयुक्तालय सीआरए से सहमत है। 06.02.2019 को आयातक को कम प्रभार नोटिस जारी किया गया और निर्णय प्रक्रियाधीन है।

मंत्रालय की आगे की प्रस्तुतियाँ: कुल दो आयातक अर्थात (1) मेसर्स नवदुर्गा सेल्स कार्पोरेशन और (2) मेसर्स समर्थ मैसर्स नवदुर्गा सेल्स कार्पोरेशन ने मैनुअल चालान संख्या 317 दिनांक 17.05.2017 के माध्यम से 4,59,310/- रुपये की राशि का भुगतान किया है। मेसर्स समर्थ इंडस्ट्रीज ने मैनुअल चालान संख्या एचसी 274 दिनांक 05.05.2015 के तहत 9,02,809/- रुपये का भुगतान किया है।

<u>स्टाइरीन बुटाडिएन रबर</u>

लेखापरीक्षा ने देखा कि 5 आयातकों द्वारा दायर 6 बीई से संबंधित स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर (एसबीआर) के आयात पर एडीडी का भुगतान एडीडी अधिसूचना संख्या 43/2017 दिनांक 30.08.2017 के अनुसार नहीं किया गया था। जिससे 22.36 लाख रुपए की एडीडी की गैर उगाही हुई ।

आयुक्तालय सीआरए से सहमत नहीं है। अधिसूचना संख्या 43/2017 दिनांक 30.08.2017 के अनुसार, एडीडी केवल "1500 श्रृंखला और 1700 श्रृंखला के स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर (एसबीआर)" पर लागू है। इसके अलावा एडीडी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से 1900 श्रृंखला के स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर

और सोल्यूशन एसबीआर को शामिल नहीं किया गया है। माल का बी/ई वार विवरण नीचे दिया गया है:

बीई सं./तिथि	निर्यातक का नाम	घोषित विवरण
04.09.2017/3090937	हिंदुस्तान कोल्स प्रा . लिमिटेड	स्टाइरिन बुटादीन रबर ब्लॉक कोपोलिमर 401
11.09.2017/3196321	नॉर्टन एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड	स्टाइरिन बुटाडीन रबर ग्रेड और स्टाइरिन बुटाडीन 4115 501स्टाइरिन ग्रेड
09.09.2017/3168085	केएलजे पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	स्टाइरिन बुटाडीन स्टाइरिन ग्रेड 501
04.09.2017/3155497	टेक्सटाइल रबर एंड केमिकल कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	) 70 24- कम स्टाइरीन ब्यूटाडीन जलीय फैलाव का कॉपोलीमर(
04.09.2017/3097245 11.09.2017/3194625	सिएट लिमिटेड्	2-4526 स्टाइरिन बुटाडीन रबर 4601

यह देखा जा सकता है कि बी/ई नं. 3194625/ 11.09.2017 के द्वारा, मेसर्स सिएट लिमिटेड ने "स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर - BUNA*SB1739-SCHKOPAU" का भी आयात किया था। जैसा कि माल के विवरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये दोनों वस्तुएँ 1700 श्रृंखला की थीं। इसलिए आयात के समय इन मदों पर पाटनरोधी शुल्क का विधिवत निर्वहन किया गया था। इससे यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन वस्तु अर्थात "स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर SPRINTAN SLR 4601 SCHKOPAU" पर एडीडी देय क्यों नहीं है।

बीएस/ई में घोषित विवरण की जांच और विचाराधीन माल के तकनीकी राइट-अप पर यह देखा गया है कि प्रश्नाधीन माल 1500 या 1700 श्रृंखला के एसबीआर के अलावा अन्य हैं। अत: एडीडी लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अत: लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीहकार नहीं है।

<u>लचीला स्लैबस्टॉक पॉलीओल</u>

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयातकों मेसर्स डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और 4 अन्य ने पॉलीओल के लचीले स्लैब स्टॉक का आयात

किया है, जिसका आणविक भार 3000 से 4000 के बीच है, जिसका देश या मूल 'ईयू', 'ऑस्ट्रेलिया' और 'सिंगापुर' एडीडी अधिसूचना संख्या 09/2015 दिनांक 07.04.2015 के द्वारा कवर किया गया है , जो सीटीएच 390720 के अंतर्गत आता है, जहां एडीडी नहीं लगाया गया है। उपरोक्त आयातकों पर एडीडी एडीडी का आरोपण न करने सें रु. 52.82 लाख की एडीडी राशि कम/नहीं वसूली गई ।

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत है।

हालांकि, इस पैरा में शामिल बी/ई की संख्या केवल 23 है जो दिनांक 27.07.2018 के एएम नंबर 22 में सूचीबद्ध थे। सीआरए द्वारा एएम 22 में उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार, जेएनसीएच के केवल 23 बी/ई हैं, जिनकी कुल कम लेवी राशि 52.82 लाख रुपये है। डीएपी में, बी/ई की संख्या 33 के रूप में उल्लिखित पाई गई है लेकिन राशि 52.82 लाख (एएम के समान)।है चूंकि 23बी/ई की कुल राशि पैरा में उल्लिखित राशि से मेल खाती है, ऐसा प्रतीत होता है कि डीएपी के अनुलग्नक-II में 33 बी/ई (23 के बजाय) का उल्लेख अनजाने में टाइप हुआ है। इसलिए, इसके लिए मिलान की आवश्यकता है।

एएम नंबर 22 के तहत आने वाले आयातकों को एससीएन नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जारी किया गया है:

(i) मेसर्स डॉव केमिकल इंटरनेशनल प्रा.लिमिटेड से संबंधित 15 बी/ई- धारा 28 के तहत 47,07,647/- रुपए का कम प्रभार सह मांग नोटिस 27.12.2018 को आयातक को जारी किया गया है। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। 03.08.2020 को एससीएन जारी कर दिया है।

(ii) शीला फोम प्रा. लिमिटेड से संबंधित 04 बी/ई: धारा 28 के तहत 2,86,

(ii) मेसर्स शीला फोम प्रा. लिमिटेड से संबंधित 04 बी/ई: धारा 28 के तहत 2,86,768/-रुपए का कम प्रभार सह मांग नोटिस 27.12.2018 को आयातक को जारी किया गया है। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। 03.08.2020 को एससीएन जारी कर दिया है।

(iii) मेसर्स मोका बिजनेस प्रा.लि. से संबंधित 01बी/ई: धारा 28 के तहत 71,977/-रुपए का कम प्रभार सह मांग नोटिस 27.12.2018 को आयातक को जारी किया गया है। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। 03.08.2020 को एससीएन जारी कर दिया है।

(iv) मेसर्स वित्राग फोम प्रा.लिमिटेड से संबंधित 2 बी/ई: धारा 28 के तहत 1,43,954/- रुपए का कम प्रभार सह मांग नोटिस 27.12.2018 को आयातक को जारी किया गया है। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। 03.08.2020 को एससीएन जारी कर दिया है।

(v) मेसर्स एसडी पॉलीमर इंडस्ट्रीज से संबंधित 01 बी/ई: धारा 28 के तहत 71,977/-रुपए का कम प्रभार सह मांग नोटिस 27.12.2018 को आयातक को जारी किया गया है। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। एससीएन दिनांक 03.08.2020 जारी किया गया है।

<u>इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर</u>

लेखापरीक्षा के अनुसार, दिनांक 29.05.2015 की अधिसूचना संख्या 24/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) के अनुसार आयातित इलेक्ट्रॉनिक कैलक्यूलेटर को पाटन रोधी शुल्क (एडीडी) लगाए बिना मंजूरी दे दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप □ 80.09 लाख की राशि के पाटन रोधी शुल्क की गैर-वसूली हुई।

लेखापरीक्षा ने देखा है कि मै. पुश ब्राइट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा लिमिटेड ने बिल ऑफ एंट्री नंबर 2511886/19.07.2017 के माध्यम से मै. आयरे डिजाइन (ओपीसी) प्रा. लिमिटेड ने बी/ई संख्या 3168063/03.10.2017 और मैसर्स मैक्सवुड इंडस्ट्रीज ने बी/ई नंबर 9342165/17.04.2017 के माध्यम से 8032281/-□ के एंटी डम्पिंग ड्यूटीका भुगतान किए बिना माल का आयात किया है।

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत है।

(i) कारण बताओ नोटिस नं. एफ.सं. एस/26-विविध-17221/जीआर वीए/जेएनसीएच सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28(4) के तहत मेसर्स पुशब्राइट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 28एए के तहत लागू ब्याज के साथ ₹0.09 लाख रुपये की एंटी डम्पिंग ड्यूटीके लिए को जारी किया गया है।

(ii) कम प्रभार मांग एफ.सं S/26-Misc-35/2018-19 Gr.II AF दिनांक 18.03.2018 से जारी की गई थी। मामले का निर्णय मूल-आदेश संख्या

975/2019-20/एसी/एनएस-आई/सीएसी/जेएनसीएच दिनांक 18.03.2020 के द्वारा द्वारा 30.03.2020 को जारी किया गया।

(iii) कम प्रभार मांग एफ.सं S/26-Misc-1143/2018-19 Gr.II (H-K) दिनांक 24.04.2018 से जारी की गई थी। आयातक ने मैनुअल चालान संख्या एचसी.37 और एचसीएम 145 दोनों दिनांक 05.08.2020 के द्वारा 193/- रुपए के ब्याज के साथ 322/- रुपये के एडीडी का भुगतान किया।

<u>विटामिन ई</u>

अधिसूचना संख्या 29/2015 दिनांक 10.06.2015 के अनुसार चीन से विटामिन ई के आयात पर एडीडी की गैर-वसूली। लेखापरीक्षा ने 5 आयातक वाली 3 बी/ई में 14,13,215/- रुपए के एडीडी की कुल कम उगाही की ओर इंगित किया है।

आयुक्तालय लेखापरीक्षा से आंशिक तौर पर सहमत है।

मै. ऐस फार्मा की बी/ई संख्या 2258181 दिनांक 17.08.2015 में 341698.50 रुपए के एडीडी की कम वसूली मानी गई है। आयातक द्वारा 341698/- रुपए का एडीडी और 66898/- रुपए का व्याज चालान सं. एचसी 538 और एचसीएम 554 दोनों दिनांक 20.10.2016 के द्वारा अदा किया गया था।

शेष 6 मामलों में से, 5 बी/ई में, जैसा कि नीचे दिया गया है, आयातित माल को 'विटामिन ई 50% फीड ग्रेड' के रूप में घोषित किया गया है। हालांकि, अधिसूचना संख्या 29/2015 दिनांक 10.06.2015 के अनुसार, एडीडी केवल 'विटामिन ई 100% ग्रेड' पर लागू है। इसलिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित बी/ई पर एडीडी लागू नहीं है:

संख्या .	बी/ई संख्या और तिथि	आयातक	बी/ईएस . में यथा घोषित विवरण किया गया है
1	**9686552/24.06.15**	मेडी फार्मा ड्रग हाउस	विटामिन ई ***50%*** फ़ीड (पशु मूल पदार्थ शामिल नहीं हैं*)*
2	**4074046/29.01.16**	ब्रायोसिस सॉफ्ट कैप्स प्राइवेट	मिश्रित टोकोफेरोल %50

संख्या .	बी/ई संख्या और तिथि	आयातक	बी/ईएस . में यथा घोषित विवरण किया गया है
		लिमिटेड	
3	6368737/17.08.16	ब्रायोसिस सॉफ्ट कैप्स प्राइवेट लिमिटेड	मिश्रित टोकोफेरोल %50 (केवल औद्योगिक उद्देश्य के लिए)
4	8423905/03.02.17	मेहता वेट केम	विटामिन ई %50 (चिकित्सकीय उपयोग के लिए नहीं) (किसी भी प्रकार के भोजन की तैयारी के लिए नहीं)
5	9889557/ 30.05.17	ब्रायोसिस सॉफ्ट कैप्स प्राइवेट लिमिटेड	विटामिन प्राकृतिक %50 (केवल औद्योगिक उद्देश्य के लिए)

बी/ई संख्या 2554576 दिनांक 22.07.2017 (मैसर्स, बायो-वेट इंडस्ट्रीज) वाले एक मामले में लंबित परीक्षण रिपोर्ट के लिए बी/ई का अनंतिम रूप से मूल्यांकन किया गया था। परीक्षण के परिणामों के अनुसार मामले को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसलिए इस स्तर पर यह निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि एडीडी की कम उगाही है। अंतिम रूप देने के समय, लागू एडीडी का निर्धारण और वसूली की जाएगी। परीक्षण रिपोर्ट के लिए मामला डीवाईसीसी के साथ सक्रिय अनुनय के अधीन है।

<u>शुद्ध टेरेफ्थेलिक एसिड</u>

अधिसूचना संख्या 23/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27.05.2015 के अनुसार, सीटीएच 29173600 के अंतर्गत आने वाले शुद्ध टेरेफ्थेलिक, एसिड', जो चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ, कोरिया आरपी और थाईलैंड से उत्पन्न या निर्यात किया जाता है, पर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगेगा।

मैसर्स आलोक इंडस्ट्रीज ने संबद्ध वस्तुओं की 21 खेपों का आयात किया है और गलत क्रमांक के तहत एडीडी का भुगतान किया है जिसके परिणामस्वरूप 1,54,62,592/- रुपए के एडीडी की कम वसूली हुई।

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत है।

मेसर्स आलोक इंडस्ट्रीज को 24.08.2017 को पत्र जारी कर उन्हें अंतर शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था लेकिन आयातक ने कम लेवी का भुगतान नहीं किया है। इसलिए, 05.09.2018 को आयातक को फा.सं. S/26/MISC-674/2018-19/Grp-IIA-F द्वारा कारण बताओ नोटिस संख्या 899/2018-19/Grp-I(AF) JNCH जारी किया गया जिसमें कुल 24 बिल ऑफ एंट्री के संबंध में 3,03,87,5271-रुपये की मांग की गई थी, जिसमें ये 21 बिल ऑफ एंट्री भी शामिल हैं । उक्त एससीएन का निर्णय सीमा शुल्क आयुक्त, एनएस-I द्वारा किया गया था, जिन्होंने मूल-आदेश संख्या 07/2019-20/Commr/NS-1/JNCH दिनांक 26.04.2019 के तहत मांग को इस आधार पर छोड़ दिया था कि निर्माता/आपूर्तिकर्ता और आयातक के बीच तीसरी इकाई पर आपूर्तिकर्ता या निर्यातक के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनकी भूमिका केवल वित्तपोषक के रूप में सीमित है क्योंकि उन्होंने आयातक के नाम पर चालान तैयार किया है और उत्पाद/आपूर्तिकर्ता ने इन तीसरी संस्थाओं के नाम पर चालान किया था। आलोक इंडस्ट्रीज के साथ अपने समझौते के आधार पर, इन संस्थाओं ने बैंकिंग लेनदेन की सुविधा के लिए क्रेडिट सम्बंधी पत्र खोले हैं और इन लेनदेन में उनकी स्थिति आयातक के साथ विलय हो गई है न कि आपूर्तिकर्ता/निर्माता के साथ।

उक्त मूल-आदेश की समीक्षा मुख्य आयुक्तों की समिति द्वारा समीक्षा आदेश संख्या 03/2019-20 के तहत इस आधार पर की गई है कि इस विषय में माल आपूर्तिकर्ता/निर्माता द्वारा मध्यवर्ती संस्थाओं को बेचा गया है और माल माल का स्वामित्व इन संस्थाओं को हस्तांतरित हो जाता है। इस प्रकार, मध्यवर्ती संस्थाएं उन वस्तुओं की निर्यातक बन जाती हैं, जिन्हें आयातक मेसर्स आलोक इंडस्ट्रीज के नाम पर चालान बनाकर भारत को अंततः निर्यात किया गया था, जिसके कारण निर्यातक और उत्पादक संयोजन एडीडी की कम दरों का लाभ उठाने के पात्र लोगों से अलग हो जाते हैं। विभाग ने सीईएसटीएटी में अपील दायर की है। मामला अपील में लंबित है।

<u>डिसोडियम कार्बोनेट/सोडा ऐश</u>

डीएपी संख्या 98/2017-18 के तहत चीन, यूरोपीय संघ और ईरान से 'सोडा ऐश' पर अधिसूचना संख्या 34/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 03.07.2012 के तहत एडीडी की गैर उगाही को 18 प्रविष्टि बिलों के संबंध में इंगित किया गया था। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्रम संख्या	बीई संख्या एवं तिथि	सीओओ	सीओ	क्रम अधिसूचना संख्या	कम अदा किया एडीडी
मैएनएस घोंगडे .					
1	2055047 दिनांक 28.07.2015	रोमानिया	रोमानिया	7	25275
मै.लि .एरोकेम इंडस्ट्रीज प्रा .					
2	दिनांक 9462342 04.06.2015	चीन	चीन	1	244809
आर. आरइन्नोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड .					
3	दिनांक 3746879 29.12.2015	ईरान	ईरान	11	380606
कलरबॉक्स एग्जिम प्रा.लि.					
4	दिनांक 4256031 2016 15.02	ईरान	यू .ई.ए.	10	191028
5	दिनांक 4503208 08.03.2016	ईरान	यू .ई.ए.	10	195757
6	दिनांक 4569068 14.03.2016	ईरान	यू .ई.ए.	10	118141
पीबी ग्लोबल लि.					
7	दिनांक 8305685 24.01.2017	*रोमानिया*	*रोमानिया*	7	324744
8	*दिनांक 8305688 24.01.2017*	*रोमानिया*	*रोमानिया*	7	*324744*
9	*दिनांक 8579095 16.02.2017*	*रोमानिया*	*रोमानिया*	7	*321454*
10	*दिनांक 8754963 03.03.2017*	*रोमानिया*	*रोमानिया*	7	*317930*
11	*दिनांक 9357947 18.04.2017*	*रोमानिया*	*रोमानिया*	7	*120861*
12	*दिनांक 9357956 18.04.2017*	*रोमानिया*	*रोमानिया*	7	*309705*

13	*9358981दिनांक 18.04.2017*	*रोमानिया*	*रोमानिया*	*7*	*338410*
14	*दिनांक 9469254 27.04.2017*	*रोमानिया*	*रोमानिया*	*7*	*246448*
15	*दिनांक 9578208 05.05.2017*	*रोमानिया*	*रोमानिया*	*7*	*274605*
16	*दिनांक 9624260 09.05.2017*	*रोमानिया*	*रोमानिया*	*7*	*122378*
17	*दिनांक 9624292 09.05.2017*	*रोमानिया*	*रोमानिया*	*7*	*298484*
18	*दिनांक 9702434 16.05.2017*	*रोमानिया*	*रोमानिया*	*7*	*244756*

आयुक्तालय लेखापरीक्षा से आंशिक तौर पर सहमत है।

मैसर्स आरआर इनोवेटिव प्राइवेट आईटीडी, बी/ई नंबर 3746879 दिनांक 29.12.2015 के मामले में, आयातक ने मैनुअल चालान एचसी-946 दिनांक 30.12.2015 के माध्यम से 3,80,606/- रुपये के लागू एडीडी का भुगतान किया है। इसलिए कोई कम लेवी नहीं।

इसलिए 17 बिल ऑफ एंट्री के लिए एडीडी की सही कुल कम लेवी 40,19,530/- रुपए है।

मैसर्स एनएस घोंगाडे के मामले में, एक (1) बिल ऑफ एंट्री नंबर 2055047 दिनांक 28.07.2015 के लिए 25,275/- रुपये के एडीडी के कम भुगतान के लिए, आयातक ने 44,944/- रुपए के एडीडी और ब्याज राशि के भुगतान के लिए डीडी नंबर 410899 दिनांक 10.08.2020 प्रस्तुत किया है।

मैसर्स अरोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, मांग पत्र दिनांक 03.10.2018 जारी किया गया था और उन्होंने मैनुअल चालान संख्या एचसीएम-2696 दिनांक 28.12.2018 के तहत 2,44,809/- रुपए की मूल राशि और 132660/- रुपये के ब्याज का भुगतान किया है।

मैसर्स कलरबॉक्स एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड के मामले में दिनांक 08.01.2018 का मांग पत्र जारी किया गया था। आयातक ने कम लेवी और एडीडी को स्वीकार किया है, आयातक ने मैनुअल चालान एचसी-109 दिनांक 13.08.2020 के माध्यम से 3 प्रविष्टि बिलों के संबंध में 5,04,926/- रुपये के के एडीडी और मैनुअल चालान एचसीएम-589 दिनांक 13.08.2020 के तहत 3,38,835/- रुपये के ब्याज का भुगतान किया है।

मैसर्स पीबी ग्लोबल लिमिटेड के मामले में , मांग पत्र दिनांक 08.01.2018 जारी किया गया था। 12 प्रविष्टि बिलों 8305685 दिनांक 24.01.2017, 8305088 दिनांक 24.01.2017, 8579095 दिनांक 16.02.2017, 8754963 दिनांक 03.03.2017, 9357947 दिनांक 18.04.2017, 9357956 दिनांक 18.04.2017, 9469254 दिनांक 27.04.2017, 9578208 दिनांक 05.05.2017, 9624260 दिनांक 09.05.2017, 9624292 दिनांक 09.05.2017 दिनांक 9702434 दिनांक 16.05.2017 के लिए कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने पर 32,44,519/- रुपए के एडीडी के कम लेवी के लिए कारण बताओ नोटिस दिनांक 11.08.2020 जारी किया गया है।

<u>ग्राइंडिंग मीडिया बॉल</u>

अधिसूचना संख्या 36/2012-सीमा शुल्क-एडीडी दिनांक 16.07.2012 के अनुसार, ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 73 के अंतर्गत आते हैं, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन पीआर या थाईलैंड, में उत्पन्न या निर्यात किए जाते हैं और भारत में आयातित हैं, उन पर अधिसूचना में निर्दिष्ट दरों पर एंटी-डंपिंग शुल्क (एडीडी) लगेगा।

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत नहीं है।

पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट के दौरान मैसर्स जेके सीमेंट लिमिटेड की सम्बंधित बी/ई नं. 4415495 दिनांक 29.02.2016 को पीसीए अनुभाग द्वारा एफ.सं. S/2 PCAO-70/2017-18/JNCH दिनांक 02.05.2017 के तहत उठाया गया था। आयातक ने एचसी नंबर 83/06.7.2017 और एचसीएम नंबर 333/06.06.2017 के तहत लागू ब्याज और जुर्माना राशि के साथ-साथ 23,25,666/- रूपए के एंटी-डंपिंग शुल्क के भुगतान का अनुपालन किया है।

<u>मेलामाइन</u>

अधिसूचना संख्या 48/2012-सीशु एडीडी दिनांक 08.10.2012 के अनुसार 'मेलामाइन' जो अध्याय 29 के अंतर्गत आता है, जो यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया और जापान में उत्पन्न या निर्यात किया जाता है और भारत में आयात किया जाता है, उस पर उस दर से एडीडी लगेगा जो उक्त

अधिसूचना के कॉलम (8) में तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित राशि और माल के के पहुंच मूल्य के बीच के अंतर के बराबर है।

इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 02/2016- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 28.01.2016 के अनुसार जो 'मेलामाइन' टैरिफ मद 29336100 के अंतर्गत आता है, जो चीन के जनवादी गणराज्य में उत्पन्न या निर्यात किया जाता है, और भारत में आयात किया जाता है, उस पर उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट दर पर एंटी डम्पिंग ड्यूटीलगेगा।

इस संबंध में, 06 आयातकों ने 10 बिल ऑफ एंट्री के माध्यम से संबद्ध देशों से मेलामाइन का आयात किया है जैसा कि उपरोक्त अधिसूचनाओं में में निर्दिष्ट है और उन्हें एंटी डम्पिंग ड्यूटी के भुगतान के बिना मंजूरी दे दी गई गई थी जिसके परिणामस्वरूप 38.51 लाख रुपये के एडीडी की कम उगाही हुई।

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत है।

i) मेसर्स जयदीप एजेंसियों के बीई संख्या 9271306 दिनांक 18.05.2015 के मामले में , लागू एडीडी का भुगतान चालान संख्या 2305 दिनांक 21.05.2015 के माध्यम से ओओसी अधिकारी द्वारा परीक्षा रिपोर्ट में पृष्ठांकित के रूप में आउट ऑफ चार्ज से पहले किया गया था।

ii) मैसर्स पार्थ केम इम्पेक्स प्रा. लिमिटेड की 02 बीई (संख्या 2748516 दिनांक 20.09.2015और 2748521 दिनांक 29.09.2015) में बॉन्ड और बीजी के समक्ष मूल्यांकन अनंतिम रूप से किया गया है लागू एडीडी निर्धारण को अंतिम रूप देने के समय लगाया और एकत्र किया जाएगा। अतः कोई कम वसूली नहीं की गई।

iii) मेसर्स एक्ज़िम इनकॉर्पोरेशन के बिल ऑफ़ एंट्री नंबर 5665433 दिनांक 21.03.2018 में, निर्धारण अधिसूचना संख्या 11/2018-सीशु एडीडी दिनांक 20.03.2018 के अनुसार अनंतिम रूप से किया गया था क्योंकि आपूर्तिकर्ता मैसर्स फोसान कैसिनो बिल्डिंग मैटीरियल कम्पनी लि. था। अधिसूचना संख्या 34/2019-सीशु एडीडी दिनांक 06.09.2019 के अनुसार इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

iv) मैसर्स सोनकमल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के बिल ऑफ एंट्री नंबर 8569426 दिनांक 15.02.2017 में, एडीडी की वसूली 1,35,432/-रुपये है।

v) मेसर्स सोनकमल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, एससीएन दिनांक 07.08.2020 के बिल ऑफ एंट्री नंबर 8568982, 8569158 और 8569251 में सभी दिनांकित 15.02.2017 को 4,03,755/- रुपये की वसूली के लिए जारी किया गया, जो न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है।

vi) मैसर्स भारत रेजिन्स प्राइवेट लिमिटेड के बिल ऑफ एंट्री नंबर 7970647 दिनांक 26.12.2016 में 64,279/-रुपए के ब्याज के साथ 3,51,488/- रुपए का एडीडी वसूल लिया गया है।

vii) मेसर्स मेहर टेबल वेयर प्राइवेट लिमिटेड के बिल ऑफ एंट्री नंबर 9523294 दिनांक 10.06.2015 में 8,68,877/-रुपये की वसूली के लिए एससीएन दिनांक 07.08.2020 जारी किया गया है, जो न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है।

<u>मीथाइलीन क्लोराइड</u>

अधिसूचना संख्या 24/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 21.05.2014 के अनुसार, जो मीथाइलीन क्लोराइड सीटीएच 290312 के अंतर्गत आता है, जो यूरोपीय संघ से उत्पन्न या निर्यात किया जाता है, उस पर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगेगा।

इस मामले में, 4 आयातकों ने एडीडी के भुगतान के बिना जर्मनी, स्पेन, चीन और नीदरलैंड से 7 बिल ऑफ एंट्री के संबंध में संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, जिसके परिणामस्वरूप 5,07,176/- रुपये की राशि के शुल्क की कम उगाही हुई।

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत है लेकिन कुल कम लेवी लेखापरीक्षा की मात्रा 5,07,176/- रुपए के मुकाबले 5,08,210/- रुपए बनती है।

7 बीई में से केवल 6 बीई के निर्यातक देश हैं और सीओओ यूरोप (जर्मनी, स्पेन और नीदरलैंड) है, इसलिए, 2,94,853/- रुपए की एडीडी की कम वसूली स्वीकार्य है।

क्रमें संख्या	आयातक(मैसर्स)	बीई संख्या/तिथि	एडीडी राशि
1	हनीवेल इंतरनेशनल इंडिया .लि (.प्रा)	10.10.2017/3564999	-/315

क्रम संख्या	आयातक(मैसर्स)	बीई संख्या/तिथि	एडीडी राशि
2	हनीवेल इंतरनेशनल इंडिया .लि (.प्रा)	01.11.2017/3834833	-/377
3	हनीवेल इंतरनेशनल इंडिया .लि (.प्रा)	दिनांक 5121952 08.02.2018	-/185
4	ग्रह विज्ञान	दिनांक 4718566 28.03.2016	-/2,30,776 रुपए है।
5	ग्रह विज्ञान	27.07.2017/2624153	-/54,220
6	केवा फ्रेग्रेन्सेस प्राइवेट लिमिटेड	11.07.2017/2390987	-/8891

मैसर्स आरती ड्रग्स लिमिटेड से संबंधित शेष 1 बीई (4127674 दिनांक 03.02.2016) का मूल देश चीन है और शिपमेंट का देश भी चीन है इसलिए, अधिसूचना संख्या 24/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 21.05.2014 लागू नहीं है। हालाँकि चीनी मूल के मिथाइलीन क्लोराइड पर अनंतिम एडीडी अधिसूचना संख्या 58/2015 दिनांक 08.12.2015के तहत लगाया गया था। इसलिए, 2,13,357/- रुपये का एडीडी अधिसूचना संख्या 58/2015 दिनांक 08.12.2015 @USD144.41/MT (ऑडिट की गणना के विरुद्ध @USD143.7/MT)के क्रमांक 1 के संदर्भ में विभिन्न अधिसूचना (डीएपी-98 में निर्दिष्ट के अलावा) के तहत लागू है।

उपरोक्त 7 के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है:

आयातक(मैसर्स)	बीई संख्या/तिथि	एससीएन मूल आदेश संख्या/और तारीख	वसूली (रुपए)
हनीवेल इंटरनेशनल इंडिया .लि (.प्रा)	10.10.2017/3564999	लागू नहीं	एडीडी रुपए 315 + 133.72 रुपए ब्याज
हनीवेल इंटरनेशनल इंडिया .लि (.प्रा)	01.11.2017/3834833	लागू नहीं	एडीडी रुपए 377 156.64 + रुपए ब्याज

आयातक(मैसर्स)	बीई संख्या/तिथि	एससीएन मूल आदेश संख्या/और तारीख	वसूली (रुपए)
हनीवेल इंटरनेशनल इंडिया .लि (.प्रा)	दिनांक 5121952 08.02.2018	लागू नहीं	एडीडी रुपए 185 69.34 + रुपए ब्याज
प्लेनेट साइन्स	दिनांक 4718566 28.03.2016	एससीएन दिनांक 07.08.2020 मांग 2,30,776 रुपए	न्यायनिर्धारण प्रक्रियाधीन है।
प्लेनेट साइन्स	27.07.2017/2624153	एससीएन दिनांक 07.08.2020 मांग -/54,220 रुपए	न्यायनिर्धारण प्रक्रियाधीन है।
केवा फ्रेग्रेन्सेस प्राइवेट लिमिटेड	11.07.2017/2390987	एससीएन दिनांक 07.08.2020 मांग -/8981 रुपए	न्यायनिर्धारण प्रक्रियाधीन है।
आरती ड्रग्स लि.	दिनांक 4127674 03.02.2016	एससीएन दिनांक 07.08.2020 मांग -/213357 रुपए	न्यायनिर्धारण प्रक्रियाधीन है।

<u>एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट</u>

लेखापरीक्षा ने चीन और कोरिया से 'एमोक्सिसिलिन' के आयात पर अधिसूचना संख्या 21/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 16.05.2017 के अनुसार एडीडी की कम लेवी को इंगित किया। लेखापरीक्षा के अनुसार शामिल एडीडी की कम लेवी 34,31,251/- रुपए है।

निम्नलिखित आयातकों ने एडीडी के भुगतान के बिना संबद्ध वस्तुओं की 03 खेपों का आयात किया जिसके परिणामस्वरूप 34,31,251/- रुपए के एडीडी की कम लेवी हुई है।

1. मैसर्स डीपीबी एंटीबायोटिक्स ने (1) बिल ऑफ एंट्री 9732811 दिनांक 18.05.2017 चीन से 19,53 000/- रुपये के एडीडी की कम लेवी के साथ आयात किया।

2. मैसर्स सागर रबर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने चीन से एक (1) बिल ऑफ एंट्री 2864424 दिनांक 16.08.2017 का आयात किया, जिससे 1,82,677/- रुपए के एडीडी की कम लेवी हुई है।

3 मैसर्स एसोसिएटेड बायोटेक ने चीन से 12,95, 3. मैसर्स एसोसिएटेड बायोटेक ने चीन से 12,95,574/- रुपये के एडीडी की कम लेवी के साथ बिल ऑफ एंट्री 4352133 दिनांक 11.12.2017 के तहत एक खेप का आयात किया।

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से आंशिक तौर पर सहमत है।

मैसर्स एसोसिएटेड बायोटेक ने चीन से एक (1) बिल ऑफ एंट्री 4352133 दिनांक 11.12.2017 का आयात किया और 45,70,079/- रुपए की कुल शुल्क राशि का भुगतान किया जिसमें आऊट ऑफ चार्ज से पहले 12,95,574/- रुपए के लागू एडीडी एवं 32,74,505/- रुपए का शुल्क चालान संख्या 2020838811 के माध्यम से 16.12.2017 को अदा किया हुआ शामिल है। इसलिए कोई कम लेवी नहीं।

1. मैसर्स डीपीबी एंटीबायोटिक्स के मामले में, मांग पत्र दिनांक 08.01.2018 और कारण बताओ नोटिस पत्र दिनांक 03.08.2020 को चीन से 19,53,000/- रुपये के एडीडी की कम लेवी के साथ बिल ऑफ एंट्री 9732811 दिनांक 18.05.2017 के लिए जारी किया गया।

2. मैसर्स सागर रबर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के मामले में, मांग पत्र दिनांक 08.01.2018 और कारण बताओ नोटिस दिनांक 03.08.2020 को चीन से दिनांक 16.08.2017 के बिल ऑफ

एंट्री 2864424 के लिए जारी किया गया था, जिसमें 1,82,677/- रुपए की कम लेवी की गई है।

<u>हाइड्रोजन पेरोक्साइड</u>

डीएपी संख्या 98/2017-18 के तहत 'हाइड्रोजन पेरोक्साइड' पर अधिसूचना संख्या 28/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 14.06.2017 के तहत लगाए गए एडीडी की गैर-वसूली को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है जिसमें तीन (03) आयातकों के सात (7) बिल ऑफ एंट्री के संबंध में कुल 10,53,130.35 रुपए की कम वसूली शामिल है

आयुक्तालय मैसर्स ओएसिस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के एक (01) बिल ऑफ एंट्री नंबर 2745912 दिनांक 08.05.2017 के मामले में ऑडिट आपत्ति से सहमत हैं, तथा 4,57,778/- रुपए की एडीडी की कम वसूली स्वीकार्य है। आयातक को मांग पत्र दिनांक 08.01.2018 जारी किया गया था। कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने पर, 457778/- रुपये की अतिरिक्त मांग के लिए कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.08.2020 जारी किया गया था।

मैसर्स केजेएल प्लास्टिसाइज़र के मामले में , बी/ई संख्या 2173929 दिनांक 21.06.2017, आयातक ने आऊट ऑफ चार्ज से पहले 445532/- रुपये के लागू एडीडी का भुगतान किया जो मैनुअल चालान एचसी-397 दिनांक 22.06.2017 के माध्यम सेकिया गया था। इसलिए कोई कम लेवी नहीं हुई।

मैसर्स अरोमा ऑर्गेनिक्स ली. के नीचे दिए गए शेष पांच (05) प्रविष्टि बिलों में आयातित माल को हाइड्रोजन पेरोक्साइड-खाद्य ग्रेड 'होषित किया गया है। अधिसूचना संख्या 28/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 14.06.2017 के अनुसार, जैसा कि प्रासंगिक समय पर लागू था, एडीडी की प्रयोज्यता "हाइड्रोजन पेरोक्साइड - 90% की सांद्रता और उससे ऊपर वाले खाद्य ग्रेड और इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड के अलावा " थी"। इसलिए एडीडी 90% और उससे अधिक की सांद्रता वाले खाद्य ग्रेड और इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड पर लागू नहीं होता है। इस संबंध में, अधिसूचना 14/3/2015 डीजीएडी (एफ.सं. 14/03/2018-डीजीएडी) दिनांक 11.04.2017 के तहत प्रकाशित अंतिम निष्कर्षों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसका पैरा 4 सी(जी) और 7 स्पष्ट रूप से पीयूसी के दायरे से खाद्य ग्रेड को बाहर करता है (अधिसूचना दिनांक 11.04.2017 के प्रासंगिक उद्धरण संलग्न हैं)। संबन्धित अधिसूचना 28/2017 सीमा शुल्क (एडीडी) के पैरा 1 दिनांकित 14.06.2017 में रिकॉर्ड है कि यह अधिसूचना संख्या 14.03.2015- DGAD दिनांक के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी के निष्कर्षों पर आधारित है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड (खाद्य ग्रेड) अधिसूचना 28/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 14.06.2017 के दायरे से बाहर है। चूंकि इस मामले में माल को खाद्य ग्रेड घोषित किया गया था, इसलिए एडीडी मैसर्स अरोमा ऑर्गेनिक्स आईटीडी के निम्नलिखित बिल ऑफ एंट्री पर लागू नहीं है:

बीई सं. 3776683 दिनांक 27.10.2017

बीई सं. 3665324 दिनांक 18.10.2017

बीई संख्या 2040177 दिनांक 10.06.2017

बीई संख्या 3536085 दिनांक 07.10.2017

बीई सं. 4133155 दिनांक 24.11.2017

<u>केबल टाईस</u>

अधिसूचना संख्या 47/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 09.12.2014 के तहत एडीडी चीन से आयातित और सीटीएच 3926 के अंतर्गत आने वाले 'केबल टाईस' पर नहीं लगाया गया है। उपरोक्त 27आयातकों पर 53 प्रविष्टि बिलों में एडीडी की वसूली न करने से 6.37 लाख रुपए की एडीडी की कम वसूली/गैर-वसूली हुई जिसमें उन मामलों की मात्रा शामिल नहीं है जहां मात्रा को टुकड़ों में एडीडी के रूप में प्रति किलोग्राम आधार पर घोषित किया गया था।

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत है, उन मामलों में परिमाणीकरण के संबंध में जहां वजन का उल्लेख किए बिना केवल टुकड़ों की संख्या का उल्लेख किया गया था, यह प्रस्तुत करना है कि बी/ई संख्या 3325465 दिनांक 20.11.2015के अनुसार जिसका निर्धारण समूह द्वारा किया गया था और लेखापरीक्षा आपत्ति में शामिल अवधि से संबंधित था, 12000 टुकड़ों का कुल वजन 12 किलोग्राम घोषित किया गया था। वही अनुपात यानी 1000 टुकड़े = 1 किलो लगाया गया है।

बी/ई संख्या 8288991/23.01.2017 के 02 मामलों में (मै. यूएच लेड इंडिया इंक) और 9393739/21.04.2017 (मैसर्स जीई इंडिया इंडस्ट्रीज) 2890 रुपये और 2960/- (ब्याज सहित) वसूल किए गए।

मेसर्स एम.एस. ट्रेडिंग कंपनी के एक बी/ई संख्या 3325201 दिनांक 21.09.2017 में 47/- रुपये का अंतर शुल्क (एडीडी) है। इसलिए, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(1) के अनुसार, जहां शामिल राशि एक सौ रुपए से कम है, कोई एससीएन जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए, इस मामले में एससीएन जारी नहीं किया गया है और इसे बंद करने पर विचार किया जा सकता है।

शेष 50 मामलों में एससीएनएस जारी किए गए हैं।

<u>पेंटारीथ्रिटोल:</u>

अधिसूचना संख्या 33/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 20.06.2012 के अनुसार, जो `पेंटारीथ्रिटोल` सीटीएच 290542 के अंतर्गत आता है, जो यूरोपीय संघ से उत्पन्न या निर्यात किया जाता है, अधिसूचना संख्या 33/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 20.06.2012 के अनुसार, जो पेंटारीथ्रिटोल सीटीएच 290542 के अंतर्गत आता है, जो यूरोपीय संघ से उत्पन्न या निर्यात किया जाता है, उस पर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार एंटी-डम्पिंग शुल्क लगेगा। इस मामले में, 6 आयातकों ने एडीडी के

भुगतान के बिना ईयू के देशों से 12 बिल ऑफ एंट्री के संबंध में संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, जिसके परिणामस्वरूप 74.59 लाख रुपये की राशि के शुल्क की कम उगाही हुई।

आयुक्तालय आंशिक रूप से सहमत है। 12 बीई में से केवल 10 बीई के निर्यातक देश हैं और सीओओ (जर्मनी, स्पेन और नीदरलैंड) है, इसलिए, 73,95,909/- रुपए की एडीडी की कम वसूली स्वीकार्य है। शेष 2 बीईएस (7934276 दिनांक 08.01.2015 & 8367768 दिनांक 30.01.2017) मैसर्स कलरटेक कोटिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड और मैसर्स गारवेयर पॉलिएस्टर लिमिटेड का उद्गम देश चीन है और शिपमेंट का देश चीन/हांगकांग है। इसलिए, एडीडी लागू नहीं है।

इसके अलावा, 10 बीई में से, 6 बीई में 70.38 लाख रुपये की वसूली की गई है और शेष 4 बीई में 10.32 लाख रुपए के एससीएन जारी किए जा चुके हैं और निर्णय प्रक्रियाधीन है।

<u>टीडीक्यू/टीएमटीडी/एमबीटीएस</u>

लेखापरीक्षा ने देखा कि रबड़ रसायन के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क (98/2011-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 20.10.2011 के तहत कवर किया गया एमबीटीएस) और (संख्या 35/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24.07.2014 के तहत कवर किया गया एमबीटी एवं टीएमटी), जो 3 आयातकों के 3 विशिष्ट बिल ऑफ एंट्री से संबंधित था, का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके कारण एंटी-डंपिंग शुल्क अदा नहीं हुआ जो 7,80,217/- रुपए था। (1) श्री पुखराज एडिटिव्स एलएलपी, (बी/ई नंबर 4653101/ 21.03.2016) जिसमें एडीडी का 6,69,104/- रुपये का कम भुगतान शामिल है (2) ब्रिजस्टोन इंडिया प्रा. लिमिटेड (बी/ई नं. 5877018/05.07.2016) एडीडी का भुगतान जो 31,303/- रुपए है (3) यशो इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड 7739922/ 07.12.2016) जिसमें एडीडी का 79,810/-रुपये का कम भुगतान शामिल है।

इन 3 बिल ऑफ एंट्री में से बिल ऑफ एंट्री नं. 7739922 दिनांक 07.12.2016 में, आयातक मेसर्स यशो इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड ने 84500/- (79810/- एडीडी और 4690/- रुपए ब्याज) रुपए का भुगतान किया। तथापि, शेष दो प्रविष्टि बिलों के मामले में निम्नलिखित विवरण के अनुसार दिनांक 04.08.2020 को एससीएन जारी किया गया है। 1. मैसर्स श्री पुखराज एडिटिव्स एलएलपी, (बी/ई नंबर 4653101/ 21.03.2016) जिसमें एडीडी का 6,69,104/- रुपये का कम भुगतान शामिल है। 2. मैसर्स ब्रिजस्टोन इंडिया प्रा. लिमिटेड (बी/ई नं. 5877018/05.07.2016) जिसमें एडीडी का 31,303/- रुपये का कम भुगतान शामिल है।

<u>सोडियम नाइट्राइट</u>

अधिसूचना संख्या 39/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 08.08.2016 के अनुसार, जो मूल अधिसूचना संख्या 46/2014 दिनांक 08.12.2014 का विस्तार है, 'सोडियम नाइट्राइट' अधिसूचना संख्या 39/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 08.08.2016 के अनुसार, जो मूल अधिसूचना संख्या 46/2014 दिनांक 08.12.2014 का विस्तार है, 'सोडियम नाइट्राइट' जो टैरिफ मद संख्या 28341010 के अंतर्गत आता है और जिसका मूल या निर्यात का देश चीन पीआर है, उस पर 135.83 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की दर से एडीडी लगना है। अधिसूचना संख्या 39/2016 दिनांक 8.8.2016 की वैधता 16.08.2017 सहित इस तिथि तक तक थी।

मैसर्स केमेक्ससिल कॉर्पोरेशन ने बिना एडीडी लगाए बिल ऑफ एंट्री नंबर 2881741 दिनांक 17.08.2017 (एंट्री इनवर्ड दिनांक 13.08.2017) के तहत 300 एमटी 'सोडियम नाइट्राइट' का आयात किया, जिसके परिणामस्वरूप 26,30,348/- रुपये का एडीडी नहीं लगाया गया। सीईआरए के अनुसार, भले ही बिल ऑफ एंट्री की तारीख अधिसूचना की वैधता अवधि के बाद थी, एडीडी देय था क्योंकि आवक प्रविष्टि उस अवधि की थी जब अधिसूचना वैध थी।

एडीडी अधिसूचना 16.08.2017 को समाप्त हो गई जबकि बीई 17.08.2017 को दायर की गई थी। इसके अलावा, उक्त बीई को प्रवेश के अग्रिम बिल के रूप में दाखिल नहीं किया गया था, इसलिए, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 (i) में प्रदत्त के अनुसार, लागू शुल्क की दर की गणना के लिए आवक प्रवेश की तारीख प्रासंगिक नहीं है। धारा 15 के अनुसार, शुल्क की दर प्रविष्टि बिल दाखिल करने की तिथि पर लागू होगी अर्थात शुल्क की दर 17.08.2017 को यथालागू।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 के प्रावधान में प्रावधान है कि पूर्व/अग्रिम बी/ई (जहाज के आगमन/प्रवेश से पहले दाखिल) के मामले में प्रवेश की आवक तिथि को शुल्क की दर के निर्धारण की तारीख माना जाएगा। चूंकि, वर्तमान मामले में, बी/ई प्रवेश के बाद दाखिल किया गया था, इसलिए, 13.08.2017 की आवक तिथि प्रासंगिक नहीं है। इसलिए, आयातक उक्त अधिसूचना के तहत किसी भी एडीडी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

<u>सिंक्रोनस डिजिटल पदानुक्रमित उपकरण</u>

आयातक ने मूल चीन देश के साथ एसडीएच उपकरण (सिंक्रोनस डिजिटल पदानुक्रमित उपकरण) के रूप में घोषित माल की निकासी के लिए अनुलग्नक- I के अनुसार विभिन्न बीओई दायर किए। लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुसार, दिनांक 26.04.2016 की अधिसूचना संख्या 15/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) की क्रम संख्या 6 के अंतर्गत आने वाले माल, अर्थात मूल देश-चीन, निर्यात का देश - चीन के जनवादी गणराज्य के अलावा कोई भी देश , किसी भी निर्माता और किसी भी निर्यातक पर सीआईएफ का 86.59% एंटी-डंपिंग शुल्क । चूंकि इन प्रविष्टि बिलों में कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया था, इसके परिणामस्वरूप शुल्क की कम वसूली हुई।

आईसीईएस प्रणाली में प्रविष्टि बिलों की जांच करने पर, यह देखा गया है कि सभी मामलों में निर्यातक मैसर्स ईसीआई टेलीकॉम लिमिटेड, इज़राइल है और पोर्ट कोड ऑफ शिपमेंट का उल्लेख "एचजीएच" है, जो हांग्जो, चीन के लिए है। इसलिए, ये सामान दिनांक 26.04.2016 की अधिसूचना संख्या 15/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) की क्रम संख्या 4 के अंतर्गत आएंगे, जो जनवादी गणराज्य चीन के रूप में मूल देश और निर्यात वाले माल के लिए है, निर्माता- हांग्जो ईसीआई दूरसंचार कंपनी लिमिटेड और निर्यातक मैसर्स ईसीआई टेलीकॉम लिमिटेड, इज़राइल जिसमें एडीडी की दर "शून्य" है। इसलिए, इन प्रविष्टि बिलों में एडीडी नहीं लगाया गया था।

() दिल्ली: -

<u>आईसीडी टीकेडी: -</u>

<u>इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन</u>

लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 बीई से संबंधित इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के आयात पर एडीडी का भुगतान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 10 लाख रुपए की एडीडी की गैर वसूली हुई

अभी तक शुल्क और ब्याज की राशि की जो 9,15,640/- रुपए है, वसूली कर ली गई है। शेष मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

मंत्रालय की टिप्पणियां :फील्ड फार्मेशन से इस संबंध में आगे उत्तर प्राप्त होने पर उसे यथासमय प्रस्तुत किया जाएगा।

<u>अल्युमिनियम फॉयल</u>

लेखापरीक्षा ने देखा कि 4 बीई से संबंधित अल्युमिनियम फॉयल के आयात पर एडीडी का भुगतान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 75.11 लाख रुपए की एडीडी की गैर वसूली हुई।

आयातक से शुल्क मांग की वसूली कर ली गई है और उक्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट में में इसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है।

<u>आंशिक रूप से ओरिएंटिड यार्न</u>

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2 बीई से संबंधित आंशिक रूप से उन्मुख यार्न के आयात पर एडीडी का भुगतान नहीं किया गया था। 8.47 लाख रुपए की एडीडी की गैर वसूली।

मेसर्स सोगो फैशन प्राइवेट लिमिटेड से 4,11,113/- रुपए की शुल्क राशि की वसूली की गई है। मेसर्स ज़ोनैक निटिंग मशीन प्राइवेट लिमिटेड के मामले में वसूली की पैरवी की जा रही है।

मंत्रालय की टिप्पणियां : फील्ड फार्मेशन से इस संबंध में आगे उत्तर प्राप्त होने पर उसे यथासमय प्रस्तुत किया जाएगा।

केबल टाईस

लेखापरीक्षा ने देखा कि 1 बीई से संबंधित केबल टाईस के आयात पर एडीडी का भुगतान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 1.44 लाख रुपए की एडीडी की गैर वसूली हुई।

मांग की पुष्टि कर दी गई है और निर्णय आदेश पारित कर दिया गया है।

मंत्रालय की टिप्पणियां :फील्ड फार्मेशन से इस संबंध में आगे उत्तर प्राप्त होने पर उसे यथासमय प्रस्तुत किया जाएगा।

सादा मध्यम घनत्व एमडीएफ फाइबर बोर्ड

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2 बीई से संबंधित प्लेन मीडियम डेंसिटी एमडीएफ फाइबर बोर्ड के आयात पर एडीडी का भुगतान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 1.39 लाख रुपए की एडीडी की गैर वसूली हुई।

निर्धारिती ने अंतर धनराशि को जमा कर दिया है जो 1,72,700/- रुपए है।

विटामिन ई

लेखापरीक्षा ने देखा कि 1 बीई से संबंधित विटामिन ई के आयात पर एडीडी का भुगतान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 0.15 लाख रुपए की एडीडी की गैर वसूली हुई।

निर्धारिती ने अंतर धनराशि को जमा कर दिया है जो 17,000/- रुपए है।

आईसीडी पीपीजी:

इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2 बीई से संबंधित इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के आयात पर एडीडी का भुगतान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 30.97 लाख रुपए की एडीडी की गैर वसूली हुई।

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत नहीं है क्योंकि उक्त मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित है और ऊर्जा की बचत/ऊर्जा की खपत और इन्वर्टर इस मशीनरी की विशेषताएं और भाग हैं और उक्त इलेक्ट्रिक प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को अपवर्जन के मामले में एडीडी की वसूली से सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 9/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 15.03.2016 के क्रमांक III के तहत निर्दिष्ट से बाहर रखा गया है।

मंत्रालय की टिप्पणियां :लेखापरीक्षा की आपत्ति स्वीकार है। इस मुद्दे की फिर से जांच की गई है और यह पाया गया है कि यह लाभ संदर्भ के तहत माल के लिए उपलब्ध नहीं है। दोनों आयातकों को एक मांग नोटिस जारी किया गया है।

<u>नायलॉन फिलामेंट यार्न</u>

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2 बीई से संबंधित नायलॉन फिलामेंट यार्न के आयात पर एडीडी का भुगतान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 0.93 लाख रुपए की एडीडी की गैर वसूली हुई।

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत नहीं है क्योंकि माल नायलॉन के उच्च टेनसिटी यार्न हैं और उन्हें सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 3/2012-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 13.01.2012 यथा संशोधित अधिसूचना सं. 4/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 19.01.2017 के अनुसार डंपिंग रोधी शुल्क लगाने के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, उक्त अधिसूचना के अनुसार, यदि माल की गंतव्य स्थान पर पहुंच कीमत 5.17 अमेरिकी डॉलर से अधिक है, तो उसे शुल्क की वसूली से बाहर रखा गया है। वर्तमान मामले में, गंतव्य स्थान पर उतराई कीमत 29.31 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम है, इसलिए इसे अपवर्जन खंड में शामिल किया गया है।

<u>सिरेमिक टेबलवेयर, किचनवेयर</u>

लेखापरीक्षा ने देखा कि 1 बीई से संबंधित सिरेमिक टेबलवेयर, किचनवेयर के आयात पर एडीडी का भुगतान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 16.72 लाख रुपए की एडीडी की गैर वसूली हुई।

आयातक ने 18,20,096/- रुपये का भुगतान किया है जो चालान दिनांक 27.09.2018, 14.12.2018 और 01.11.2019 के माध्यम से किया गया है।

(iv) लुधियाना

<u>टेम्पर्ड ग्लास</u>

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2 बीई से संबंधित टेम्पर्ड ग्लास के आयात पर एडीडी का भुगतान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 0.29 लाख रुपए की एडीडी की गैर वसूली हुई।

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत नहीं है क्योंकि मतभेद की बात यह है कि सुरक्षा कांच या तो कड़ा कांच या लेमिनेटिड सुरक्षा कांच हो सकता है। दोनों का अलग (टेम्पर्ड) उत्पाद हैं। वास्तव में लैमिनेटेड ग्लास और टेम्पर्ड अलग-अध्याय शीर्षक है और ये दो अलग ग्लास अक्सर एक दूसरे के लिए गलत समझे जाते हैं और एक ही उत्पाद के रूप में भ्रमित होते हैं। जबकि दोनों सेफ्टी ग्लास के प्रकार हैं और लैमिनेटेड ग्लास और टेम्पर्ड ग्लास एक दूसरे से कई क्षेत्रों में काफी भिन्न होते हैं।

लैमिनेटेड ग्लास को दुनिया की अधिकांश कारों के विंडस्क्रीन पर इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। उत्पादन की अपनी विधि के बाद कड़े ग्लास को टेम्पर्ड ग्लास के रूप में जाना जाता है यह एक प्रकार का सुरक्षा ग्लास है जो समान आकार और मोटाई के एनील्ड और , लेमिनेटिड गिलास से पांच गुना अधिक मजबूत होता है।

ऑटोमोबाइल में लैमिनेटेड सेफ्टी ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। संबंम्धित बीई में वर्णित विवरण साथ ही वाहन का प्रकार जिसमें इसका उपयोग किया जाना है। इस ,है "विंडस्क्रीन" के रूप में सही ढंग से घोषित किया गया है और इसे 'सलैमिनेटेड सेफ्टी ग्ला' प्रकार माल को टेक्सचर्ड टफेंस्ड ग्लास के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। (टेम्पर्ड)

(v) मेरठ- :

<u>क्लीयर फ्लोट ग्लास</u>

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2 बीई से संबंधित क्लीयर फ्लोट ग्लास के आयात पर एडीडी का भुगतान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 6.63 लाख रुपए की एडीडी की गैर वसूली हुई।

आयातक मैसर्स जटालिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड ने एडीडी + आईजीएसटी + ब्याज की राशि के लिए 9,92,974/- रुपये का भुगतान किया है।

(vi) अहमदाबाद- :

क) अहमदाबाद

<u>2-एथिल हेक्सानॉल</u>

लेखापरीक्षा ने देखा कि एडीडी अधिसूचना प्रावधानों को गलत तरीके से लागू करने के कारण एडीडी की गैर/कम वसूली हुई थी। अधिसूचना संख्या 10/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 29.03.2016 के क्रमांक 1 के अनुसार, अध्याय 29051620 के अंतर्गत आने वाले सभी रूपों और ग्रेडों में '2-एथिल हेक्सानॉल' और मलेशिया से आयातित (सीओओ) और निर्माता और निर्यातक 'बीएएसएफ पेट्रोन केमिकल्स (बीपीसी), मलेशिया पर 53.63 डॉलर प्रति एमटी (यूएसडी) की दर से डंपिंग रोधी शुल्क लगाए जाने के शर्ताधीन है।

मै. लिबर्टी केमट्रेड प्रा. लिमिटेड ने बीई नंबर 7232390; 7232391; 7232393; 7232394 और 7232389 सभी दिनांक 25.10.2016 के तहत 2-एथिल हेक्सानॉल का आयात किया था। इंगित किए जाने पर, आयातक ने पहले ही 279685/- रुपये के ब्याज के साथ 1810015/- रुपए का एडीडी दिनांक 03.02.2018 को अदा कर दिया था।

ख) कांडला

<u>2-एथिल हेक्सानॉल</u>

सीएजी द्वारा उठाए गए अवलोकन के अनुसार 23.10 लाख पहले ही वसूल किए जा चुके हैं। उक्त राशि मेसर्स मेघारिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा दायर बीई संख्या 8610286 दिनांक 20.02.2017 के प्रति मांगी गई थी। आयातक ने देय एडीडी और उस पर ब्याज सहित 23,09,682/- रुपए का भुगतान टीआर-6 चालान संख्या 757 दिनांक 23.06.2017 के तहत कर दिया है।

<u>एसिटोन</u>

तीन प्रविष्टि बिलों के संबंध में शुल्क ड्यूटी का भुगतान पहले ही निम्नानुसार किया जा चुका है:

क्रमांक	बीई संख्या	तारीख	वसूलनीय एडीडी	चालान संख्या एवं तिथि
1	2324249	21.08.2015	265946	1503 दिनांक 21.08.2015
2	2441369	01.09.2015	554054	1666 दिनांक 04.09.2015
3	2539417	09.09.2015	177297	1731 दिनांक 11.09.2015

<u>सामान्य बुटानोल</u>

मेसर्स शताब्दी केमिकल्स द्वारा मलेशिया से 62 मीट्रिक टन एन-बुटानॉल के आयात के लिए दायर एक्स-बॉन्ड बीई नंबर 5276903 दिनांक 16/5/2016 के संबंध में, सीआरए ने देखा कि कोई एडीडी नहीं वसूला गया था जिसके परिणामस्वरूप 1,10,290/- रुपए (यूएसडी 26.59 x विनिमय दर 66.90 x 62 मीटर) का एडीडी नहीं लगाया गया था। यह मामला आयातक के साथ पत्राचार के तहत प्रक्रियाधीन है।

<u>मेथिलीन क्लोराइड</u>

लेखापरीक्षा ने देखा कि अधिसूचना संख्या 24-सीमा शुल्क दिनांक 21.5.2014 के अनुसार अध्याय 29031200 के तहत आने वाली मैसर्स कुन्दन राईस मिल्स द्वारा दायर एक्स बांड बीई संख्या 9943211 दिनांक 18/7/2015 के मामले में एडीडी 0.32 डॉलर प्रति किलोग्राम की दर से वसूलनीय हैं। तथापि, विभाग ने इसे एम.टी. मानते हुए धनराशि लगाई। इसके परिणामस्वरूप 75,703/- रुपए के एडीडी की कम वसूली हुई।

आयातक ने पत्र एफ.सं. केआरएम एल/18-19/मेथिलीन क्लोराइड/78 दिनांक 07.03.2019 के द्वारा प्रस्तुत किया कि उन्होंने ब्याज के साथ अंतर शुल्क का भुगतान किया है, जो कुल राशि 1,18,326/- रुपए बनी और उसे दिनांक 06.03.2019 को चालान संख्या 2026186498 के द्वारा अदा किया गया था।

<u>फिनोल</u>

लेखापरीक्षा ने मेसर्स जीएनके एंटरप्राइज, लेखापरीक्षा ने मेसर्स जीएनके एंटरप्राइज, केएएसजेड के तहत एक एसईजेड इकाई, द्वारा आयात के मामले में पाया कि बीई संख्या 0016296 दिनांक 08.10.2016 और 0016458 दिनांक 21.10.2016 के माध्यम से एडीडी के भुगतान के बिना डीटीए में फिनोल को मंजूरी दे दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप 18.13 लाख रुपए की एडीडी की गैर-वसूली हुई। 18.13 लाख रुपए की उक्त राशि की पहले ही वसूली की जा चुकी है।

<u>मेथिलीन क्लोराइड</u>

लेखापरीक्षा ने आपत्ति उठाई कि आपूर्तिकर्ता का नाम मेसर्स ओसीएल शंघाई इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिमिटेड, चीन है और निर्माता मैसर्स शेडोंग लियाओचेंगलुक्सी सिक्स्थ केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड है और एडीडी 122.14 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की दर से लगाया गया है। चूंकि आपूर्तिकर्ता क्रमांक 4 के अलावा अन्य है, यह तालिका की क्रमांक संख्या 7 के अंतर्गत आएगा जहां एडीडी @ यूएस $ 279.78 प्रति मीट्रिक टन से लगाया जाता है।

अधिसूचना संख्या 21/2016- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 31.05.2016 की तालिका के क्रमांक 4 के अनुसार, यदि मैसर्स शेडोंग लियाओचेंग लुक्सी सिक्स्थ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड द्वारा माल का उत्पादन किया गया और मेसर्स लू शी केमिकल हांगकांग कंपनी लिमिटेड, हांगकांग द्वारा निर्यात किया गया है तो 122.14 प्रति मीट्रिक टन की दर से एडीडी लागू होगा।

चीन जनवादी गणराज्य द्वारा जारी उत्पत्ति प्रमाणपत्र संख्या 16सी3725ए0305/00189आर दिनांक 16.09.2016 के अनुसार, माल का उत्पादक मैसर्स शेडोंग लियाओचेंग लूजीसिक्सथ केमिकल फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड है।

मेसर्स शेडोंग लियाओचेंग लूशीसिक्सथ केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, द्वारा जारी दिनांक 20.09.2016 के पत्र के अनुसार मेसर्स लू शी केमिकल हांगकांग कंपनी लिमिटेड, हांगकांग मेथिलीन क्लोराइड के विपणन और निर्यात के लिए उनकी वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य कर रहा है और उन्होंने (मैसर्स लू शी केमिकल हांगकांग कंपनी लिमिटेड, हांगकांग) भारतीय आयातक मै. एस्पेन इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड को कार्गो का निर्यात किया था। बीएल नंबर ZY03LXHG दिनांक 16.09.2016 के तहत कवर किए गए माल का चालान मैसर्स लूशी केमिकल हांगकांग कंपनी लिमिटेड, हांगकांग को इनवॉइस नंबर LXWM-2016-HG4052 दिनांक 15.09.2016 द्वारा इनवाइस किया गया था।

मै. लू शी केमिकल हांगकांग कंपनी लिमिटेड, हांगकांग ने दिनांक 20.09.2016 को भी एक प्रमाण पत्र जारी किया है जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि वे मैसर्स शेडोंग लियाओचेंगलुक्सी सिक्स्थ केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्मित मेथिलीन क्लोराइड के विपणन और निर्यात के लिए वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि बीएल नंबर ZY03LXHG दिनांक 16.09.2016 के तहत

कवर किए गए कार्गो को मैसर्स ओसीआई (शंघाई) इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिमिटेड के माध्यम से भारतीय आयातक को निर्यात किया गया था। माल का चालान मैसर्स ओसीआई (शंघाई) इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिमिटेड को चालान संख्या LXWM-2016-FGY-2085 दिनांक 16.09.2016 द्वारा किया गया था। उक्त चालान संख्या मूल देश प्रमाणपत्र संख्या 16C3725A0305/00189R दिनांक 16.09.2016 में भी परिलक्षित होती है।

लदान बिल संख्या ZY03LXHG डीटी 16.09.2016 में भी, मैसर्स लू शी केमिकल हांगकांग कंपनी लिमिटेड, हांगकांग का उल्लेख भारतीय आयातक मैसर्स एस्पेन इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड के लिए शिपर के रूप में किया गया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह पता चलता है कि मै. शेडोंग लियाओचेंग लूजीसिक्सथ केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड माल के उत्पादक हैं। उन्होंने मेसर्स लू शी केमिकल हांगकांग कंपनी लिमिटेड, हांगकांग को मेथिलीन क्लोराइड के विपणन और निर्यात के लिए अपनी वाणिज्यिक शाखा के रूप में नियुक्त किया है। माल मैसर्स लू शी केमिकल हांगकांग कंपनी लिमिटेड, हांगकांग को बेचा गया था। माल मैसर्स ओसीआई शंघाई इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिमिटेड, चीन के माध्यम से बीएल नंबर ZY03LXHG डीटी 16.09.2016 के तहत मैसर्स लू शी केमिकल हांगकांग कंपनी लिमिटेड, हांगकांग द्वारा भारतीय आयातक को निर्यात किया गया था।

माल मैसर्स शेडोंग लियाओचेंग लूजीसिक्सथ केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था और मैसर्स लू शी केमिकल हांगकांग कंपनी लिमिटेड, हांगकांग द्वारा मैसर्स ओसीआई शंघाई इंटरनेशनल ट्रेडिंग लिमिटेड, चीन के माध्यम से भारतीय आयातक मैसर्स एस्पेन इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड को निर्यात किया गया था।

माल के वास्तविक आपूर्तिकर्ता का पता लगाने के लिए, इस मामले को आयातक के साथ उठाया जाता है। सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई डिमांड नोटिस जारी करके, यदि आवश्यक हो, यदि कोई हो, की जाएगी।

मंत्रालय की टिप्पणियां :फील्ड फार्मेशन से इस संबंध में आगे उत्तर प्राप्त होने पर उसे यथासमय प्रस्तुत किया जाएगा।

मुंद्रा

<u>फ्लेक्सिबल स्लैब स्टॉक पॉलीओल</u>

लेखापरीक्षा ने आपत्ति उठाई कि अधिसूचना संख्या 9/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 07.04.2015 में दी गई तालिका के क्रमांक 7 में अध्याय 390720 के अंतर्गत आने वाले सिंगापूर से उत्पन्न और निर्यात किए गए फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीओल के आयात पर 67.79 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की

दर से एडीडी के उद्ग्रहण का प्रावधान है। मै. कनाबर फोम प्रा। लिमिटेड ने बीई संख्या 8836059 दिनांक 07.04.2015 के तहत माल का आयात किया था। आयातक ने 3,9881/- रुपये के ब्याज सहित 71,977/- रुपये की शुल्क राशि का भुगतान जीएआर-7 चालान संख्या 449 दिनांक 27.07.2015 के तहत किया है।

<u>प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड</u>

मेसर्स एचकेएस इंटरनेशनल ने बीई नंबर 3349838 और 22.09.2017 के तहत प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड का आयात किया था। आयातक ने 10055/- रुपये के ब्याज और 14236/- रुपए के जुर्माने सहित 80,4301/- रुपये के एडीडी का भुगतान किया है।

<u>टीडीआई</u>

मेसर्स कनाबर फोम प्रा. लिमिटेड ने बीई संख्या 2942771 दिनांक 22.08.2017 के तहत माल का आयात किया था। आयातक ने 38,115/- रुपये के ब्याज के साथ 2,54,085/- रुपये के एडीडी (कुल 2,92,200/- रुपए) का भुगतान किया है।

मंत्रालय की टिप्पणियां: लेखापरीक्षा की उपरोक्त टिप्पणी लेखापरीक्षा द्वारा गलती गलती से दी गई है क्योंकि इस मामले में वसूली पूर्ण है।

<u>क्लीयर शीट ग्लास</u>

मुंद्रा आयुक्तालय से संबंधित 155 प्रविष्टि बिल हैं।

उपरोक्त पैरा में, इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना अधिसूचना संख्या 07/2015- सीमा शुल्क (एडीडी) में शीट ग्लास के केवल दो सीटीएच अर्थात 70042011 और 70042019 शामिल थे। हालांकि, एंटी-डंपिंग और संबद्ध शुल्कों के महानिदेशक ने एडीडी जांच पर अधिसूचना संख्या 14/22/2013-डीजीएडी दिनांक 19 दिसंबर 2014 के तहत प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में सीटीएच 70042011 और 70042019के तहत आने वाले "शीट ग्लास" पर एडीडी लगाने की सिफारिश की थी । इसके अलावा, इस अधिसूचना में, डीजीएडी ने कहा कि संबद्ध वस्तुओं को अन्य टैरिफ शीर्षक के तहत भी आयात किया जा रहा है और अन्य बातों के साथ-साथ इसमें सीटीएच 70049099 का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और

स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल प्रेरणिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

इस संबंध में, पहले, एडीडी के भुगतान के बिना मंजूरी दिए गए ऐसे सभी आयातकों के लिए मांग उठाई गई थी, जिसके खिलाफ मेसर्स अजंता प्राइवेट लिमिटेड (सीटीएच 70040999 के तहत आने वाले "शीट ग्लास" के आयातकों में से एक) ने माननीय उच्च न्यायालय,गुजरात का दरवाजा खटखटाया था। एससीए संख्या 13496/2015 में, दिनांक 04.11.2015 के निर्णय के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त मामले को को सुनने के बाद, अपील को बरकरार रखा और यह कहते हुए मांग को खारिज कर दिया कि टैरिफ मद 70049099 के तहत वर्गीकृत चीन पीआर से ग्लास शीट के आयात पर एडीडी अधिकार क्षेत्र के बिना और कानून के अधिकार के बिना है। इसके अलावा, उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं नहीं की गई है। अतः माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय मान्य है।

(vi) विशाखापटनम

<u>रबर केमिकल एमओआर :</u>

मेसर्स नागार्जुन एग्रीकेम लिमिटेड ने बिल ऑफ एंट्री (बी.ई) नंबर 4680675 दिनांक 04.01.2018 दायर किया जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से '2-हाइड्राजाइन-4-मिथाइल-बेंजो थियाजोल 98% (एचएमबीटी)' के रूप में घोषित 16एमटीएस माल के आयात के लिए था।

इस मुद्दे की विस्तार से जांच की गई है और यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वस्तुओं पर एडीडी नहीं लगाया जा सकता है

अधिसूचना संख्या 54/2017 के अनुसार, एडीडी रबड़ रासायनिक एमओआर पर उदग्राह्य है: 2-(4-मोरफोलिनोथियो) बेंजोथियाज़ोल (एमबीएस) पीआर चीन से आयात किया गया। हालांकि, बीई संख्या 4680675 दिनांक 04.01.2018 के तहत आयातित वस्तु '2-हाइड्राजाइन-4-मिथाइल-बेंजो थियाजोल 98% (एचएमबीटी)' है जो रासायनिक रूप से उपरोक्त रबर रसायन से एक अलग उत्पाद उत्पाद है। आयात के तहत आने वाली 'वस्तु का उपयोग आयातक द्वारा जो कृषि कीटनाशकों का निर्माता, कृषि कीटनाशकों के निर्माण में किया जाता है ।

<u>ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड:</u>

यह सूचित किया जाता है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की निकासी के लिए मैसर्स भूषण

स्टील लिमिटेड द्वारा बीई संख्या 6456028 दिनांक 23.08.2016 दायर किया गया था। सीएन 04/2015-सीशु-एडीडी दिनांक 13.02.2015 के अनुसार इस सामान पर एडीडी प्रभार्य है।

लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया मुद्दा यह है कि उक्त अधिसूचना की संख्या 14 के के अनुसार इस वस्तु पर एडीडी यूएसडी 922.03 पीएमटी की दर से प्रभार्य है जबकि विभाग ने क्रमांक 12 के तहत एडीडी यूएसडी 391.84 पीएमटी की दर से चार्ज किया, जिसके परिणामस्वरूप 29,72,052/- रुपये का कम संग्रह हुआ।

यह सूचित किया जाता है कि मैसर्स सीआईएमएम डोंगहाई एडवांस्ड कैबॉन कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्मित और मेसर्स सीआईएमएम ग्रुप कंपनी लिमिटेड द्वारा द्वारा निर्यात किया गया ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मेसर्स भूषण स्टील द्वारा बीई सं. 6456028 दिनांक 23.08.2016 के प्रति आयात किया गया था, जो सीएन 04/2015-सीमाशुल्क-एडीडी दिनांक 13.02.2015 के क्रमांक 12 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। आयातकों ने इस संबंध में निर्माता मैसर्स सीआईएमएम डोंगहाई एडवांस्ड कार्बन लिमिटेड द्वारा जारी इनवॉइस नंबर 16CIMM-087/098 दिनांक 07.07.2016 द्वारा कवर की गई वस्तुओं के लिए अधिसूचना 04/2015-सीमाशुल्क-एडीडी दिनांक 13.02.2015 की क्रम संख्या 12 के अंतर्गत एडीडी की उगाही संबंधी उनके दावे के प्रमाण के तौर पर जारी किया गया निरीक्षण जांच प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

(vii) <u>कोलकाता:-</u>

<u>जूट यार्नसुतली/</u>

अधिसूचना संख्या 1/2017-एडीडी दिनांक 05.01.2017 के अनुसार पाटनरोधी शुल्क न लगाने के मुद्दे पर उठाई गई लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर सभी मामलों के लिए दिनांक 27.02.2018 को एससीएनएस जारी किया गया था। न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने सभी मामलों को इस निष्कर्ष के आधार पर हटा दिया कि डंपिंग रोधी शुल्क 06.01.20217 से लगाया गया था लेकिन 05.01.2021 को आयातित माल के लिए लेखापरीक्षा आपत्ति उठाई गई थी।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि एक आरटीआई आवेदन के जवाब में, भारत सरकार, प्रेस, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली-110006 से पत्र ए-43013/आरटी/492/2017/स्था/35एस दिनांक 13.07.2018 के माध्यम से प्राप्त उत्तर में कहा गया है कि अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) के

प्रकाशन की तिथि 06.01.2017 को 14.28.58 बजे है। इसलिए, उपरोक्त जानकारी से यह स्पष्ट हो गया है कि 05.01.2017 को आक्षेपित माल के प्रति मांग किया गया पाटन रोधी शुल्क वसूल नहीं किया जाना था क्योंकि पाटन रोधी शुल्क उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि और समय अर्थात 06.01.2021, 14.28.58 बजे से लगाया गया था।

<u>जूट उत्पाद</u>

लेखापरीक्षा ने देखा कि आयातक अर्थात मेसर्स बंगाल जूट एंड बैग कंपनी और मेसर्स कोलकाता ट्रेड सेंटर के क्रमशः 2 मैनुअल बिल ऑफ एंट्री नंबर 30/17 दिनांक 04.01.2017 और 39/17 दिनांक 05.01.2017 के विरूद्ध '5.49 लाख रुपए के जूट उत्पादों पर एडीडी का गैर/कम आरोपण पाया गया है।

अधिसूचना संख्या 01/2017- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 05.01.2017 के पैरा 2 में कहा गया है कि "इस अधिसूचना के तहत लगाया गया एंटी-डंपिंग शुल्क पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी होगा (जब तक कि पहले निरस्त, प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जाता) जो आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाएगा और इसे भारत के राजपत्र में 06.01.2017 को 14.28.58 बजे प्रकाशित किया गया था। इसलिए, अधिसूचना संख्या, 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 05.01.2017 की प्रभावी तिथि आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से है अर्थात दिनांक 06.01.2017 के 14.28.58 बजे से जबकि उपर्युक्त 2(दो) बिल ऑफ एंट्रीज के ओओसी की तिथि 05.01.2017 है।

<u>ग्लेज्ड/ अनग्लेज्ड चीनी मिट्टी की टाइलें</u>

4 बीई के सम्बंध में 1,51,322/- रुपए की पूरी वसूलनीय राशि वसूल कर ली गई है।

<u>पोर्सिलीन टाइलें</u>

1,15,323/- रुपये की राशि के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के तहत मांग सह पूर्व-परामर्श नोटिस आयातक को जारी किया गया।

<u>जूट का कपड़ा</u>

3.5.5(ii) पैरा के अनुसार

(viii) कोच्चि सीमा शुल्क

विटामिन ई

अधिसूचना 29/2015 सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10.06.2015 के अनुसार, चीन से 'प्राकृतिक रूप को छोड़कर सभी रूपों में विटामिन ई' का आयात 10.06.2015 से पांच साल की अवधि के लिए 1.77 अमरीकी डालर/किग्रा दर के डंपिंग रोधी शुल्क के अधीन है।

01.04.2015 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान मैसर्स सिंथाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 600 किलोग्राम डीएल-अल्फा टोकोफेरोल (विटामिन) का आयात किया था, जो बंदरगाह, कोच्चि के माध्यम से 71,207/-रुपये का एडीडी लगाए बिना आयात किया गया था।

आयातक से 53025/-रुपए के ब्याज के साथ 71207/- रुपए का शुल्क वसूल किया गयाहै।

फाइबर बोर्ड एमडीएफ

अधिसूचना संख्या 48/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 21.10.2015 की संख्या 11 के अनुसार, श्रीलंका से '6 मिमी और उससे अधिक मोटाई के सादे एमडीएफ' के आयात, जहां माल का निर्माण हुआ और मैसर्स मेरबोक एमडीएफ लंका प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा निर्यात किया गया था, पर दिनांक 21.05.2015 से 5 वर्षों की अवधि के लिए 11.83 अमरीकी डालर/घन मीटर, की दर से एडीडी वसूलनीय है।

मैसर्स फाल्कन ग्लास पैलेस ने मैसर्स मेरबोक एमडीएफ लंका प्राइवेट लिमिटेड श्रीलंका द्वारा निर्मित और निर्यात किए गए 6 मिमी से अधिक मोटाई के 257.495 क्यूबिक मीटर प्लेन एमडीएफ का आयात किया है जिसे तीन बीई के माध्यम से 2,06,547/- रुपये का एडीडी लगाए बिना आयात किया गया था।

आयातक से 1,44,354/- रुपए के लागू ब्याज के साथ 2,06,547/- रुपये के शुल्क की वसूली की गई।

क्लीयर फ्लोट ग्लास

लेखापरीक्षा की आपत्ति आंशिक रूप से स्वीकार्य है। अधिसूचना संख्या 19/2017सीशु (एडीडी) दिनांक 12.05.2017 के लिए सभी आयातकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तथापि, अधिसूचना 47/2015 - सीमा शुल्क एडीडी दिनांक

08.09.2015 के लिए लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की जाती । एहतियात के तौर पर एक सुरक्षात्मक मांग जारी की गई है।

(ix) बेंगालुरू

<u>दीवार की टाइल</u>

आयातक मैसर्स मल्टी इंपेक्स ने आईसीडी, बेंगलुरु के माध्यम से बीओई नंबर 5390147 दिनांक 28.02.2018 के माध्यम से सीटीएच 69072300 के तहत "दीवार की टाइलों" सहित विभिन्न वस्तुओं का आयात किया था। खेप पर मूल देश को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के रूप में घोषित किया गया था। आयातित 20 वस्तुओं में से, मद क्र. संख्या 5,6,7,8 और 16 दीवार की टाइलें थीं और 963.28 वर्गमीटर की दीवार क्लेडिंग थी। इसे सीटीएच 69072300 के तहत शून्य एडीडी के लिए घोषित और निर्धारित किया गया था ,जिसके लिए अधिसूचना संख्या 29/2017 दिनांक 14.06.2017 का क्रमांक 1 का संदर्भ दिया गया था। सत्यापन करने पर, यह देखा गया कि निर्यातक मै. गुआंग्डोंग जिंगकी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन का नाम अधिसूचना सं. 29/2017 दिनांक 14.06.2017 के क्रमांक 1 पर नहीं है। इसलिए, एडीडी अधिसूचना संख्या 29/2017 दिनांक 14.06.2017 के क्रमांक 8 के अनुसार $1.87/sqm की दर से एडीडी उदग्राह्य है।

आयातक मैसर्स मल्टी इंपेक्स को 1,16,816/- रुपये के अंतर शुल्क के भुगतान के लिए एम कारण बताओ नोटिस संख्या 30/2021 दिनांक 04.06.2021 जारी किया गया था।

<u>ओपल ग्लास</u>

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2015-16 से 2017-18 के दौरान बैंगलोर सीमा शुल्क क्षेत्र के माध्यम से आयात किए गए 2 मामलों में 'ओपल ग्लास' पर एडीडी अधिसूचना प्रावधानों की गलत प्रयोज्यता के कारण 2.93 लाख रुपए के एडीडी का उद्ग्रहण नहीं किया गया था।

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत नहीं है। अधिसूचना संख्या 37/2017 37/2017 (एडीडी) दिनांक 09.08.2017 के अनुसार लगाया गया डंपिंग रोधी शुल्क ओपल कांच के बने पदार्थ के लिए है और सीटीएच 7013 के तहत सभी कांच के बने पदार्थ के लिए नहीं है, ओपल ग्लास दूधिया सफेद रंग का होता है और हल्की फिटिंग

में और डिनर प्लेट जैसे कांच के टेबलवेयर में अधिक उपयोग किया जाता है। इसलिए, ऐसे सामानों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लागू नहीं होगा।

इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन

अधिसूचना संख्या 9/2016 सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 15.03.2016 के अनुसार एक बिल ऑफ एंट्री संख्या 3330207 दिनांक 21.09.2017 को बिना एडीडी लगाए मंजूरी दे दी गई है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, आयातक को 15% की दर से ब्याज के साथ 18,49,080रुपये के एडीडी के भुगतान के लिए एक पत्र जारी किया गया। आयातक ने दिनांक 01.09.2018 के पत्र के द्वारा चालान संख्या 1790 दिनांक 28.11.2017 के माध्यम से 44,834/- रुपए के ब्याज सहित 18,49,080 रुपए के एडीडी के भुगतान की सूचना दी।

हालांकि, यह ध्यान में आया है कि आयातक ने दिनांक 15.03.2016 की अधिसूचना 09/2016 के अनुसार एडीडी की गणना के लिए पहुंच मूल्य में बीसीडी को शामिल नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप कम भुगतान हुआ है। देय एडीडी रु.19,87,761/- बनता है। आयातक को दिनांक 05.06.2021 के पत्र द्वारा सूचित किया किया गया है कि वह अप-टू-डेट ब्याज के साथ 1,38,681 रुपए की शेष एडीडी राशि का भुगतान करें।

(x) तूतीकोरिन समुंदर सीमा शुल्क

सेरेमिक टाइल्स

लेखापरीक्षा ने देखा है कि मैसर्स कैलास सिरेमिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चीन से से आयातित सिरेमिक टाइलें जिसे सीटीएच 69072300 के तहत 1.87 यूएस डॉलर प्रति वर्ग मीटर पर एडीडी लगाने के लिए वर्गीकृत किया गया था, और बीई संख्या 3930749 दिनांक 09.07.2017 और बीई संख्या 3675982 दिनांक 19.10.2017 में समान वस्तुओं पर एडीडी लगाया गया था।

एडीडी अधिसूचना के अनुसार घुलनशील नमक, डबल चार्ज, जीवीटी और पीजीवीटी पोर्सिलेन/सत्यापित टाइलों पर 3% से कम जल अवशोषण और सभी आकारों पर एडीडी वसूलनीय है। जैसा कि यह स्पष्ट है कि एडीडी की प्रयोज्यता केवल घुलनशील नमक, डबल चार्ज, जीवीटी और पीजीवीटी चीनी मिट्टी के बरतन/विट्रिफाइड टाइलों के संदर्भ में है और इन टाइलों पर एडीडी की आगे प्रयोज्यता जल अवशोषण की प्रतिशतता पर निर्भर है अर्थात जल अवशोषण 3% से कम होने पर ही इन टाइलों

पर एडीडी लगेगा। इसके अलावा व्यापार से यह समझा जाता है कि सिरेमिक टाइलों का जल अवशोषण आमतौर पर 3% से अधिक होता है क्योंकि यह बहुत छिद्रपूर्ण होता है और अधिसूचना में उल्लिखित चीजों से अलग होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि लेखापरीक्षा निष्कर्षों में संदर्भित बी/ई के तहत आयातित विषय वस्तु केवल सिरेमिक टाइलें हैं और संगत बी/ई से संबंधित खरीद चालान संख्याः 171018 दिनांक 18-10-2017 के लिए गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार जल अवशोषण 3% से अधिक है, इस पर कोई एडीडी नहीं लगाया जाएगा।

शीट ग्लास

लेखापरीक्षा ने तर्क दिया है कि "शीट ग्लास" जो शीर्षक 70042011 या 70042019 के अंतर्गत आता है एवं जो पीआर चीन में उत्पन्न या वहाँ से निर्यात किया जाता है और भारत में आयात किया जाता है, तो उस पर अधिसूचना संख्या 07/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 13.03.2015 के अनुसार 63 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन की दर से एंटी डंपिंग शुल्क (एडीडी) वसूलनीय है।

तूतीकोरिन पोर्ट के माध्यम से 7 बिल ऑफ एंट्री द्वारा आयातित शीट ग्लास को को 70049099 के तहत गलत वर्गीकृत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 16.34 लाख रुपये का एडीडी नहीं वसूला गया था। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि सीटीएच 700420 के अंतर्गत आने वाला सीमा शुल्क टैरिफ (विवरण-ग्लास वाला ग्लास, पूरे द्रव्यमान में रंगीन (बॉडी टिंटेड), ओपेसिफाइड, फ्लैशड या शोषक, परावर्तक या गैर परावर्तक परत वाला) और 7004 के तहत आने वाली अन्य सभी वस्तुओं को सीटीएच 700490 के तहत "अन्य" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

उपर्युक्त बिल ऑफ एंट्रीज के तहत आयातित कार्गो में विशेष रूप से सीटीएच 70042011 या 70042019 में उल्लिखित विशेषताएं नहीं दर्शाई गई हैं। आयातित माल का विवरण "अवशोषक परावर्तक या गैर परावर्तक परत वाला " जैसी विशेषता को इंगित नहीं करता।

इस संबंध में 70 में अध्याय के अध्याय नोट 2 (सी) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: "शोषक, परावर्तक या गैर परावर्तक परत अभिव्यक्ति " का अर्थ सूक्ष्म रूप से धातु या रासायनिक यौगिक (उदाहरण के लिए, धातु ऑक्साइड) का एक लेप है जो अवशोषण करता है, उदाहरण के लिए, इन्फ्रा-रेड लाइट या ग्लास के परावर्तन और गुणों में सुधार करता है जबकि अभी भी इसे पारदर्शिता या पारभासी की एक डिग्री

बनाए रखने की इजाजत देता है; या जो कांच की सतह पर प्रकाश को प्रतिबिंबित होने से रोकता है"

चूंकि आयात के तहत ग्लास में शोषक, परावर्तक या गैर परावर्तक परत की पूरी विशेषताएं नहीं हैं, इसलिए माल को सीटीएच 700490 शीर्षक के तहत सही ढंग से वर्गीकृत किया गया है और इसलिए कोई डंपिंग रोधी शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

42. इस संबंध में, समिति यह जानने के लिए उत्सुक थी कि लेवी के लिए एडीडी अधिसूचनाओं को गलत तरीके से लागू करने के कारणों की पहचान करने हेतु किए गए प्रयासों और तत्संबंधी की गई अनुवर्ती कार्रवाई। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत तरीके से बताया:-

`जबकि एडीडी विशिष्ट आयात की पिन पॉइंट पहचान के आधार पर लगाया जाता है, वस्तु की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड बहु-आयामी होते हैं, जैसे ग्रेड, घनत्व, आयाम इत्यादि के विनिर्देशों के साथ पठित वर्णनात्मक नाम। आइटम भी शायद ही कभी एक साधारण सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक आधारित विवरण होता है। यह आम तौर पर सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक का एक सबसेट होता है। विवरण में अपवाद भी हो सकते हैं। इसके अलावा विवरण के भीतर या बाहर भी बहिष्करण हो सकता है। वस्तु के स्रोत में उत्पादक और निर्यातक के संयोजन में निर्यात के देश के साथ पठित मूल देश शामिल हो सकता है। संयोजन के आधार पर शुल्क की दरें भी भिन्न हो सकती हैं। गैर-निर्दिष्ट संस्थाओं पर एडीडी अक्सर निर्दिष्ट उत्पादकों/निर्माताओं की तुलना में अधिक होता है। इसके अलावा, हो सकता है प्रयोज्यता को एक निर्दिष्ट सीमा से नीचे आयात मूल्य तक सीमित रखने की भी आवश्यकता हो। कुछ निर्यातक जो डीजीटीआर को मूल्य संबंधी वचनद्धता देते हैं, उन्हें लेवी के दायरे से बाहर रखा जा सकता है।

उपरोक्त पैरामीटर एडीडी को लागू करने के लिए प्रासंगिक कारकों के एक कठिन कठिन और जटिल मैट्रिक्स की ओर ले जाते हैं जो अलग-अलग मामलों में भिन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एडीडी लगाने का प्रत्येक मामला अद्वितीय है और आईसीईएस निर्देशिका में शामिल करने के लिए एक अलग तर्क की आवश्यकता है। इस कारण से, प्रविष्टि बिल को दाखिल करने के चरण में (उपयुक्त सिस्टम सत्यापन के के माध्यम से) या मूल्यांकन के प्रारंभिक चरण में फुलप्रूफ अनुपालन के लिए एडीडी को पूरी तरह से स्वचालित करना संभव नहीं है।

प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, आयातक द्वारा विवरण की अपूर्ण या परिवर्तित घोषणा या एडीडी लागू करने के स्व-मूल्यांकन चरण में चूक से गलत प्रयोज्यता हो सकती है।

तदनुसार, मानवीय हस्तक्षेप सहित कुछ हद तक अलग हस्तक्षेप आवश्यक है। इस प्रकार, एडीडी अधिसूचनाओं को लागू करने के लिए सही प्रयोज्यता के अनुपालन को पहले वर्णित संपूर्ण, बहु-आयामी जोखिम प्रबंधन ढांचे या पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो सुविधा और प्रवर्तन के बीच संतुलन को सक्षम बनाता है।

इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन प्रणाली, जो एक लक्ष्यीकरण तंत्र है, विभिन्न स्रोतों से प्रोफाइल निर्माण में निरंतर प्रतिक्रिया पर आधारित है और यह अधिक प्रबुद्ध तकनीकों को अपनाने की दिशा में कदम उठाने का प्रयास कर रही है।

43. जिन मामलों में एडीडी लगाने के लिए निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले आयात के बावजूद एडीडी नहीं लगाया गया था, मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया

`स्व-निर्धारण के लिए विधिक प्रावधान के अनुसार आयातक के लिए माल की सही घोषणा करने और वर्गीकरण, अधिसूचना, शुल्क की दर आदि का दावा करने के लिए एक तंत्र है। दावा करने के बाद, सिस्टम स्व-घोषणा के आधार पर स्वतः भर जाता है। जब आयातक या सीमा शुल्क ब्रोकर गलत घोषणा को दबाता है या करता है तो सिस्टम स्वचालित रूप से एक एडीडी अधिसूचना को लागू नहीं कर सकता, खासकर क्योंकि एडीडी केवल विशिष्ट देश के मूल, निर्माण आदि के मामले में लगाया जा सकता सकता है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के तहत घोषणा और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 17 के अनुसार स्व-मूल्यांकन के आधार पर, एक बिल ऑफ एंट्री को मूल्यांकन के लिए या शुल्क से बाहर चिह्नित किया जाता है। संबंधित निर्धारण अधिकारी निर्धारण के समय उक्त अधिसूचना की प्रयोज्यता के आधार पर अधिसूचना को लागू कर या हटा सकता है।, साथ ही आउट ऑफ चार्ज अधिकारी ऐसे बिल ऑफ एंट्री को निर्धारण समूह को मूल्यांकन के सत्यापन के लिए निर्धारण के लिए चिह्नित कर सकता है।

प्रत्येक एडीडी अधिसूचना में उल्लिखित सीटीएच/सीटीआई और मूल देश/शिपमेंट के आधार पर, आरएमएस ने क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए उन बिलों में

हस्तक्षेप किया था जिनमें एडीडी लागू नहीं किया गया था। बाद में, यह फील्ड अधिकारियों पर छोड़ दिया गया कि वे ऐसे मामलों की जांच करें और यह तय करें कि एडीडी लगाया जाना है या नहीं।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आरएमएस को एडीडी अधिसूचना शर्तों का सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार, आरएमएस उपयुक्त चयन मानदंड के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन के आधार पर एक निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए प्रविष्टि बिलों के के चयन के लिए है; विभिन्न अधिसूचनाओं (एडीडी सहित) की कई शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बीई को मान्य करने के लिए नहीं, ऑडिट रिपोर्ट में उद्धृत गैर-लेवी पर सभी मामलों के लिए, आरएमएस में विशेष रूप से एडीडी के लिए बनाए गए विशिष्ट कस्टम टैरिफ स्तर के अंतर्विरोध थे।

आरएमएस लक्ष्यीकरण से एकमात्र संभावित बचाव (escape) यह हो सकता था कि कुछ एईओ आयातक को, विश्वसनीय ऑपरेटर होने के नाते, सरकार की नीति के अनुसार बढ़ी हुई सुविधा प्रदान की गई थी। ऐसे गैर-अनुपालन, यदि कोई हों, को एईओ के परिसर-आधारित लेखापरीक्षा (पीबीए) के माध्यम से निपटाया जाता है।

इस संभावित अंतर को पाटने के लिए, आरएमएस मानदंड को (2017/2018 में) एंटी-डंपिंग शुल्क अधिसूचना में शामिल कस्टम टैरिफ मदों के साथ सभी बिलों को रोकने के लिए (संबंधित एडीडी अधिसूचना में उल्लिखित 6/8-अंकों के स्तर पर) बदला गया था और जहां डंपिंग रोधी शुल्क नहीं लगाया गया है, और डंपिंग रोधी शुल्क की प्रयोज्यता या अन्यथा सत्यापित करने के लिए फील्ड अधिकारियों को भेजा जाता है।`

44. यह पूछे जाने पर कि क्या एडीडी अधिसूचना प्रावधानों को गलत तरीके से लागू करने के कारण सरकारी कोष को हुए नुकसान के परिणामस्वरूप गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है, मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया: -

`1205 मामलों में 63.60 करोड़ रुपए के एडीडी की कम वसूली के सम्बंध में , यह प्रस्तुत है कि मंत्रालय ने लगभग 500 मामलों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें से 5.52 करोड़ की वसूली की गई है और शेष मामलों के लिए सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए सुधारात्मक कार्रवाई पहले ही की गई है। शेष लगभग 700 मामलों में मंत्रालय आपत्ति का विरोध कर रहा है।

जहाँ तक राजकोष को हानि पहुँचाने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई का सम्बन्ध है, यह प्रस्तुत है कि राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है। इसके अलावा, सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकारी विस्तृत जांच के बाद जहां भी आवश्यक समझा जाता है, उपयुक्त कार्रवाई करता है।`

पैरा सं. 3.5.4 ; उद्गम देश की शर्तों के उल्लं घन में एडीडी का अनुद्ग्रहण

45. एंटी डंपिंग का उद्ग्रहण निर्यातक विशिष्टत और देश विशिष्ट दोनों हैं। यह उन देशों से आयातों तक विस्तारित होता है जिसके, संबंध में नामित प्राधिकरण की सिफारिशों पर सीमा शुल्कत द्वारा शुल्कष अधिसूचित किया गया है।

46. उन देशों से आयातों पर एडीडी के अनुद्ग्रहण के कुछ मामले देखे गए जिनके संबंध में एडीडी उद्ग्रहणीय थी। उत्पाद मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, कपड़ा, कपड़े और यार्न धातु और धातु सामग्री, रसायन और रासायनिक उत्पाद और अन्य थे। तत्संबंधी मामलों के साथ-साथ मंत्रालय की प्रतिक्रिया इस प्रकार थी:

(i) मशीनरी और यांत्रिक उपकरण

चीन, चीनी ताइपे, फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम से उद्भूत या आयातित सीटीएच 84771000 के तहत आने वाले 40 टन से कम नहीं और 3200 टन के बराबर या कम की क्लैं पिंग फॉर्स वाली सभी प्रकार की प्लाकस्टिक प्रोसेसिंग मशीनों या इंजेक्शमन मॉल्डिंग मशीनों, जिन्हैंक इन्जेनक्श्न प्रैस भी कहा जाता है, पर उतराई मूल्यज के 29 प्रतिशत के बराबर एडीडी लगाया जाता है।

पांच कमिश्नरियों में, चीन ताइवान और वियतनाम से आयातित इंजेक्शोन मोल्डिंग मशीनों के 24 परेषणों की निकासी सीटीएच 84771000 के अंतर्गत सही रूप से वर्गीकृत करने के बावजूद 2.95 करोड़ रूपए का एडीडी लगाए बिना की गई थी जो उपर्युक्तक अधिसूचनाओं का उल्लंघन है।

इस विषय को जनवरी/अगस्त 2018 में विभाग के संज्ञान में लाया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

<u>मंत्रालय की टिप्पणियां:</u> -

(क) त्रिची- आयुक्तालय ने सीआरए, चेन्नई को अपने कार्यालय सी.सं. VIII/22/12/2018-लेखा परीक्षा दिनांक 08.11.2018 के माध्यम से एसओएफ स्तर पर पैरा को बंद करने की सिफारिश करते हुए उत्तर प्रस्तुत किया था।

लेखापरीक्षा ने तर्क दिया है कि पीआर चीन में उत्पन्न होने वाली और सीटीएच 84771000 के तहत आने वाले पीआर चीन से भारत में निर्यात की गई प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीन या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पर अधिसूचना संख्या 57/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 04.12.2015 और अधिसूचना संख्या 9/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 15.03.2016 के तहत 29 प्रतिशत की दर से एडीडी लगता है। आयातक मैसर्स शक्ति पॉलिमर, एक निर्माता और पीवीसी और एचडीपीई पाइप्स के आपूर्तिकर्ता ने बिल ऑफ एंट्री नंबर 9492398 दिनांक 28.04.2017 के माध्यम से चीन से एक खेप में दो इंजेक्शन प्रेस और क्लैम्पिंग इकाइयों का आयात किया था, सीटीएच 84779000 के तहत इसे "पार्ट्स" के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था। आयातक द्वारा आयातित माल की गलत घोषणा के कारण, डंपिंग रोधी शुल्क शुल्क लगाए जाने के लिए छोड़ दिया गया था और जिसके परिणामस्वरूप 6.19 लाख रुपये का एडीडी नहीं लगाया गया था।

इस संबंध में, यह प्रस्तुत है कि आयातक मेसर्स शक्ति पॉलीमर्स के पास अपनी उत्पादन लाइन में पीपीआर फिटिंग के निर्माण के लिए 18 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें हैं, जो या तो भारत में खरीदी जाती हैं या चीन से आयात की जाती हैं और ऐसी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों में अन्य भागों के साथ निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं:

- सर्वो हाइड्रोलिक मोटर
- मशीन बेस
- पीएलसी नियंत्रण
- हाइड्रोलिक पंप
- क्लैंपिंग यूनिट
- एसी ड्राइव
- हीटर और थर्मोकपल
- इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण कक्ष
- इंजेक्शन यूनिट
- हाइड्रोलिक वाल्व
- गियर व्हील्स
- मशीन एंक्लोजर्स
- हूपर
- इजेक्टर यूनिट

- विद्युत सहायक उपकरण और कई अन्य।

आयातक ने कहा है कि चूंकि, क्लैंपिंग यूनिट और इंजेक्शन यूनिट को पीपीआर फिटिंग के उत्पादन के दौरान अधिक टूट-फूट का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें अपने मौजूदा 200-250 टन क्षमता वाली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए क्लैंपिंग यूनिट और इंजेक्शन यूनिट के विभिन्न हिस्सों को बदलना पड़ा।

चूंकि इस तरह की क्लैम्पिंग यूनिट और इंजेक्शन यूनिट को अकेले संपूर्ण इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में ऊपर बताए गए कई अन्य भाग शामिल होते हैं।

इस प्रकार आयातित कार्गो अर्थात क) इंजेक्शन यूनिट और (ख) क्लैंपिंग यूनिट को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के सीटीएच 84779000 "पार्ट्स" के तहत सही ढंग से वर्गीकृत किया गया है और उक्त माल पर एडीडी लगाने की मांग करने वाला ऑडिट पैरा टिकाऊ नहीं है।

(ख) चेन्नई: - लेखापरीक्षा के अनुसार, चेन्नई सागर आयुक्तालय के माध्यम से आयातित इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की 21 खेप को 139.15 लाख रुपये के एडीडी के लेवी/कम लेवी के बिना अनुमत किया गया था। राजस्व की रक्षा के लिए एससीएन जारी किया गया है। सभी दस्तावेजों और तकनीकी मानकों के विनिर्देशों के सत्यापन पर, इन मामलों का निर्णय योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

मंत्रालय की टिप्पणियाँ: फील्ड फॉर्मेशन से इस संबंध में आगे उत्तर प्राप्त होने पर उसे यथा समय प्रस्तुत किया जाएगा

(ग) जेएनसीएच: लेखापरीक्षा ने देखा कि मेसर्स मनीषा फार्मो प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स द सुप्रीम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सुभादा पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड ने क्रमशःबीई संख्या 4685888/23.03.2016, 5773104/27.06.2016 और 6004253/ 15.07.2016 के द्वारा उक्त माल का आयात 22,00,409/- रुपए की एडीडी एडीडी की वसूली एवं भुगतान के बिना किया था।

आयुक्तालय मैसर्स मनीषा फार्मो प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड से सम्बंधित बी/ई संख्या 4685888/23.03.2016 के सम्बंध में 6,48,476/- रुपये की राशि, और मैसर्स सुभादा पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित बी/ई संख्या 6004253/15.07.2016 के सम्बंध में 9,94,490/- रुपए के एडीडी की गैर- उगाही की सीमा तक सहमत है।

मैसर्स द सुप्रीम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में बीई सं. 5773104/27.06.2016, माल की जांच के समय, डॉक अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि मैनुअल चालान के माध्यम से 5.57 लाख का एडीडी भुगतान किया गया है।

शेष दो मामलों में एडीडी की कम वसूली और भुगतान न करने, मांग और वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

मंत्रालय की टिप्पणियां: फील्ड फॉर्मेशन से इस संबंध में आगे उत्तर प्राप्त होने पर उसे यथा समय प्रस्तुत किया जाएगा

(घ) आईसीडी पटपड़गंज: सीयारए ने देखा कि 2 बीई से संबंधित इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के आयात पर एडीडी का भुगतान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 30.97 लाख रुपए की एडीडी की गैर वसूली हुई।

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत नहीं है क्योंकि उक्त मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित है और ऊर्जा की बचत/ऊर्जा की खपत और इन्वर्टर इस मशीनरी की विशेषताएं और भाग हैं और उक्त इलेक्ट्रिक प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को अपवर्जन के मामले में एडीडी की वसूली से सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 9/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 15.03.2016 के क्रमांक III के तहत निर्दिष्ट नियम से बाहर रखा गया है

(ड) बंगलुरु:- फील्ड फॉर्मेशन से इस संबंध में आगे उत्तर प्राप्त होने पर उसे यथा यथा समय प्रस्तुत किया जाएगा

(i) कपड़ा, वस्त्र और धागा

(क) चीन, ताइवान, मलेशिया, थाइलैंड, कोरिया आरपी और इंडोनेशिया में उद्भूत किसी उत्पादक द्वारा उत्पादित या निर्यातित और भारत में आयातित नाइलॉन फिलामेंट धागे पर उत्पादक और निर्यातक के संयोजन के आधार पर यूएसडी के बीच की दर पर एडीडी उद्ग्रहणीय हैं। .ग्रा.प्रति कि 1.51 से 0.20

चेन्नई सी कमिश्नरी और आईसीडी पटपड़गंज के माध्यम से चीन, कोरिया आरपी और इंडोनेशिया से आयातित (जुलाई 2015 से जनवरी 2018) नाइलॉन फिलामेंट धागा की तेईस परेषणों की निकासी अध्याय शीर्षक 54 के तहत सही रूप से वगीकृत करने के बावजूद ₹1.33 करोड़ के प्रयोज्य एडीडी के उद्ग्रहण के बिना की गई थी।

इस विषय को जून 2018 में विभाग के संज्ञान में लाया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

मंत्रालय की टिप्पणियां: -

(i) चेन्नई:- लेखापरीक्षा के अनुसार, चेन्नई समुद्री आयुक्तालय के माध्यम से आयातित नाइलॉन फिलामेंट यार्न की 21 खेपों को बिना 131.70 लाख रुपए की एडीडी की वसूली/कम वसूली के अनुमत किया गया था। एक आयातक, मेसर्स एचएसआई ऑटोमोटिव प्रा. लिमिटेड ने 100% पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न की 5 खेपों का आयात किया, जिसे 'फिलामेंट यार्न पीईएफ और 1500 डीएक्स1 प्लाई' के रूप में घोषित किया गया है, जिसके लिए एडीडी लागू नहीं है। पिछले बीई के तहत आयातित और उसी आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए ऐसे ही माल का परीक्षण वस्त्र समिति द्वारा किया गया था और 100% पॉलिएस्टर पाया गया था। एडीडी अधिसूचना 03/2012 केवल नायलॉन फिलामेंट यार्ड को संदर्भित करती है। शेष आयातकों को परामर्शी पत्र भेजे गए हैं।

मंत्रालय की टिप्पणियां: फील्ड फॉर्मेशन से इस संबंध में आगे उत्तर प्राप्त होने पर उसे यथा समय प्रस्तुत किया जाएगा

(ii) आईसीडी पटपड़गंज: - स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि माल नायलॉन के उच्च टेनसिटी यार्न हैं और उन्हें सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 3/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 13.01.2012 यथा संशोधित अधिसूचना सं. 4/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 19.01.2017 के अनुसार एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, उक्त अधिसूचना के अनुसार, यदि माल की गंतव्य स्थान पर पहुंच कीमत 5.17 अमेरिकी डॉलर से अधिक है, तो उसे शुल्क की वसूली से बाहर रखा गया है। वर्तमान मामले में, गंतव्य स्थान पर उतराई कीमत 29.31 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम है, इसलिए इसे अपवर्जन खंड में शामिल किया गया है।

(ख) शहतूत कच्चा सिल्कन किसी उत्पादक/निर्यातक द्वारा चीन से उद्भूत या या निर्यातित सीटीएच 50020010 के तहत आने वाले किसी विनिर्देश के साथ शहतूत का कच्चा सिल्क5 ग्रेड 3ए ग्रेड और इससे कम पर यूएस डॉलर 1.85 प्रति कि.ग्रा की दर पर एडीडी लगाया जाएगा।

चेन्नई समुद्र कमिश्नरी में चीन से आयातित शहतूत का कच्चा सिल्क ग्रेड 3 के के 5 परेषणों की निकासी `13.67 लाख के लागू एडीडी, के उद्ग्रहण के बिना की गई थी, हालांकि उसी पोर्ट के माध्यम से समान आयातों पर एडीडी लगाया जाता है।

इस विषय को मार्च 2017 में विभाग के संज्ञान में लाया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित है। (अक्टूबर 2019)।

मंत्रालय की टिप्पणियां: -

चेन्नई:- लेखापरीक्षा के अनुसार, चेन्नई समुद्री आयुक्तालय के माध्यम से आयातित शहतूत की रा सिल्क की 5 खेपों को बिना 13.67 लाख रुपए की एडीडी की वसूली/कम वसूली के अनुमत किया गया था। आयातकों को परामर्शी पत्र जारी कर दिए गए हैं।

मंत्रालय की टिप्पणियां: फील्ड फॉर्मेशन से इस संबंध में आगे उत्तर प्राप्त होने पर उसे यथा समय प्रस्तुत किया जाएगा

(iii) धातु और धातु की वस्तुंएं

चीन से 'एल्युमिनियम फॉयल' के आयात पर यूएसडी 1.63 प्रति कि.ग्रा. की दर पर एडीडी उद्ग्रहणीय है यदि उत्पानदक और निर्यातक का संयोजन उनके अलावा 'कोई' अन्य है जो दिनांक मई 2017 की अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारित है।

चीन से एल्युमिनियम फॉयल के आठ परेषणों का आयात आईसीडी-तुगलकाबाद और जेएनसीएच, मुंबई कमिश्न री के माध्याम से किया गया था। आयातित माल को एडीडी लगाए बिना आरएमएस के माध्यम से निकासी की सुविधा दी गई थी। अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अननुपालन के परिणामस्वारूप `1.12 करोड़ के एडीडी का उद्ग्रहण नहीं हुआ। इस विषय में बताए जाने पर आईसीडी, तुगलकाबाद प्राधिकरण ने तीन आयातकों से ` 75.11 लाख के पूरे अनुद्ग्रहण की वसूली की सूचना दी। जेएनसीएच, मुंबई का उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

मंत्रालय की टिप्पणियां: -

(क) मुंबई-II मेसर्स सिद्धी प्रोडक्ट्स के बिल ऑफ एंट्री नंबर 4095328 दिनांक 21.11.2017 के मामले में एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के लिए ऑडिट पैरा से सहमत है। हालांकि, निकासी के समय आयातक ने प्रणाली में चालान संख्या 2020544469 दिनांक 14.12.2017 के द्वारा 8,62,000/- रुपए के एंटी-डंपिंग शुल्क का भुगतान किया किया था तथा शुल्क के विलंबित भुगतान के लिए 19669/- रुपए का यथा लागू ब्याज भी अदा किया था।

मेसर्स टाइमेक्सबोड इंडस्ट्रीज के बीई नं. 4146084/25.11.2017 के मामले में, घोषित विवरण "रंग लेपित एल्यूमिनियम फोइल इनवॉइस मोटाई 0.042 मिमी = 42 माइक्रोन के अनुसार" है। बोर्ड के परिपत्र 45/2017 दिनांक 22.11.2017 के अनुसार, बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि रंग लेपित एल्युमिनियम फॉयल डंपिंग रोधी शुल्क के दायरे से बाहर है।

मै. ब्लू स्टार लिमिटेड के बिल ऑफ एंट्री नंबर 9715255 दिनांक 16.05.2017 एवं 9715267/16.05.2017 के मामले में मामला आदेश संख्या 165/2018-19/जेसी/एनएस-III/सीएसी/जेएनसीएच दिनांक 18.05.2018 के द्वारा न्यायनिर्णीत किया गया और आयातक ने ब्याज के साथ 7,15,702/- रुपए की डंपिंग रोधी शुल्क का भुगतान किया है जो एचसी संख्या 450/29.12.2017 और एचसीएम नंबर 29.12.2017 के तहत था और 2,92,278/- रुपए एचसी नंबर 45/29.12.2017 और एचसीएम नंबर 1913/29.12.2017 के तहत अदा किए गए थे। जुर्माना राशि आयातक से वसूलनीय है। आयातक से बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

मंत्रालय की टिप्पणियां: फील्ड फॉर्मेशन से इस संबंध में आगे उत्तर प्राप्त होने पर उसे यथा समय प्रस्तुत किया जाएगा

मै. अश्वा इंसुलेशन प्रा. लिमिटेड के बिल ऑफ एंट्री नंबर 9714415 दिनांक के मामले में, मामला आदेश संख्या 03/2018-19/जेसी/एनएस-III/सीएसी/जेएनसीएच दिनांक 02.04.2018 के द्वारा न्यायनिर्णीत किया गया था और आयातक ने ब्याज एवं जुर्माने के साथ 27,30,473/- रुपए के डंपिंग रोधी शुल्क का भुगतान किया है जो डीडी संख्या 011389/21.08.2017 के द्वारा, एचसीएम संख्या 282/04.05.18 एवं 283/04.05.2018 के माध्यम से किया गया था।

मंत्रालय की टिप्पणियां: फील्ड फॉर्मेशन से इस संबंध में आगे उत्तर प्राप्त होने पर उसे यथा समय प्रस्तुत किया जाएगा

मैसर्स फ्यूचरिस्टिक मार्केटिंग सॉल्यूशंस के बिल ऑफ एंट्री नंबर 9714097 दिनांक 16.05.2017 के मामले में मामला को आदेश संख्या 1201/2018/जेसी/एनएस-III/सीएसी/जेएनसीएच दिनांक 20.03.2019 के माध्यम से न्यायनिर्णीत किया गया था जिसमें जुर्माना सहित एंटी डंपिंग शुल्क की वसूली का आदेश दिया गया था। आयातक से बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) आईसीदी टीकेडी:- आयातकों से शुल्क मांग वसूल ली गई है और उक्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इसका पहले ही उल्लेख किया गया है।

लेखापरीक्षा की संवीक्षा टिप्पणी प्रतीक्षित है

(iv) रसायन और रासायनिक उत्पातद

(क) सीटीएच 29051620 के अंतर्गत आने वाले 2 इथिल हेक्साईनॉल (2ईएच) पर यूएसडी 113.47 प्रति एमटी के निर्धारित दर पर एडीडी लगाया जाता है, जहां आयातित माल का उद्गम देश यूरोपीय संघ है।

रोमानिया से आयातित 300 एमटी 2 ईएच की निकासी कांडला कमिश्नईरी से सीमा शुल्कि के उद्ग्रहण के बिना की गई यद्यपि रोमानिया यूरोपीय संघ का सदस्यक सदस्यक है। आयातित माल की निकासी 23.10 लाख रूपए के एडीडी के उद्ग्रहण के बिना की गई थी।

इस विषय में बताए जाने पर विभाग ने 23.10 लाख रूपए की वसूली की सूचना दी।

मंत्रालय की टिप्पणियां: -

कांडला

सीएजी के अवलोकन के अनुसार 23.10 लाख रुपए पहले ही वसूल किए जा चुके हैं। उक्त राशि मेसर्स मेघारिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा दायर बीई संख्या 8610286 दिनांक 20.02.2017 के प्रति मांगी गई थी। आयातक ने देय एडीडी और उस पर ब्याज सहित 23,09,682/- रुपए का भुगतान टीआर-6 चालान संख्या 757 दिनांक 23.06.2017 के तहत कर दिया है।

(ख) यूएसए में उद्भूत या निर्यातित सीटीएच 29071110 के अंतर्गत वर्गीकृत फिनोल के आयातों पर यूएसडी 159.63 प्रति एमटी की निर्धारित दर पर एडीडी लगाया जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिनियम 2005 की धारा 30 के अनुसार सेज से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में ले जाए गए किसी माल पर सीमा शुल्कर टैरिफ अधिनियम 1975 के अंतर्गत सीमा शुल्के प्रभारित होगा जिसमें एंटी डंटिंग, प्रतिकारी और सुरक्षा शुल्क शामिल होंगे जैसे आयात के समय ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय होते है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (केएएसइजेड) के अंतर्गत एक सेज इकाई ने एडीडी के भुगतान के बिना डीटीए में 168 एमटी फिनोल की निकासी की थी। (अक्टूबर 2016)।लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि डीटीए में निकासी किया गया फिनॉल यूएसए से आयात किया गया था जिस पर एंटी डंपिंग शुल्कक लगना था। इस प्रकार, डीटीए निकासियों पर उपर्युक्त। अधिसूचना की शर्तों में एडीडी का उद्ग्रहण अपेक्षित था। इसके परिणामस्वररूप 18.13 लाख रूपए तक एंटी-डंपिंग शुल्कस का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

इस विषय में बताए जाने पर (जून 2017), विभाग ने 18.13 लाख रूपए की वसूली की सूचना दी (जून 2017)।

मंत्रालय की टिप्पणियां: -

कांडला

लेखापरीक्षा ने मेसर्स जीएनके एंटरप्राइज, केएएसजेड के तहत एक एसईजेड इकाई, द्वारा आयात के मामले में पाया कि बीई संख्या 0016296 दिनांक 08.10.2016 08.10.2016 और 0016458 दिनांक 21.10.2016 के माध्यम से एडीडी के भुगतान के बिना डीटीए में फिनोल की निकासी की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 18.13 लाख रुपए की एडीडी की गैर-वसूली हुई। 18.13 लाख रुपए की उक्त राशि की पहले ही वसूली की जा चुकी है।

(V) अन्य

(क) ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड

चीन से उद्भूत या निर्यातित सीटीएच 8545 के अंतर्गत आने वाले सभी व्याउस के ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के आयात पर यूएसडी 922.03 प्रति एमटी की दर पर एडीडी उद्ग्रहणीय है।

जेएनसीएच, मुंबई और विशाखापटनम कमिश्नीरी में चीनी पीआर से आयातित ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के चार परेषणों की निकासी `66.07 लाख के एडीडी उद्ग्रहण के बिना की गई थी।

मंत्रालय की टिप्पणियां: -

(i) विशाखापटनम:-

यह सूचित किया जाता है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की निकासी के लिए मैसर्स भूषण स्टील लिमिटेड द्वारा बीई संख्या 6456028 दिनांक 23.08.2016 दायर किया

गया था। सीएन 04/2015-सीशु-एडीडी दिनांक 13.02.2015 के अनुसार इस सामान पर एडीडी प्रभार्य है।

लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया मुद्दा यह है कि उक्त अधिसूचना की संख्या 14 के के अनुसार इस वस्तु पर एडीडी यूएसडी 922.03 पीएमटी की दर से प्रभार्य है जबकि विभाग ने क्रमांक 12 के तहत एडीडी यूएसडी 391.84 पीएमटी की दर से चार्ज किया, जिसके परिणामस्वरूप 29,72,052/- रुपये का कम संग्रह हुआ।

यह सूचित किया जाता है कि मैसर्स सीआईएमएम डोंगहाई एडवांस्ड कैबॉन कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्मित और मेसर्स सीआईएमएम ग्रुप कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्यात निर्यात किया गया ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मेसर्स भूषण स्टील द्वारा बीई सं. 6456028 दिनांक 23.08.2016 के प्रति आयात किया गया था, जो सीएन 04/2015-सीमाशुल्क-एडीडी दिनांक 13.02.2015 के क्रमांक 12 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। आयातकों ने इस संबंध में निर्माता मैसर्स सीआईएमएम डोंगहाई एडवांस्ड कार्बन लिमिटेड द्वारा जारी इनवॉइस नंबर 16 सीआईएमएम -087/098 दिनांक 07.07.2016 द्वारा कवर की गई वस्तुओं के लिए अधिसूचना 04/2015-सीमाशुल्क-एडीडी दिनांक 13.02.2015 की क्रम संख्या 12 के अंतर्गत एडीडी की उगाही संबंधी उनके दावे के प्रमाण के तौर पर जारी किया गया निरीक्षण जांच प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

(ii) जेएनसीएच, मुंबईः आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत है।

मैसर्स कल्याणी कारपेंटर स्पेशल स्टील्स लिमिटेड के मामले में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28कक के तहत लागू ब्याज के साथ 11,77,119.63/- रुपये का पाटनरोधी शुल्क।

मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के मामले में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28कक के तहत लागू ब्याज के साथ 24,57,663.77/- रुपये का पाटनरोधी शुल्क।

आयुक्तालय, मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के मामले में लेखापरीक्षा निष्कर्ष से सहमत है। इसके अलावा, मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 36,37,851/- रुपए की धनराशि का भुगतान किया है जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28कक के तहत पाटनरोधी शुल्क के साथ उस पर लागू ब्याज चालान संख्या एचसीएम 358 दिनांक 5.2.2020, एचसी 65 दिनांक 05.02.2020, एचसीएम 1913 दिनांक 20.02.2020, एचसी 461 दिनांक

20.02.2020, एचसीएम 817 दिनांक 14.07.2017 और एचसी 127 दिनांक 07.07.2017 सम्मिलित था।

आयुक्तालय मैसर्स कल्याणी कारपेंटर स्पेशल स्टील्स लिमिटेड के मामले में लेखापरीक्षा के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले ही चालान संख्या एचसीएम-912 दिनांक 10.03.2015 के द्वारा यानी मूल्यांकन के एक दिन दिन के भीतर 11,77,119/- रुपये की एंटी डंपिंग ड्यूटी का भुगतान कर दिया है। इसलिए, इस मामले में पाटनरोधी शुल्क का कोई कम भुगतान नहीं हुआ था।

(ख) मापन टेप (स्टील टेप)

मलेशिया से उद्भूत या निर्यातित सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 90178090 के अंतर्गत वर्गीकरणीय 'मापन टेप' के आयात पर यूएसडी 2.60 प्रति कि.ग्रा. की निर्धारित दर पर एडीडी उदग्रहणीय है।

चेन्नई समुद्र, सीमा शुल्क के माध्यम से मलेशिया से आयातित (सितंबर 2016) सीटीएच '90178090-अन्य उपकरण' के अंतर्गत वर्गीकरणीय 'मापन टेप (स्टील टेप)' के एक पारेषण (18250 कि.ग्रा.) की निकासी 32.15 लाख रूपए के एडीडी के उद्ग्रहण के बिना की गई थी।

इसे इंगित किए जाने पर (फरवरी 2017) विभाग ने बताया (नवंबर 2017) कि मांग नोटिस जारी कर दिया गया है। अगली प्रगति प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2019)।

<u>मंत्रालय की टिप्पणियां- :</u>

(एक) चेन्नईः- लेखापरीक्षा के अनुसारचेन्नई सागर आयुक्तालय के माध्यम से , आयातित मापनेवाले टेपों की लाख रुपए की 32.15 खेप को बिना 1 कम वसूली के अनुमत किया गया था। मामले का न्यायनिर्णयन किया /वसूली गया।वसूली प्रक्रियाधीन आदेश जारी किया-गया और मांग की पुष्टि के लिए मूल है।

मंत्रालय की टिप्पणियां:- इसके अलावा, इस संबंध में उत्तर फील्ड फॉर्मेशन से प्राप्त होने पर यथासमय प्रस्तुत किया जाएगा।"

.47 जब समिति ने उन देशों से आयात पर पाटनरोधी शुल्क न लगाने का कारण पूछा, जिनके संबंध में एडीडी उद्ग्राह्य था और क्या देश की परिणामी वित्तीय हानि का का कोई आकलन किया गया था, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया-:

"किसी देश विशेष से आयातों के संबंध में एडीडी का गैर-उदग्रहण भी कुछ मामलों में पूरी तरह से एडीडी के गैर-लेवी या गलत प्रयोज्यता के लिए उल्लिखित कारणों से जुड़ा हुआ है। इसका एडीडी लगाने में शामिल कई मापदंडों से भी जुड़ाव है। इन पहलुओं को यहां ऊपर बिंदु संख्या 13 की टिप्पणियों में समझाया गया है।

इसके अलावा, जबकि आयात के लिए बिल ऑफ एंट्री पर मूल देश की घोषणा अनिवार्य है, ऐसे मामलों में जहां किसी विशेष आयात के संबंध में तरजीही टैरिफ (मुक्त व्यापार समझौतों के आधार पर) का दावा किया जाता है, वहां इस उद्देश्य के लिए बनाए गए उत्पत्ति के नियमों के तहत उत्पत्ति के प्रमाण पत्र की वास्तविकता के के सत्यापन की एक प्रणाली है। तथापि, ऐसा तंत्र अकेले एडीडी लगाने के लिए नहीं है। इसलिए, निर्धारण आयातक द्वारा घोषित मूल देश पर निर्भर है। गलत-घोषणा की संभावना के अलावा, ऐसे देश/क्षेत्र में मूल्यवर्धन के एक छोटे से हिस्से को अंजाम देकर मूल देश के हेरफेर के माध्यम से एडीडी को रोकना भी संभव है, जिसका निर्यात एडीडी के अधीन नहीं है।

मूल देश में हेराफेरी के माध्यम से धोखाधड़ी के मामलों में, घरेलू उद्योग को डीजीटीआर के पास शिकायत दर्ज करनी होती है ताकि एक नई जांच शुरू की जा सके और धोखाधड़ी को दूर करने के लिए लेवी में एक उपयुक्त संशोधन किया जा सके।

एडीडी का उद्ग्रहण मुख्य रूप से मूल्य-समीकरण तंत्र के माध्यम से डंपिंग के अनुचित और भेदभावपूर्ण व्यापार कवायद के खिलाफ घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि पीसीए के माध्यम से एडीडी के संबंध में 2018-19 से अगस्त 2021 की अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई वसूली लगभग 45 करोड़ रुपए है और आसूचना विंग के कार्यों के माध्यम से लगभग 64 करोड़ रुपए है। प्रावधानों के अनुसार, एक आयातक, जो एडीडी के भुगतान में देरी करता है, उस पर ब्याज का भुगतान भी करता है। किसी आयातक की गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने के मामले में जुर्माना लगाना होता है। अपेक्षित सुरक्षा के अभाव के कारण देश को होने वाले परिणामी वित्तीय नुकसान का अनुमान लगाना संभव नहीं है।"

48. बजट अनुमानों में मूल देश का उल्लेख न करके कर्तव्य से बचने और मूल देश की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों के मुद्दे पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया निम्नवत निम्नवत है:-

"ऐसे मामलों में जहां किसी विशेष आयात के संबंध में तरजीही टैरिफ (मुक्त व्यापार समझौतों के आधार पर) का दावा किया जाता है, वहां इस उद्देश्य के लिए बनाए गए उत्पत्ति के नियमों के तहत उत्पत्ति के प्रमाण पत्र की वास्तविकता के सत्यापन की एक प्रणाली है।

घरेलू उद्योग के लिए वाणिज्य मंत्रालय में व्यापार उपचार महानिदेशालय के पास मूल मूल देश में हेराफेरी के माध्यम से उस देश/क्षेत्र जिसका निर्यात एडीडी के अधीन नहीं है, में मूल्यवर्धन का एक छोटा सा कारोबार करके एक शिकायत दर्ज करने का प्रावधान है। यह एक नई जांच शुरू करने में सक्षम बनाता है और धोखाधड़ी को दूर करने के लिए लेवी में एक उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है।

आरएमएस ने भी मशीन लर्निंग को अपनाने की शुरुआत कर दी है। इन में से एक में बिल ऑफ एंट्री पर प्रतिबंध लगाना शामिल हैं जिनमें एडीडी घोषित नहीं किया गया है, जहां पहले समान सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक, मूल देश और आपूर्तिकर्ता संयोजन पर इस तरह के शुल्क का भुगतान किया गया था।"

.49. इसके अलावा, किसी तीसरे देश के माध्यम से माल की रूटिंग द्वारा एंटीडंपिंग - शुल्क की रोकथाम के लिए किए गए उपायों के बारे मेंपूछे जाने पर, अध्यक्ष, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने को वित्त मंत्रालय के 2021 ,अक्टूबर 6 प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखितप्रावधानों का उल्लेख किया-:

"ऐसे दो प्रावधान हैं जो इस संभावना से संबंधित हैं कि कोई व्यक्ति या तो माल माल के विवरण के साथ खिलवाड़ करके या इस तरह से माल में हेरफेर करके एंटीडंपिंग शुल्क से बचने की कोशिश कर रहा है कि कोई तकनीकी समस्या - उत्पन्न हो। मैं जो कह रहा हूं उसे समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। किसी तीसरे देश के माध्यम से निर्यात करने के लिए हमारे पास एंटी-सर्के-कानून में एंटी डंपिंगमवेंशन प्रावधान हैं, जो डीजीटीआर द्वारा फिर से एक उपयुक्त जांच का प्रावधान करता है, जब घरेलू उद्योग द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है कि एंटीडंपिंग जो शुल्क लगाया जा रहा है उसे वास्तव में दरकिनार - । मान लीजिए किकिया जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँकतिपय

मशीनरी पर शुल्क लगता है। निश्चित आकार और आयाम के एक्सल पर डंपिंग रोधी शुल्क लगता था। अब, कुछ स्मार्ट आयातकों और निर्यातकों ने जो किया वह यह था कि उन्होंने इसे सीकेडी या अर्धनॉकडाउन अधिसूचना में लाना शुरू - शिष्ट थी और इसमें केवल एक्सल के बारे कर दिया। चूंकि अधिसूचना बहुत वि में बातकी गई थी, इसलिए वे डंपिंग रोधी शुल्क से बच सके थे। अब, यह धोखाधड़ी का एक स्पष्ट मामला है। इसी तरह, यदि माल किसी तीसरे देश के माध्यम से आता है, तो हमने चीनी निर्माता द्वारा उत्पादित माल पर एंटीडंपिंग - है शुल्क लगाया, हालांकि हम यह सुनिश्चित करने के लिए एंटीडंपिंग अधिसूचना - अधिसूचना में ध्यान रखते हैं कि सभी संभावनाएं शामिलहों। इसलिए, यदि यह चीनी मूल का माल है, लेकिन किसी अन्य देश के माध्यम से निर्यात किया जा रहा है, तो अधिसूचना में उस स्थिति में भी अधिक डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का प्रावधान है। लेकिन, फिर भी लोग मूल देश में हेरफेर कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। एंटीसर्के-मवेंशन का प्रावधान है। डीजीटीआर को शिकायत की जा सकती है और वे एक नई जांच कर सकते हैं क्योंकि यह संभव है कि जब यह किसी तीसरे स्रोत से आ रहा हो, वास्तव में डंपिंग की डिग्री या क्षति की डिग्री और भी अधिक हो और उस स्थिति में यह उच्च डंपिंग रोधी शुल्क दर की गारंटी दे सकता है। इस प्रकार, हम तीसरे देशों के माध्यम से होने वाले आयात से निपटते हैं।"

.50 जिस तरह से मूल देश की पहचान में प्रणालीगत कमियों और उनसे जुड़े लागू एडीडी का निपटान किया जा रहा था, मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया-:

"एडीडी लगाने में जटिलता के कारण जिसमें मूल देश के अलावा कई पैरामीटर शामिल हैं, परिदृश्य का पूर्ण स्वचालन मुश्किल है। कार्यान्वयन के दौरान लेखापरीक्षा या अन्य एजेंसियों द्वारा पायी गई कमियों सहित विभिन्न स्रोतों से प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप अनुपालन कराने के लिए कमियों को दूर करने हेतु एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस दृष्टिकोण में संपूर्ण बड़े जोखिम प्रबंधन ढांचे का उपयोग शामिल है। इसमें एक अधिक कुशल आरएमएस शामिल है, जिसमें आकलन/मंजूरी और निकासी के बाद के चरणों में खुद, और अन्य घटक जैसे पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्ष्य केंद्र (एनसीटीसी) के अलर्ट को क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ साझा करना, जांच और आसूचना एजेंसियों के हस्तक्षेप और स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के कार्यसाधक ज्ञान में वृद्धि

करना, शामिल है। अनुपालन तंत्र के ये सभी पहलू, एडीडी से बचने/बचाव को रोकने के लिए एक दूसरे के लिए सम्पूर्ण और पूरक हैं।

एईओ सहित सभी संस्थाओं के बिलों में हस्तक्षेप करने के लिए आरएमएस प्रतिबंधों को मजबूत किया गया है, यदि एडीडी अधिसूचना में उल्लिखित मूल देश और सीटीएच/सीटीआई का मिलान होने पर एडीडी लागू नहीं किया गया है।

इन प्रतिबंधों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, और संभावित एडीडी परिवर्जन के मामलों को नियमित रूप से आगे की जांच और वसूली, यदि देय हो, के लिए अलर्ट/पत्र/एनालिटिक्स रिपोर्ट के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा जाता है।

इसके अतिरिक्त, अवशिष्ट जोखिमों को पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट (पीसीए) के प्रतिबंधों के के माध्यम से निपटाया जाता है। प्रभावोत्पादकता में और सुधार करने के लिए पीसीए प्रतिबंध मानदंड भी नियमित रूप से अपडेट किए जाते हैं।

आरएमएस प्रतिबंधों की प्रक्रिया गतिशील है और नए और उभरते जोखिमों को दूर करने के लिए इसमें समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं।"

छह. पैरा सं. 3.5.5: उत्पाद विशिष्ट शर्तों के उल्लंघन के आधार पर एडीडी का अनुदग्रहण

51. कुछ मामलों में आयातित वस्तु पर एंटी डंपिंग शुल्क का उदग्रहण उत्पाद की विशिष्ट विशेषताओं जैसे मोटाई, भार या रासायनिक संरचना के कारण किया जाता है। संव्यवहारों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में देखा गया कि उत्पाद विशिष्ट शर्तों के पूरा होने के बावजूद इन वस्तुओं के आयातों पर शुल्क उदग्रहीत नहीं किया गया था। मामलों के ब्यौरे और प्रत्येक मामले में मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई निम्नवत दिए गए:

"(एक) फ्लोट ग्लास: वर्ष 2014 से 2017 की अवधि के दौरान जारी विभिन्न एडीडी अधिसूचनाओं के अनुसार, 2 एमएम से 12 एमएम की नाममात्र की मोटाई के क्लीयर फ्लोट ग्लास के आयात और यूएई, सऊदी अरब, ईरान,

पाकिस्तान और चीन से आयातों पर निर्धारित दरों पर एडीडी उद्ग्रहणीय है। अधिसूचनाओं में निर्धारित है कि सांकेतिक मोटाई का मापन भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) 14900: 2000 के अनुसार किया जाना चाहिए। इस बीआईएस मानक के अनुसार, सांकेतिक मोटाई को ± 0.20 एमएम से ± 80 एमएम तक सहनीय स्तर की मोटाई के अंदर माना जाता है। अत: 1.80 एमएम से 2.20 एमएम की मोटाई के फ्लोट ग्लास को 2 एमएम मोटाई माना जाएगा।

तीन कमिश्नरियों में लेखापरीक्षा में 1.80 एमएम से 12.80 एमएम की मोटाई के क्लीयर फ्लोट ग्लास के 42 परेषणों के आयात और विशेष देशों से आयात देखे गए जिनकी निकासी इस आधार पर एडीडी उद्ग्रहण के बिना की गई थी कि ग्लास की सांकेतिक मोटाई 2 एमएम से 12 एमएम की निर्धारित मोटाई से भिन्न थी। इसके परिणामसवरूप 2.83 करोड़ के एडीडी का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

दो कमिश्नरियों जेएनसीएच, मुंबई और नोएडा में विभाग ने सऊदी अरब और ईरान से आयातित 4 एमएम से 12 एमएम की मोटाई के क्लीयर फ्लोट ग्लास के चार परेषणों पर 20.83 लाख का एडीडी उद्ग्रहीत नहीं किया था जो निर्धारित अधिसूचनाओं का उल्लंघन है (एडीडी अधिसूचना सं. 48/2014-एडीडी और 19/2017-एडीडी)।

<u>मंत्रालय की टिप्पणियां</u>

– त्रिची (क)इस संबंध में संबंधित ,आयुक्तालय द्वारा सीआरए चेन्नई को दिनांक , लेखा परीक्षा-2018/12/22/VIII .सं.के अपने कार्यालय सी 08.11.2018 दिनांक के माध्यम से एसओएफ चरण में अंतिम उत्तर पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने तर्क दिया है कि दिनांक 11.12.2014 की अधिसूचना संख्या 48/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) के अनुसार दिनांक 16.6.2017 की अधिसूचना संख्या 30/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) और दिनांक 12.5.2017 की अधिसूचना संख्या 19/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा यारह संशोधित, "सऊदी अरब, संयुक्त संयुक्त अरब अमीरात और ईरान से उत्पन्न या निर्यात किए गए" 4 मिमी से 12

12 मिमी (बीआईएस 14900-2000 के अनुसार) तक के नाममात्र मोटाई का स्पष्ट फ्लोट ग्लास, जो शीर्ष 70052990 के अंतर्गत आता है, डंपिंग रोधी शुल्क के अधीन है। इसके अलावा, बीआईएस 14900:2000 की तालिका के अनुसार, 4 मिमी के फ्लोट ग्लास की नाममात्र मोटाई के लिए टोलरेंस (+) 0.3 मिमी है, इस प्रकार 3.7 मिमी से 4.3 मिमी मोटाई के फ्लोट ग्लास पर एडीडी लगाया जाएगा।

इस संबंध में, यह बताया जाता है कि भारतीय मानक पारदर्शी फ्लोट ग्लास - बीआईएस द्वारा जारी विशिष्टता, पैरा 4.1 में कहा गया है कि - "ग्लास की मोटाई मोटाई अनुबंध ए के अनुसार मापी जाएगी, कटे हुए आकार पर ग्लास की लंबाई और चौड़ाई अनुबंध बी के अनुसार मापी जाएगी । मोटाई संबंधी टोलरेंस तालिका 1 के अनुसार विनिर्दिष्ट होगी। कट आकारों पर लंबाई और चौड़ाई पर टोलरेंस तालिका 2 के अनुसार विनिर्दिष्ट होगी।

अनुबंध ए (क्लॉज 4.1) मोटाई माप

फ्लोट ग्लास की मोटाई को माइक्रोमीटर या कैलीपर्स से मापा जाएगा, जिसे 0.01 मिमी या समकक्ष सटीकता वाले माप उपकरण के साथ जोड़ा जाता है। पैरा 4.1.1 में कहा गया है कि-

> "यदि क्रेता और आपूर्तिकर्ता के बीच सहमति हो, तो तालिका 1 और 2 में विनिर्दिष्ट मोटाई के अलावा, अन्य मोटाई की आपूर्ति की जा सकती है। ऐसे मामलों में, मोटाई के साथ-साथ परिमाणों पर टोलरेंस वह होगी जो तालिका 1 और 2 में विनिर्दिष्ट निकटवर्ती कम मोटाई पर लागू होती होती है।"

तालिका 1 फ्लोट ग्लास की मोटाई और टोलरेंस (खंड 4.1 और 4.1. 1) सभी परिमाण मिलीमीटर में	
नाममात्र मोटाई	टोलरेंस
1.9	+ 0.2
3.0	+ 0.3
4.0	+ 0.3
5.0	+ 0.3
6.0	+ 0.3
8.0	+0.6

तालिका 1 फ्लोट ग्लास की मोटाई और टोलरेंस (खंड 4.1 और 4.1. 1) सभी परिमाण मिलीमीटर में	
10.0	+0.6
12.0	+0.8
15.0	+0.8
19.0	+1.2

उपरोक्त अनुच्छेदों के संयुक्त पठन से पता चलता है कि सारणीबद्ध मोटाई के ग्लास के लिए टोलरेंस विनिर्दिष्ट की गई है और सारणीबद्ध की गई मोटाई के अलावा अन्य के मामले में टोलरेंस वह होगी जो तालिका 1 में विनिर्दिष्ट निकटतम कम मोटाई पर लागू होती है, इसलिए यह माना जाता है कि टोलरेंस फ्लोट ग्लास की दी गई मोटाई के लिए है, आयात के मामले में, आयातित फ्लोट ग्लास की मोटाई के लिए है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह बताया जाता है कि जब कोई आयातक 4 मिमी मोटाई के ग्लास का आयात करता है, जिस पर एडीडी लगाया जा सकता है, तो मोटाई के संबंध में आपूर्तिकर्ता/आयातक को +0.3 की टोलरेंस उपलब्ध होती है। यदि अनुबंध ए के अनुसार किया गया वास्तविक माप 3.7 मिमी से 4.3 मिमी है, तो इसे 4 मिमी माना जाएगा और फिर 3.7 मिमी, 3.8 मिमी या 3.9 मिमी वास्तविक मोटाई वाले ग्लास पर एडीडी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लगाया जाएगा कि आयातक ने 4 मिमी मोटाई के ग्लास का आयात किया है, हालांकि वास्तविक मोटाई इससे कम है, बीआईएस द्वारा निर्धारित टोलरेंस को को ध्यान में रखते हुए, एडीडी लगाया जाएगा। इसलिए, 4 मिमी मोटाई के आयातित माल के संबंध में एडीडी लगाया जाता है और मोटाई में विवाद के मामले में आयातित माल के संबंध में टोलरेंस आयातक और आपूर्तिकर्ता के लिए उपलब्ध है। इसलिए, एडीडी केवल तभी लगाया जा सकता है जब आयातित माल 4 मिमी मोटाई का हो, जो टोलरेंस के अधीन हो।

जबकि, जब आयातित स्पष्ट फ्लोट ग्लास 3.8 मिमी मोटाई की है, तो पैरा 4.1.1 के अनुसार, यदि क्रेता और आपूर्तिकर्ता के बीच सहमति हो, तो तालिका 1 में विनिर्दिष्ट मोटाई के अलावा, अन्य मोटाई, मोटाई पर टोलरेंस वह होगी जो तालिका 1 में विनिर्दिष्ट निकटतम कम मोटाई के लिए लागू हो, यानी +0.3

मिमी आयातक के लिए उपलब्ध है, अर्थात, आयातक और आपूर्तिकर्ता के बीच विवाद के मामले में, यदि अनुबंध ए के अनुसार वास्तविक माप किया जाता है, तो पैरा 4.1 में विनिर्दिष्ट टोलरेंस को ध्यान में रखते हुए 3.5 मिमी से 4.1 मिमी तक की किसी मोटाई को 3.8 मिमी माना जाएगा, और इसलिए एडीडी उद्ग्राह्य नहीं है।

संक्षेप में, एडीडी केवल 4 मिमी से 12 मिमी के बीच मोटाई के आयातित माल पर लगाया जा सकता है, दोनों सम्मिलित हैं, और टोलरेंस केवल आयातित माल के वर्गीकरण के संबंध में है और यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि यदि आयातक 3.8 मिमी फ्लोट ग्लास का आयात करता है, तो एडीडी उद्ग्राह्य है। टोलेरेंस पर एडीडी नहीं लगाया जा सकता है, यह केवल आयातित माल को विशिष्ट मोटाई के लिए वर्गीकृत करने के लिए है। इसलिए, यदि आयातित फ्लोट फ्लोट ग्लास को 4 मिमी के रूप में घोषित किया जाता है और वास्तविक मोटाई 3.7 मिमी से 4.3 मिमी के बीच है, तो यह केवल 4 मिमी है और इस तरह एडीडी लगाया जा सकता है, इसी तरह, यदि आयातित फ्लोट ग्लास को 3.8 मिमी घोषित किया जाता है, तो वास्तविक मोटाई 3.5 मिमी से 4.1 मिमी के बीच है, यह केवल 3.8 मिमी है, इसलिए एडीडी नहीं लगाया जा सकता है।

पूर्ववर्ती को ध्यान में रखते हुए, यह बताया जाता है कि 3.8 मिमी के स्पष्ट फ्लोट ग्लास पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगेगा।

<u>मंत्रालय की टिप्पणियां:</u>- इसके अलावा, इस संबंध में उत्तर फील्ड फॉर्मेशन से प्राप्त होने पर यथासमय प्रस्तुत किया जाएगा।

(क)मुंबईII- ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है। एक आयातक ने -/9,40,887रुपए का एंटी डंपिंग शुल्क मैनुअल चालान के माध्यम से निकासी के समय अदा कर दिया था। अन्य आयातकों को कम प्रभार सह कारण बताओ नोटिस दिनांक जार 06.2.2019ी किया गया और न्यायानिर्णयन प्रक्रिया चल रही है।

<u>मंत्रालय की टिप्पणियां:</u> इसके अलावा, इस संबंध में उत्तर फील्ड फॉर्मेशन से प्राप्त प्राप्त होने पर यथासमय प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) मेरठ क्षेत्र:

इस संबंध में यह ,बताया जाता है कि जुलाईके महीने में प्रधान 2018 , ,(लेखापरीक्षा) निदेशकलखनऊ के कार्यालय के अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा के के दौरान केवल ,) 2 उपरोक्त बिंदुदोमें उल्लिखित मुद्दे को इस कार्यालय (के ध्यान में लाया गया था कि ईरान , से क्लीयर फ्लोट ग्लास के आयात परमैसर्स जटालिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड के दिनांक 04.07.2017की बीई संख्या 07.09.2017 और दिनांक 2314207 की बीई संख्या के 3151035 संबंध में एंटी डंपिंग शुल्क अदा करना शेष रह गया। लेखापरीक्षा आपत्ति के मद्देनज़र विभाग ने मैसर्स जटालिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड 307 ,लूसा टॉवर , आजादपुर ,नई दिल्ली 110033-के दिनांक 12.05.2017 की अधिसूचना संख्या -2017/19सीमा शुल्क के संदर्भ में डंपिंग रोधी शुल्क का (एडीडी) और लागू ब्याज के साथ भुगतान करनेसंबंधित कम अदा किए गए आईजीएसटी शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा था।

मंत्रालय की आगे की टिप्पणियां:

मैसर्स जटालिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड ने कम भुगतान वाले आईजीएसटी शुल्क के साथ एडीडी का कमशून्य भुगतान किया है। दो अन्य आयातकों / -/10,76,448 मैसर्स नंदा ग्लास उद्योग को ,संबंध में केरुपए के और मैसर्स आर -/90,839 ओवरसीज को.के.रुपये के एडीडी की मांग हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

(घ) कोच्चि:-

लेखापरीक्षा की आपत्ति आंशिक रूप से स्वीकार्य है। दिनांक 12.05.2017 12.05.2017की अधिसूचना संख्या सी2017/19यूएसके लिए (एडीडी) ,सभी आयातकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तथापि 08.09.2015 दिनांककी अधिसूचना - 2015/47सीयूएस एडीडी के लिए लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की जाती है। पर्यास एहतियात के तौर पर एक सुरक्षात्मक मांग जारी की गई है।

(ङ) तूतीकोरिन सागर:

एडीडी केवल 4 मिमी से 12 मिमी के बीच मोटाई के आयातित माल पर लगाया जा सकता है, दोनों सम्मिलित हैं, और टोलरेंस केवल आयातित माल के वर्गीकरण के संबंध में है और यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि यदि आयातक 3.8 मिमी फ्लोट ग्लास का आयात करता है, तो एडीडी उद्ग्राह्य है। टोलेरेंस पर एडीडी नहीं लगाया जा सकता है, यह केवल आयातित माल को विशिष्ट मोटाई के लिए वर्गीकृत करने के लिए है। इसलिए, यदि आयातित फ्लोट फ्लोट ग्लास को 4 मिमी के रूप में घोषित किया जाता है और वास्तविक मोटाई 3.7 मिमी से 4.3 मिमी के बीच है, तो यह केवल 4 मिमी है और इस तरह एडीडी लगाया जा सकता है, इसी तरह, यदि आयातित फ्लोट ग्लास को 3.8 मिमी घोषित किया जाता है, तो वास्तविक मोटाई 3.5 मिमी से 4.1 मिमी के बीच है, यह केवल 3.8 मिमी है, इसलिए एडीडी नहीं लगाया जा सकता है।

(एक) जूट की बोरियां: बांग्लादेश से उद्भूत या निर्यातित सभी रूपों और विशेषताओं के जूट उत्पादों नामत: जूट धागा/सुतली, हेसियन फैब्रिक और जूट की थैलियों के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क उद्ग्रहणीय था। पेट्रापोल लैंड कस्टम स्टेशन में विभाग ने जनवरी और जून 2017 के बीच 83.54 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य के लिए बोरियाँ/थैलियाँ बनाने हेतु 12766.7 एमटी जूट फैब्रिक के 416 परेषणों की निकासी एडीडी के उद्ग्रहण के बिना अनुमत की थी जो सीटीएच 53101012 के अंतर्गत "बोरियों हेतु फैब्रिक" के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 29.79 करोड़ मूल्य के एंटी डंपिंग शुल्क के उद्ग्रहण के बिना बांग्लादेश से आयात की गई थी।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग इस आधार पर लेखापरीक्षा के तर्क से सहमत नहीं हुआ कि जनवरी 2017 की उपर्युक्त अधिसूचना में 'जूट सैकिंग कपड़ा' का विशेष उल्लेख नहीं था। अपने अगले उत्तर में (फरवरी 2018) विभाग ने अपने तर्क के समर्थन में जांच रिपोर्ट भेजी थी और बताया कि रिपोर्ट में बताया गया था कि आयातित माल हेसियन कपड़ा था और जूट उत्पाद नहीं।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि भारतीय व्यापार क्षेत्र में "हेसियन" का का उपयोग जूट के साथ किया जाता है और नामित जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों के अनुसार, जांच प्राधिकारी के साथ-साथ भारतीय उद्योग की मंशा सभी प्रमुख जूट उत्पादों को शामिल किया गया था जो उत्पाद श्रृखला अर्थात धागा, फैब्रिक

और जूट की थैलियों में थे, जिन्हें बांग्लादेश से बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है। इसके अलावा, एडीडी अधिसूचना में यह कहते हुए 4 अंकों तक के ही सीटीएच कोड निर्दिष्ट किए गए हैं कि विशेष शीर्षक अर्थात 5307, 5310, 5607 या 6305 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं को परिभाषा 'सभी रूप और विशेषताए' में कवर किया गया है, तदनुसार, निर्धारण अधिकारी द्वारा सीटीएच 53101012 के अंतर्गत वर्गीकृत होने के कारण आयातित वस्तु सैकिंग फैब्रिक पर एडीडी उद्ग्रहणीय होगी।

मंत्रालय की टिप्पणियां:-

कोलकाता आयुक्तालय ने लेखापरीक्षा पैरा का विरोध किया है और बताया है कि दिनांक 05.01.2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), के तहत 'जूट उत्पाद' अर्थात् जूट यार्न/ट्वाइन (एकाधिक फोल्ड वाले/केबल्ड और सिंगल), हेसियन फैब्रिक, और जूट, सैकिंग बैग जो टैरिफ शीर्ष 5307, 5310, 5607 या 6305 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया है। उपरोक्त से यह नोटिस किया गया है कि सभी 'जूट 'जूट उत्पादों' के बजाए विशिष्ट विवरण के 'जूट उत्पादों' अर्थात्, जूट यार्न/सुतली (एकाधिक तहयुक्त/केबलयुक्त और एकल), हेसियन फैब्रिक, और जूट सेकिंग बैग पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि उपर्युक्त अधिसूचना में, सभी रूपों और विशिष्टताओं में शब्द, जैसा कि लेखापरीक्षा लेखापरीक्षा द्वारा कहा गया है, उक्त अधिसूचना के पहले पैराग्राफ में नहीं हैं, बल्कि संलग्न तालिका के कॉलम 'विनिर्देशों' के तहत उनका उल्लेख किया गया है और इसके द्वारा पूरे वाक्य का अर्थ बदल दिया गया है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के तहत, सैकिंग कपड़ों को 53101012 के रूप में वर्गीकृत किया गया है जबकि हेसियन कपड़े 53101013 है, दोनों शीर्ष 5310 और उप-शीर्षक 531010 के तहत हैं। भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ में 21 खंड और 98 अध्याय हैं। खंड एक समूह है जिसमें कई अध्याय होते हैं जो वस्तुओं के एक विशेष वर्ग को संहिताबद्ध करते हैं। खंड नोट्स अध्यायों/शीर्षकों आदि के दायरे की व्याख्या करते हैं। अध्यायों में अध्याय नोट्स, चार अंकों, छह अंकों और आठ अंकों के स्तरों पर व्यवस्थित वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण शामिल शामिल है। प्रत्येक चार अंकों के कोड को 'शीर्षक' कहा गया है और प्रत्येक छह

अंकों के कोड को 'उप-शीर्षक' कहा गया है और 8-अंकीय कोड को 'टैरिफ आइटम' कहा गया है। कानूनी उद्देश्यों के लिए किसी वस्तु के वर्गीकरण को निर्धारित करने के लिए खंड नोट्स, अध्याय नोट्स, उप-शीर्षक नोट्स, पूरक नोट्स, शीर्षक, उप-शीर्षक, और आयात टैरिफ की व्याख्या के लिए सामान्य नियम (जीआईआर) पर निर्भर रहना चाहिए। जीआईआर टैरिफ अनुसूची में माल के वर्गीकरण के लिए 6 नियमों का एक समूह है। 1^ई ;ई नियमों को क्रमिक रूप से लागू करना होगा। नियम 1 खंड नोट को प्राथमिकता देता है: किसी उत्पाद को वर्गीकृत करते समय अध्याय नोट्स। नियम 2(क) अपूर्ण/तैयार स्थिति और असेंबल/अनअसेंबल स्थिति में आयातित माल पर लागू होता है। नियम 2 (ख) 'मिश्रण' और 'समग्र माल' पर लागू होता है। जिन वस्तुओं को नियम 2(ख) के प्रयोग द्वारा वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, उन्हें नियम 3 की प्रयोज्यता से से वर्गीकृत किया जाएगा अर्थात नियम 3 (क) के अनुसार 'अत्यावश्यक चरित्र' की प्रयोज्यता से या नियम 3 (ख) के अनुसार 'आवश्यक चरित्र' सुनिश्चित करके अथवा नियम 3 (ग) के अनुसार संख्यात्मक क्रम में सबसे अंत में आने वाले शीर्षक को ध्यान में रखते हुए। नियम 4 में कहा गया है कि जिन वस्तुओं को पूर्ववर्ती नियमों की प्रयोज्यता से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, उन्हें उन सामानों के लिए उपयुक्त शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनसे वे सबसे अधिक मिलते-जुलते हैं। नियम 5 उन पैकिंग सामग्री/वस्तुओं पर लागू होता है जिसमें माल ले जाया जाता है। नियम 6 को उपयुक्त 5-1.4)-शीर्षक के भीतर लाने के लिए लागू किया जाता है और उस प्रयोजन के लिए नियम 1 से 5 के प्रावधान इस समझ पर यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होते हैं कि समान स्तरों पर उप-शीर्षक तुलनीय हैं। उपरोक्त जीआईआर के नियम 3 (क) के तहत 'सबसे विशिष्ट विवरण' के साथ-साथ एच.एस.एन. कोड की प्रयोज्यता से यह स्पष्ट स्पष्ट है कि सैकिंग कपड़े और हेसियन कपड़े समान नहीं हैं और वे प्रकृति में अलग-अलग हैं।

सभी आयातकों, जो बांग्लादेश से टेक्सटाइल कमेटी लैब, कोलकाता में जूट सेकिंग फैब्रिक का आयात कर रहे हैं, के नमूनों का परीक्षण किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह हेसियन कपड़ा है या नहीं और सभी मामलों में

टेक्सटाइल कमेटी लैब, कोलकाता ने बताया कि नमूना माल हेसियन फैब्रिक प्रकृति का है।

इसके अलावा, राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली ने 08.11.2017 को विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर सेकिंग कपड़ों की सभी खेपों की पूरी तरह तरह से जाँच की है, लेकिन उन्हें उक्त खेप में कोई अनियमितता नहीं मिली।

इसके अलावा यह भी बताना है कि डीजीएडी और एडी की सिफारिशों के आधार पर जो दिनांक 19.03.2019की एफ डीजीएडी-2018/3/7.सं.के द्वारा प्रकाशित की गई थी)114 के पैराग्राफ ,एक में कहा गया था कि पीयूआई (यानी जूट सेकिंग कपड़े पर डंपिंग रोधी शुल्क वित्त (उत्पाद जांचाधीन) मंत्रालय यानी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि यानी दिनांक 18.06.2019की -2019/24सीमा शुल्क जो कि ,से लागू होगा (एडीडी) यह कहा गया है कि ,है। उपरोक्त के मद्देनजर 18.06.2019संबंधित लेखापरीक्षा आपत्ति किसी भी तरह से टिकती नहीं है।

(दो) पॉलिआल का लचीला स्लैब स्टॉक एक पोलीईथर है जो उत्प्रेरक और योजक के साथ प्रतिक्रिया पर पॉलीयुरेथेन बनाता है जिसे पैकेजिंग, तकिए,गद्दे और परिवहन की सीटों में उपयोग किया जाता है। यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से उद्भूत 3000 से 4000 तक आणविक भार के पॉलीआल के लचीले स्लैब स्टॉक के आयात पर यूएसडी 67.79 एमटी से 154.94 एमटी तक भिन्न दरों पर एडीडी उद्ग्रहणीय है।

सिंगापुर और स्पेन से आयातित आर्कील पॉलिआल 5613 और वोरानोल ईपी 1900 पॉलिआल के विवरण के अंतर्गत 300 से 4000 के आणविक भार के पॉलिआल के लचीले स्लैब स्टॉक के चौबीस परेषणों की निकासी दो कमिश्नरियों द्वारा एडीडी उद्ग्रहण के बिना की गई थी, हालांकि विभाग ने अन्य आयात परेषणों में समान ग्रेड और नामावली की समान वस्तुओं पर एडीडी उद्ग्रहीत की थी। इसके परिणामस्वरूप 53.54 लाख रुपए का कम उद्ग्रहण हुआ था।

<u>मंत्रालय की टिप्पणियां:</u>

<u>मुंद्रा:</u> लेखापरीक्षा ने आपत्ति उठाई कि अधिसूचना संख्या 9/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 07.04.2015 में दी गई तालिका के क्रमांक 7 में अध्याय

390720 के अंतर्गत आने वाले सिंगापुर से उत्पन्न और निर्यात किए गए फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीओल के आयात पर 67.79 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की दर से एडीडी के उद्ग्रहण का प्रावधान है। मैसर्स कनाबर फोम प्रा. लिमिटेड ने बीई संख्या 8836059 दिनांक 07.04.2015 के तहत माल का आयात किया था। आयातक ने 3,9881/- रुपये के ब्याज सहित 71,977/- रुपये की शुल्क राशि का भुगतान जीएआर-7 चालान संख्या 449 दिनांक 27.07.2015 के द्वारा कर दिया है।

मंत्रालय की टिप्पणियां: इसके अलावा, इस संबंध में उत्तर फील्ड फॉर्मेशन अर्थात अर्थात जेएनसीएच से प्राप्त होने पर यथासमय प्रस्तुत किया जाएगा।

जेएनसीएच:-

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयातकों मैसर्स डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ने पॉलीओल के लचीले स्लैब स्टॉक का आयात 4 जिसका देश या ,के बीच है 4000 से 3000 जिसका आणविक भार ,किया है 2015/09 एडीडी अधिसूचना संख्या 'सिंगापुर' और 'ऑस्ट्रेलिया' ,'ईयू' मूल के 390720 जो सीटीएच , के द्वारा कवर किया गया है 07.04.2015 दिनांक जहां एडीडी नहीं लगाया गया है। उपरोक्त आयातकों पर एडीडी ,अंतर्गत आता है लाख रुपए 52.82 एडीडी न वसूलने से के एडीडी की गैर लेवी कम वसूली/हुई।

आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत है।

तथापि इस ,पैरा में शामिल बीएस है जो दिनांक 23 ई की संख्या केवल/ में 22 में सूचीबद्ध थे। सीआरए द्वारा एएम 22 के एएम नंबर 27.07.2018 बी 23 जेएनसीएच के केवल ,उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसारएस ,ई हैं/ बी ,में लाख रुपये है। डीएपी 52.82 जिनकी कुल कम लेवी राशिएस्ई की / 33 संख्या के रूप में उल्लिखित पाई गई है लेकिन राशि एएम के) लाख 52.82 23 रुपए है। चूंकि (समानबीएस्ई की, कुल राशि पैरा में उल्लिखित राशि से / -ऐसा प्रतीत होता है कि डीएपी के अनुलग्नक ,मेल खाती हैदो में बी 33एस ई/ 23)के बजाय ,में टाइप हुआ है। इसलिए का उल्लेख अनजाने (इसके लिए मिलान की आवश्यकता है।

एएम नंबर के तहत आने वाले आयातकों को एससीएन नीचे दिए गए 22

:विवरण के अनुसार जारी किया गया है

(एक) मैसर्स डॉव केमिकल इंटरनेशनल प्रा.लिमिटेड से संबंधित 15 बीएस/ई- धारा 28 के तहत 47,07,647/- रुपए का कम प्रभार सह मांग नोटिस 27.12.2018 को आयातक को जारी किया गया है। कोई उत्तर प्राप्त नहीं नहीं हुआ है। 03.08.2020 को एससीएन जारी कर दिया गया है।

(दो) शीला फोम प्रा. लिमिटेड से संबंधित 04 बीएस/ई: धारा 28 के तहत 2,86,768/-रुपए का कम प्रभार सह मांग नोटिस 27.12.2018 को आयातक को जारी किया गया है। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। 03.08.2020 को एससीएन जारी कर दिया गया है।

(तीन) मैसर्स मोका बिजनेस प्रा.लि. से संबंधित 01बी/ई: धारा 28 के तहत 71,977/-रुपए का कम प्रभार सह मांग नोटिस 27.12.2018 को आयातक को जारी किया गया है। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। 03.08.2020 को एससीएन जारी कर दिया गया है।

(चार) मैसर्स वीतराग फ़ोम प्रा.लिमिटेड से संबंधित 2 बी/ई: धारा 28 के तहत 1,43,954/- रुपए का कम प्रभार सह मांग नोटिस 27.12.2018 को आयातक को जारी किया गया है। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। 03.08.2020 को एससीएन जारी कर दिया गया है।

(पांच) मेसर्स एसडी पॉलीमर इंडस्ट्रीज से संबंधित 01 बी/ई: धारा 28 के तहत 2,86,768/-रुपए का कम प्रभार, सह मांग नोटिस 27.12.2018 को आयातक को जारी किया गया है। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। एससीएन एससीएन दिनांक 03.08.2020 जारी कर दिया गया है।

(चार) विनाइल क्लोराइड के होमो पॉलीमर का उपयोग फलोरिंग, पैंकेजिंग शीट, बोतलों आदि में होता है। युरोपियन संघ, मैक्सिको और ताइवान से उदभूत और आयतित सीटीएच 3904 के अंतर्गत वर्गीकरणीय विनाइल क्लोराइड मोनोमर के होमो पॉलीमर (सस्पेंशन ग्रेड) पर यूएसडी 39.65/एमटी से 189.99/एमटी की भिन्न दरों पर एडीडी उद्ग्रहणीय है।

दो कमिश्नरियों में पीवीसी रेजिन नॉरविनिल ग्रेड लैकोविले (शन ग्रेडसस्पें) 1110-पीवीसी ऐसिएल सीटीमास पीवीसी रेजिन विनील कलोराइड) के दो परेषणों की (का होमो पॉलिमर का प्रयास (पेंशन ग्रेडसस्) मोनोमर

,निकासी एडीडी उद्ग्रहण के बिना की गई थी यद्यपि विभाग ने अन्य आयात परेषणों में समान ग्रेड और नामावली की समान वस्तुओं पर एडीडी लगाया था। उत्पादक की वेबसाइट के साहित्य से पता चला कि ये सभी ग्रेड सस्पेंशन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पॉलिविनाइल क्लोसइड होमों पॉलिमर है। इसके परिणामस्वरूप, 13.19लाख रुपए के एडीडी का उद्ग्रहण नहीं हुआ था।

मंत्रालय की टिप्पणियां:-

- त्रिची .(क) इस संबंध में चेन्नई को दिनांक ,संबंधित आयुक्तालय द्वारा सीआरए , लेखा परीक्षा-2018/12/22/VIII.सं.उनके कार्यालय सी के 08.11.2018 दिनांकके माध्यम से एसओएफ चरण में क्लोजर उत्तर पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था। था।

लेखापरीक्षा का तर्क है कि शीर्षक 3904 के अंतर्गत आने वाला विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंशन ग्रेड) का होमोपॉलीमर जो किसी उत्पादक/निर्यातक द्वारा यूरोपीय संघ और यूएसए से निर्यात किया जाता है, क्रमशः दिनांक 13.06.2014 की अधिसूचना संख्या 26/ 2014-सीमाशुल्क(एडीडी) और दिनांक 13.06.2014 की क्रमांक 27/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) के अनुसार पाटन रोधी शुल्क के अधीन है।

मैसर्स डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने फ्रांस और यूएसए से लैकोविल पीवीसी आरबी8030एस जीआरवीएस एमएएसएस पॉलीमराइजेशन पीवीसी रेजिन और लैकोविल पीवीसी एक्सियल सीटी-1110 मास पीवीसी रेजिन का आयात किया है और 6 बीई के तहत सीटीएच के 3904 के तहत वर्गीकृत किया है। लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि मास पीवीसी रेजिन सस्पेंसन ग्रेड है, लेकिन 1,54,93,044/- 1,54,93,044/- रुपये का एडीडी नहीं लगाया गया था।

यूरोपीय संघ और मेक्सिको से पीवीसी सस्पेंशन रेजिन के आयात पर डंपिंग रोधी जांच विषय पर महानिदेशालय के डंपिंग रोधी शुल्क और संबद्ध शुल्क के अंतिम निष्कर्ष भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में अधिसूचना संख्या 14/1012/2012-डीजीएडी, दिनांक 4 अप्रैल, 2014 के द्वारा प्रकाशित किए

किए गए थे। इस निष्कर्ष के आधार पर, शीर्ष 3904 के अंतर्गत आने वाले विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंसन ग्रेड) के होमोपॉलीमर पर एंटी-डंपिंग शुल्क शुल्क लगाने के लिए सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 26/2014 (एडीडी) और 27/2014 सीमा शुल्क (एडीडी) दोनों दिनांक 13-06-2014, को जारी किए गए थे।

उक्त निष्कर्षों के पैरा 155 के अनुसार, यह दोहराया गया था कि नामित प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए विचार किया जाने वाला उत्पाद विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंसन ग्रेड) का होमोपोलिमर है, जहां विभिन्न पॉलीमर श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुडी नहीं हैं, जो सीमा शुल्क वर्गीकरण संख्या 3904 के अंतर्गत आती हैं, जिसे पीवीसी सस्पेंसन रेसिन के रूप में जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद में क्रॉस-लिंक्ड पीवीसी, क्लोरिनेटेड पीवीसी (सीपीवीसी), विनाइल क्लोराइड-विनाइल एसीटेट कॉपोलीमर (वीसी-वीएसी), पीवीसी पेस्ट रेजिन और पीवीसी ब्लेंडिंग रेजिन जैसे विशेष पीवीसी सस्पेंशन रेजिन शामिल नहीं हैं।"

मैसर्स डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा सीटीएच 3904 के तहत आयातित संबद्ध उत्पाद उत्पाद मास पोलीमराइजेशन पीवीसी रेजिन है, जो उक्त अधिसूचना के तहत नामित प्राधिकारी द्वारा जांच के लिए विचार किया गया उत्पाद नहीं था। दिनांक 13.06.2014 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 26/2014 और 27/2014 के द्वारा विनाइल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंसन ग्रेड) के होमोपॉलीमर पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया, न कि उत्पाद मासपॉलीमराइजेशन पीवीसी रेजिन पर, इसलिए, इसे दिनांक 13.06.2014 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 26/2014 और 27/2014 (एडीडी) के तहत डंपिंग रोधी शुल्क लगाने के दायरे से बाहर रखा गया है।

लेखापरीक्षा ने आपूर्तिकर्ता की वेबसाइट से इंगित किया कि आयातित वस्तु मास पोलीमराइजेशन पीवीसी रेजिन एक विनाइल क्लोराइड होमोपोलिमर सस्पेंशन ग्रेड है। आयातक मैसर्स पोन्नोर एंटरप्राइजेज एलएलपी द्वारा बीई संख्या 4980780/20.04.2016 के तहत इसी तरह की ऐसी वस्तु मास पीवीसी रेजिन को सस्पेंशन ग्रेड के रूप में आयात और घोषित किया गया। लेकिन मौजूदा मामले में, आयातक मैसर्स डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने कार्गो को मास

पॉलीमराइजेशन पीवीसी रेजिन घोषित किया है और सस्पेंशन ग्रेड" के रूप में घोषित नहीं किया है।

इसके अलावा, आयातक मैसर्स डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने अप्रैल 2016 के दौरान आवेदन संख्या एएआर/44/सीशु-1/11/2015 के तहत अग्रिम व्यवस्था प्राधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष मास पॉलीमराइजेशन पीवीसी रेजिन पर एंटी-डंपिंग शुल्क के मुद्दे को चुनौती दी है। अग्रिम व्यवस्था प्राधिकरण (केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, और सेवा कर) ने दिनांक 01.04.2016 के अपने मौखिक आदेश संख्या एएआर/सीयूएस/14/2016 के माध्यम से आदेश दिया कि मास पॉलीमराइजेशन पीवीसी राल नामक सामग्री पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगेगा।

इसलिए, मैसर्स डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा आयातित मास पॉलीमराइजेशन पीवीसी पीवीसी रेजिन पर एंटी-डंपिंग शुल्क नहीं लगाया गया था।

लेखापरीक्षा की टिप्पणियां: उत्तर को बाद की लेखापरीक्षा में सत्यापित किया जाएगा।

(ख) जेएनसीएच मुंबई: आयुक्तालय, लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत है। एससीएन एससीएन दिनांक 05.08.2020 को जारी किया गया है। नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुति के बाद, मामले पर निर्णय दिया जाएगा।

मंत्रालय की टिप्पणियां: -

इस संबंध में आगे उत्तर फील्ड फॉर्मेशन से प्राप्त होने पर यथासमय प्रस्तुत किया जाएगा।

(v) एस्कॉर्बिक एसिड: चीन से उद्भूत और निर्यातित सीटीएच **29362700** के तहत वर्गीकरणीय मर्क इंडेक्स की प्रविष्टि संख्या **867** के तहत यथा निर्दिष्ट विटामिन सी और विटामिन सी के सामान्यतः प्रयुक्त पर्याय जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, एल-जाइलो एस्कॉर्विक एसिड, 3-ऑक्सो-एलगुलोफ्यूरनोलएक्टोन (एनोल फॉर्म), एल-3-केटो थ्रॉहेस्कयूरोनिक एसिड लैक्टोन आदि के आयात पर यूएसडी **3.74** प्रति कि.ग्रा. की दर पर एडीडी उद्ग्रहणीय है।
सीमा शुल्क समुद्र चेन्नई के माध्यम से चीन से आयातित 'विटामिन सी के पर्याय' सोडियम एस्कॉर्बेट के पांच परेषणों की निकासी 3.31 करोड़ रूपए के एडीडी के उद्ग्रहण के बिना की गई थी।

इस विषय में बताए जाने पर विभाग ने तर्क दिया कि सोडियम एस्कॉर्बेट को विटामिन सी के पर्याय के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि मर्क इंडेक्स के अनुसार इन्हे दो भिन्न घटकों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

विभाग का जवाब मान्य नहीं हैं क्योंकि अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा है कि एडीडी विटामिन सी के अधिकतर प्रयोग होने वाले पर्याय सहित विटामिन सी के सभी पर्याय पर लागू होता है, जैसा कि मर्क इंडेक्स की प्रविष्टि संख्या 867 के तहत वर्णित है, जिसका अर्थ है कि एडीडी विटामिन सी के सभी रूपों के आयात पर उद्ग्राहय हैं। इसके अलावा, सोडियम एस्कॉर्बेट एस्कॉर्बिक एसिड (विटामिन सी) के खनिज लवणों में से एक है।

सोडियम एस्कॉर्बेट के आयात पर इसी तरह के अनुदग्रहण को 2015 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 8 (पैरा सं.4.9) में इंगित किया गया था, जिसमें मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार की और मांग नोटिस जारी किया।

<u>मंत्रालय की टिप्पणियां: -</u>

लेखापरीक्षा के अनुसार, मैसर्स श्री फार्मा द्वारा चेन्नई सागर आयुक्तालय के माध्यम से आयातित सोडियम एस्कॉर्बेट की 5 खेपों को बिना 331.36 लाख रुपए की एडीडी की वसूली/कम वसूली के अनुमत किया गया था।

इस संबंध में, आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत नहीं है। एडीडी अधिसूचना के अवलोकन पर यह पाया गया कि इस अधिसूचना के तहत एडीडी विटामिन सी के सभी समानार्थक शब्दों पर लागू होगा, जिसमें विटामिन-सी के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले समानार्थक शब्द, अर्थात् एस्कॉर्बिक एसिड, एल-ज़ाइलोस्कॉर्बिक एसिड, 3-ऑक्सो-एल-गुलफर्नोलैक्टोन (एनोल फॉर्म), एल-3-केटोथ्रेओहेक्सुरोनिक एसिड लैक्टोन, आदि मर्क इंडेक्स की प्रविष्टि संख्या "867" के तहत यथा वर्णित शामिल हैं। जबकि मर्क इंडेक्स के अवलोकन पर, यह देखा गया है कि सोडियम एस्कॉर्बेट को मर्क इंडेक्स की संख्या 8723 पर एक विशिष्ट प्रविष्टि दी गई है। प्रविष्टि में सोडियम एस्कॉर्बेट का एस्कॉर्बिक एसिड सोडियम डेरिवेटिव के रूप में उल्लेख किया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि विटामिन सी (एस्कॉर्बिक एसिड) और सोडियम एस्कॉर्बेट रासायनिक रूप से दो अलग-अलग यौगिक हैं। इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 67/2009 दिनांक 16.06.2009 और 38/2015-एडीडी दिनांक 06.08.2015 के तहत एडीडी केवल विटामिन सी (एस्कॉर्बिक एसिड) के समानार्थक शब्दों पर लागू होता है जो मर्क इंडेक्स 867 के तहत प्रविष्टि पाते हैं। सोडियम एस्कॉर्बेट का विटामिन सी के समकक्ष या पर्यायवाची के रूप में कोई संदर्भ नहीं है। इसलिए, मर्क इंडेक्स 8723 के तहत उल्लिखित उत्पादों पर एडीडी की वसूली उन उत्पादों पर एडीडी के दायरे से बाहर जाकर होगी, जिनका उल्लेख अधिसूचना में ही नहीं है, जो कानूनी रूप से सही है।

जहां तक "सोडियम एस्कॉर्बेट आयातों पर इसी तरह की गैर उगाही 2015 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 8 (पैरा संख्या 4.9) में इंगित की गई थी, जिसमें मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया था और मांग नोटिस जारी किए थे," का संबंध है, उत्तर नियत समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।

मंत्रालय की टिप्पणियां:

<u>नोएडा सीमा शुल्क</u>

(*क*) इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें :

लेखापरीक्षा ने आपत्ति उठाई जहां 4 प्रविष्टि बिलों पर एडीडी लागू था लेकिन एडीडी का भुगतान नहीं किया गया था। टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

(i) प्रविष्टि बिल 8237391 दिनांक 18.01.2017: एडीडी अधिसूचना सं. 09/2016-सीस (एडीडी) दिनांक 15.03.2016 के अंतर्गत 40 से 3200 टन के बीच क्लैंप फोर्सिंग वाली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पर एडीडी वसूला जाना है। बीओई के अवलोकन पर, यह देखा गया है कि बीओई संख्या 8237391 दिनांक 18.01.2017 के तहत आयातित माल में 20 टन का क्लैम्पिंग बल है, जो कि 40 टन से कम है, इसलिए, इस बीओई के माध्यम से आयातित माल पर कोई एंटी-डंपिंग शुल्क नहीं है।

(ii) प्रविष्टि बिल 7682314 दिनांक 02.12.2016: 40 से 3200 टन के बीच क्लैंप फोर्सिंग वाली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पर अधिसूचना संख्या 09/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 15.03.2016 के तहत एंटी-डंपिंग शुल्क वसूलनीय है। लेकिन "वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन" को उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या ii के तहत एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से बाहर रखा गया है, जिसे बीओई संख्या 7682314 दिनांक 02.12.2016 के माध्यम से आयात किया गया था।

(iii) प्रविष्टि बिल 6930930 दिनांक 30.9.2016: आयातक को पत्रा. संख्या VIII(30) Adj-Cus/ICD-DD/Simon/20/2019/4402-4404 दिनांक 26.8.2019 के तहत डंपिंग रोधी शुल्क जमा करने के लिए एक एससीएन जारी किया गया था और उक्त एससीएन का निर्णय संयुक्त आयुक्त द्वारा मूल-आदेश संख्या 08/JC/Noida- Customs/2019-20 दिनांक 29.11.2019 के तहत किया गया था।

(iv) प्रविष्टि बिल 6913351 दिनांक 29.09.2016: पार्टी ने एंटी-डंपिंग शुल्क के रूप में 11,07,652/- रुपए (6,89,632/- रुपए चालान संख्या 1710 दिनांक 22.12.2016 के माध्यम से और 4,18,020/- रुपए चालान संख्या 3048 दिनांक 15.03.2019 के द्वारा) जमा करा दिए हैं। एडीडी के अलावा, पार्टी ने चालान संख्या 3048 दिनांक 15.03.2019 के द्वारा 1,40,777/- रुपये का ब्याज और 62,703/- रुपए का जुर्माना भी जमा किया है।

(*ख*) प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड-

प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड के आयात पर 1.54 लाख रुपये के एंटी डंपिंग शुल्क का भुगतान न करने के संबंध में लेखापरीक्षा ने आपत्ति उठाई। जांच करने पर यह पाया गया कि बीओई संख्या 5855960 दिनांक 04.07.2016 से संबंधित आपत्ति जो आरएमएस के तहत और पुनर्मूल्यांकन अनुमोदन के बाद थी; अधिसूचना संख्या 48/2015 के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाने के साथ इसका पुनर्निर्धारण किया गया। पार्टी द्वारा चालान संख्या 2026475429 दिनांक 29.03.2019 के माध्यम से लागू ब्याज (कुल राशि 2,16,413 रुपये) के साथ 1,55,253/- रुपये का एंटी डंपिंग शुल्क जमा किया गया था।

<u>जेएनसीएच, मुंबई-II</u>
<u>ग्लास फाइबर रोविंग्स</u>
सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के सीटीएच 7019 के तहत आने वाले चीन में उत्पन्न ग्लास रोविंग सहित ग्लास फाइबर पर एडीडी का गैर-उदग्रहण हुआ। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 01 मामले में चीन से आयातित माल को ई-ग्लास वुवन रोविंग घोषित किया गया था और यह बिना पाटनरोधी शुल्क लगाए अनुमत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 7,17,864/- रुपए की एडीडी की गैर वसूली हुई।
कम प्रभार सह कारण बताओ नोटिस 22.02.2019 को आयातक को जारी किया गया था। आयातक ने अपने आयातित माल पर एंटी डंपिंग शुल्क की प्रयोज्यता का विरोध करते हुए उपरोक्त एससीएन पर अपना उत्तर दिया, जिसमें उनका दावा है कि उनका माल विशेष रूप से ग्लास वेवन रोविंग की श्रेणी से बाहर है। न्यायनिर्धारण प्रक्रियाधीन है।

<u>कोलकाता</u>
<u>सिलाई मशीन</u>
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के तहत आयातक को 2,39,257/- रुपए की राशि के लिए डिमांड नोटिस जारी किया गया है।
<u>नायलॉन टायर कॉर्ड फाइबर</u>
आयातक ने 9000/- रुपये के एंटी डंपिंग शुल्क और लागू ब्याज का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया है।
<u>सोडियम सिट्रेट</u>
99,364/- रुपये की राशि के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 के तहत मांग सह पूर्व-परामर्श नोटिस दिनांक 17.09.2021 को जारी किया गया।

<u>अहमदाबाद</u>
<u>अधिक सफेद रंग का ग्लास- 0.81 लाख रुपए की राशि।</u>
ऊपर दिए गए बिल ऑफ एंट्री द्वारा आयातित अतिरिक्त संसाधित ग्लास सजावटी उद्देश्य के लिए बनाया गया संसाधित ग्लास है और 4 मिमी अतिरिक्त सफेद बैक पेंट ग्लास है जिसे अतिरिक्त स्पष्ट ग्लास पर सफेद रंग कोटिंग करके तैयार किया जाता है।

अधिसूचना संख्या 47/2015 (एडीडी) दिनांक 08.09.2015, एडीडी केवल फ्लोट ग्लास और टिंटेड ग्लास पर लागू है लेकिन इसमें सजावटी उद्देश्य के लिए अधिक सफेद काला ग्लास शामिल नहीं है। आयुक्तालय द्वारा यह पैरा स्वीकार नहीं किया गया है।

<u>पैरा नाइट्रो एमिलिन - 3.29 लाख रुपए की राशि</u>

मैसर्स रोहन डाइस एंड इंटरमीडिएट्स प्रा. लिमिटेड ने आईसीडी, साबरमती में पंजीकृत अग्रिम प्राधिकरण लाइसेंस के तहत 18431 किलोग्राम पैरा नाइट्रो एनिलिन की मंजूरी के लिए दिनांक 17.12.2016 का बिल ऑफ एंट्री नंबर 7859204 दायर किया। मामले की जांच करने पर पता चला कि पहले तो लाइसेंस के तहत बांड से 13,23,403/-रुपये और 2,85,392/- रुपए 17.12.2016 को निकाले गए, यह राशि बिना एडीडी की वसूली के थी। बाद में पार्टी ने अधिसूचना संख्या 88/2011-सीमा शुल्क (एंडीडी) दिनांक 09.09.2011 के क्रमांक 4 के अनुसार 0.26 अमरीकी डालर/किलोग्राम की दर से लगाए जाने वाले एडीडी की राशि के बराबर अपने बांड में से 07.01.2017 को डेबिट कर दिया, जो कि 1,04,007/- रुपए और 2,24,969/- रुपए था। इसलिए, वसूली की गई है।

<u>सैंड ब्लास्टेड ग्लास: 3.82 लाख रुपए की धनराशि</u>

एडीडी न लगाने के संबंध में उठाया गया पैरा स्वीकार्य नहीं है। बिल ऑफ एंट्री नंबर 4761838 दिनांक 31.03.2016 के विवरण के अनुसार, आयातित सामान "स्ट्रिप्स के साथ सैंडब्लास्टेड ग्लास" हैं, सैंडब्लास्टेड ग्लास एक सामान्य ग्लास को मशीन या हाथ से सैंडब्लास्ट करके तैयार किया जाता है जिसमें कांच पर उच्च दबाव वाले रेतीले कणों को नष्ट करना शामिल होता है, जो कांच की सतह को मिटा देता है। इस तरह से कांच की छोटी मात्रा को हटाने से फ्रॉस्टेड ग्लास की विशेषता खुरदरी सतह और पारभासी गुणवत्ता बन जाती है। चूंकि माल संसाधित ग्लास की श्रेणी में आता है, और इसलिए यह अधिसूचना संख्या 47/2015 (एडीडी) दिनांक 08-09-2015 के प्रावधान से बाहर है क्योंकि संसाधित ग्लास पर एडीडी लागू नहीं होता है।

इसी तरह, यह भी ध्यान दिया जाए कि एडीडी केवल फ्लोट ग्लास और टिंटेड ग्लास पर लागू होता है, लेकिन इसमें रिफ्लेक्टिव ग्लास, प्रोसेस्ड ग्लास शामिल नहीं होता है जो सजावटी, औद्योगिक या ऑटोमोटिव उद्देश्यों के लिए होता है। आयुक्तालय द्वारा यह पैरा स्वीकार नहीं किया गया है।

<u>रबड़ रसायन: 44.4 लाख रुपए की राशि</u>

जब ईओयू ऐसे आयातित माल को डीटीए में समाशोधित करता है तो बीई के समक्ष एडीडी का गैर-चित्रण एडीडी का भुगतान न करने का परिणाम हो सकता है। आयातक 100% ईओयू होने के कारण, एडीडी वसूलनीय/देय नहीं था। आयात के वर्तमान मामले में यह पैरा लागू नहीं है।

<u>रबड़ रसायन: 28.22 लाख रुपए की राशि</u>

जब ईओयू ऐसे आयातित माल को डीटीए में समाशोधित करता है तो बीई के समक्ष एडीडी का गैर-चित्रण एडीडी का भुगतान न करने का परिणाम हो सकता है। आयातक 100%

ईओयू होने के कारण, एडीडी उद्ग्रहणीय/देय नहीं था। आयात के वर्तमान मामले में यह पैरा लागू नहीं है।

<u>कार्बन ब्लैक: 1027.7 लाख रुपए की राशि</u>

जब ईओयू ऐसे आयातित माल को डीटीए में समाशोधित करता है तो बीई के समक्ष एडीडी का गैर-चित्रण एडीडी का भुगतान न करने का परिणाम हो सकता है। आयातक 100% ईओयू होने के कारण, एडीडी उद्ग्रहणीय/देय नहीं था। आयात के वर्तमान मामले में यह पैरा लागू नहीं है।

<u>मीथाइलीन क्लोराइड 78.54 लाख रुपए की राशि</u>

जब ईओयू ऐसे आयातित माल को डीटीए में समाशोधित करता है तो बीई के समक्ष एडीडी का गैर-चित्रण एडीडी का भुगतान न करने का परिणाम हो सकता है। आयातक 100% ईओयू होने के कारण, एडीडी उद्ग्रहणीय/देय नहीं था। आयात के वर्तमान मामले में यह पैरा लागू नहीं है।

<u>बेंगलुरू</u>

<u>प्लास्टिक इंजेक्शन, मोल्डिंग मशीन:</u> इस संबंध में उत्तर फील्ड फॉर्मेशन से प्राप्त होने पर उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।

<u>कोल्ड रोल्ड सीमलेस पाइप्स:</u>इस संबंध में उत्तर फील्ड फॉर्मेशन से प्राप्त होने पर उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।

52. **संबंधित अधिसूचनाओं में उत्पाद विशिष्ट स्थितियों के संबंध में भ्रम और गलत व्याख्या की संभावना के कारण जूट की बोरियों और विटामिन सी और इसके संबंधित यौगिकों के मामले में उदग्रहण से बचने के लिए विभाग द्वारा किए गए उपायों के संबंध में, मंत्रालय ने अपने जवाब में निम्नवत कहा :-**

"जूट की बोरियों का मामला

अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 05.01.2017 के तहत जूट उत्पादों अर्थात् जूट यार्न/ट्विन (मल्टीपल फोल्ड/केबल्ड और सिंगल), हेसियन फैब्रिक और जूट सेकिंग बैग के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया था।

विशिष्ट 'जूट उत्पाद' अर्थात जूट यार्न/सुतली (एकाधिक तह/केबल्ड और एकल), हेसियन फैब्रिक, और पटसन के सभी उत्पादों के बजाय जूट सेकिंग बैग पर एडीडी लगाया गया था।

निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/3/2018-डीजीएडी दिनांक 20.03.2018 के तहत जूट सेकिंग बैगों के आयात पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क के उल्लंघन के मामले में लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क को बढ़ाने की आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए, जिसे सीमा शुल्क टैरिफ की पहली अनुसूची के शीर्ष 5310 के तहत आने वाले जूट सेकिंग क्लॉथ के आयात के लिए बांग्लादेश से उत्पन्न या निर्यात किए गए जूट सेकिंग बैग के आयात पर (अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा

शुल्क (एडीडी) दिनांक 05.01.2017 के अनुसार) अधिनियम, बांग्लादेश में उत्पन्न या निर्यात किए गए, एक जांच शुरू की थी।

निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों में अधिसूचना संख्या 7/3/2018-डीजीएडी दिनांक 19.03.2019 के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि

(i) सेकिंग क्लॉथ के आयात में डम्पिंग रोधी शुल्क लगाने के बाद वृद्धि हुई है।

(ii) सैकिंग क्लॉथ को सेकिंग बैग में परिवर्तित करने में मूल्यवर्धन सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 में निर्धारित सीमा से बहुत कम है।

(iii) सेकिंग क्लॉथ के आयात ने अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 05.01.2017 के तहत लगाए गए सेकिंग बैग पर मौजूदा एंटी-डंपिंग उपायों के उपचारात्मक प्रभाव को कम कर दिया है।

और जूट सेकिंग कपड़े पर उक्त अधिसूचना 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 05.01.2017 के तहत लगाए गए सैकिंग बैग पर मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क के विस्तार की सिफारिश की है। सीमा शुल्क द्वारा अधिसूचना संख्या 24/2019- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 18.06.2019 के तहत उचित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया था।

क्षेत्रीय कार्यालय ने उठाई गई ऑडिट आपत्ति के अलावा अनंतिम रूप से समान आयात के सभी बिल ऑफ एंट्री का आकलन किया था और अधिसूचना संख्या 24/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 18.06.2019 को जारी करने के बाद इसे अंतिम रूप भी दिया था।

नामित प्राधिकारी ने जूट सेकिंग कपड़े पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के दायित्व के मुद्दे की जांच की है और सैकिंग बैग पर एंटी-डंपिंग शुल्क को सीमा शुल्क द्वारा अधिसूचना संख्या 24/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 18.06.2019 के माध्यम से सेकिंग कपड़े तक बढ़ाने की सिफारिश की है, जिसके आधार पर उचित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि 18.06.2019 से पहले जूट सेकिंग कपड़े पर एडीडी वसूलनीय नहीं था। इस प्रकार, 2019 की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 17 के अध्याय III का लेखापरीक्षा पैरा 3.5.5 (ii), आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क का उद्ग्रहण वैध/टिकाऊ नहीं है।

सोडियम एस्कॉर्बेट मुद्दा:

- वर्तमान मामले में, आयातित माल "सोडियम एस्कॉर्बेट" था जो विटामिन सी का एक रूप है और एस्कॉर्बिक एसिड के खनिज लवणों में से एक है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मर्क इंडेक्स की प्रविष्टि संख्या "867" के तहत विटामिन सी के विभिन्न पर्यायवाची शब्दों जैसे कि एल-ज़ाइलो

एस्कॉर्बिक एसिड, 3-0xo-लगुलोफ्यूरानोलैक्टोन (एनोल फॉर्म), एल-3- केटोथ्रेओहेक्सुरोनिक एसिड लैक्टोन और ऐसे अन्य की एक विस्तृत सूची है। हालांकि नोट में सोडियम एस्कॉर्बेट का कोई जिक्र नहीं है।

- मर्क इंडेक्स में उल्लिखित मदों के अवलोकन पर, यह देखा गया है कि सोडियम एस्कॉर्बेट को मर्क इंडेक्स के नंबर "8723" पर एक विशिष्ट प्रविष्टि मिलती है न कि "867" के तहत। प्रविष्टि में सोडियम एस्कॉर्बेट का एस्कॉर्बिक एसिड सोडियम डेरिवेटिव के रूप में उल्लेख किया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि विटामिन सी (एस्कॉर्बिक एसिड) और सोडियम एस्कॉर्बेट रासायनिक रूप से दो अलग-अलग यौगिक हैं।

- उपर्युक्त से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विटामिन सी, जिसका सबसे आम नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, सोडियम एस्कॉर्बेट से पूरी तरह भिन्न है। निहितार्थ से, विटामिन सी के सभी रूप और ग्रेड केवल विभिन्न यौगिकों को संदर्भित करते हैं जैसा कि चर्चा के अनुसार मर्क इंडेक्स के सीएएस संख्या 867 के तहत उल्लेख किया गया है। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि "सोडियम एस्कॉर्बेट" "विटामिन सी" का एक रूप, ग्रेड या पर्याय है, जब रासायनिक यौगिक के वर्गीकरण पर प्राधिकरण, अर्थात मर्क इंडेक्स, ने दोनों को अलग-अलग यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया है।

- साथ ही उक्त लेखापरीक्षा आपत्ति को ध्यान में रखते हुए, सोडियम एस्कॉर्बेट के आयात के लिए मैसर्स श्री फार्मा द्वारा दाखिल बिल ऑफ एंट्री नंबर 7939411/09.01.2015 के तहत आयातित माल से नमूना लिया गया और टीएम नंबर एस 33/949/ 2014-15- समूह-2 के द्वारा इसकी जांच की गई। परीक्षण रिपोर्ट से यह पुष्टि हुई है कि आयातित माल सोडियम एस्कॉर्बेट था और यह एस्कॉर्बिक एसिड का सोडियम नमक है।

  इस प्रकार, 38/2015-एडीडी दिनांक 06.08.2015 के तहत एडीडी केवल विटामिन सी (एस्कॉर्बिक एसिड) के समानार्थक शब्दों पर लागू होता है जो मर्क इंडेक्स 867 के तहत प्रविष्टि पाते हैं। इसलिए, मर्क इंडेक्स 8723 के तहत उल्लिखित उत्पादों पर एडीडी की वसूली उन उत्पादों पर एडीडी के दायरे से बाहर जाकर होगी, जिनका उल्लेख अधिसूचना में ही नहीं है, जो कानूनी रूप से सही नहीं है।

  अतः उक्त लेखापरीक्षा आपत्ति/पैरा टिकाऊ नहीं है।

उपरोक्त सबमिशन निम्नलिखित केस कानूनों के अनुरूप है: मैसर्स निकोलस पिरामल इंडिया लिमिटेड बनाम आयुक्त, उत्पादशुल्क, पुणे 11, 2018 (364) ईएलटी 1035 (त्रि-मुंबई) और आयुक्त सीमा शुल्क (ईपी), मुंबई बनाम कलगोव लैब्स लिमिटेड 2019 (365) ईएलटी 145 (त्रि-मुंबई)।"

53. **एडीडी की विशिष्ट शर्तों का पता लगाने में आरएमएस की अक्षमता के संबंध में विशेष रूप से यदि उत्पाद का नाम या विवरण अधिसूचना से भिन्न है या यदि एडीडी का**

उद्ग्रहण मोटाई या वजन जैसे उत्पाद विनिर्देशों पर निर्भर करता है, तो मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत टिप्पणी की::-

> "आरएमएस को एडीडी की विशिष्ट शर्तों जैसे उत्पाद का नाम या विवरण या विनिर्देश मान्य करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। यह क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए कई मापदंडों के आधार पर बिलों को अवरुद्ध करता है।
>
> इसके बाद, हाल के दिनों में अतिरिक्त उपाय किए गए हैं ताकि संभावित परिहार के मामलों में एडीडी से संबंधित लक्ष्यीकरण/फ्लैगिंग को मजबूत किया जा सके, जिसमें मशीन लर्निंग आधारित प्रतिबंधों की शुरूआत और ऑडिट-आधारित सत्यापन के लिए पोस्ट क्लीयरेंस इंटरडिक्शन को और मजबूत करना शामिल है।
>
> इसके अलावा, यह समझने की जरूरत है कि, आरएमएस केवल निर्धारण अधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए एक निर्णय समर्थन प्रणाली है; आरएमएस अंतर्विरोधित बिलों का सत्यापन, आरएमएस द्वारा चिह्नित एडीडी से संबंधित जोखिमों का शमन और एडीडी से संबंधित अंतिम निर्धारण क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है।"

VII पैरा सं. 3.5.6: एडीडी की गलत गणना

54. (i) प्लास्टिक प्रसंस्करण या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन और (ii) प्यूरीफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड के आयात के संबंध में एडीडी की गलत गणना के मामले देखे गए।

(i) चीन गणराज्य/ताइवान से सीटीएच 8477,1000 के तहत आयातित प्लास्टिक प्रसंस्करण या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें "लैंडेड वैल्यू" के 29 प्रतिशत के बराबर एडीडी को आकर्षित करती है। 'लैंडेड वैल्यू' का अर्थ होता है निर्धारणीय कीमत व मूल सीमा शुल्क का योग।

दो आयुक्तालयों में, विभाग ने 37 परेषणों में लैंडेड वैल्यू के बजाय निर्धारणीय कीमत पर एडीडी की गलत गणना की। इसके परिणामस्वरूप 15.24 लाख रूपए के एडीडी का कम उद्ग्रहण हुआ। 37 परेषणों में से, आईसीडी, तुगलकाबाद, के माध्यम से आयातित 31 परेषणों में प्रणाली द्वारा एडीडी की गणना की और प्रणाली के माध्यम से निकासी की सुविधा भी दी गई थी।

(ii) जब निर्माता और निर्यातक संयोजन इंडोरामा पेट्रोकेम या टीपीटी पेट्रो केम पब्लिक लिमिटेड द्वारा "शुद्धीकृत टेरेफथोलिक एसिड" का आयात सीटीएच '29173600' के तहत वर्गीकृत किया गया है, जो थाईलैण्ड और कोरिया से उत्पन्न और निर्यातित होने पर एडीडी[1] यूएसडी 45.43 प्रति एमटी (पीएमटी)

पर और यदि निर्माता और निर्यातक का कोई अन्य संयोजन हो तो यूएसडी 62.55 पीएमटी की दर पर उद्ग्राहय है।

जेएनसीएच के माध्यम से आयात किए गए "प्यूरिफाइड टेरेफाथोलिक एसिड" की इक्कीस परेषणों को यूएसडी 62.55 पीएमटी के बजाय यूएसडी 45.43 पीएमटी की दर पर एडीडी के रूप में मंजूरी दी गई क्योंकि निर्माता और निर्यातक पूर्वोक्त वर्णित के अलावा अन्य थे। इसके परिणामस्वरूप एडीडी की कम उगाही की राशि 1.55 करोड़ रूपए हो गई।

55. विभिन्न आयुक्तालयों में एडीडी की गलत गणना के मामलों के लिए, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित कारण बताए::-

"मुंबई से संबंधित मामले में, यह प्रस्तुत करना है कि अधिसूचना संख्या 09/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 15.03.2016 जैसी एडीडी अधिसूचनाओं में, भूमि मूल्य के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त अंतर शुल्क, के 4 मानकों के संयोजन के आधार पर आयातित माल भिन्न होता है, जो ये हैं:

i. उद्गम देश
ii. निर्यात का देश
iii. निर्माता/उत्पादक
iv. निर्यातक

इन मापदंडों के संयोजन के आधार पर, एडीडी भूमि मूल्य का शून्य से 44.74% तक होता है। एडीडी लगाते समय अधिसूचना के अनुसार क्रमांक के चयन में किसी त्रुटि से एडीडी की गलत गणना होगी।

दिल्ली क्षेत्र से संबंधित मामलों में, यह प्रस्तुत है कि, "2 मामलों में पार्टी ने आयातित माल को प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के रूप में घोषित किया, जिसमें अधिसूचना संख्या 57/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 04.12.2015 के तहत एडीडी की सशर्त छूट थी। आयातक की घोषणा और स्व-मूल्यांकन के आधार पर, आरएमएस द्वारा प्रविष्टि बिलों की सुविधा प्रदान की गई थी। आयातित माल की सूची के आधार पर लेखापरीक्षा के दौरान हाइड्रोलिक यूनिट वाली मशीनों के लिए सशर्त छूट उपलब्ध नहीं होने की स्थिति देखी गई। इसलिए, आयात के समय आयातक द्वारा दिए गए अपूर्ण विवरण के कारण एडीडी नहीं लगाया गया था। आयातक को एडीडी की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

आईसीडी-आयात, तुगलकाबाद आयुक्तालय ने बताया कि "सरकारी राजस्व की रक्षा के लिए आयातकों को मांग सह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और आयातकों से ब्याज के साथ शुल्क अंतर की वसूली की गई है। उपरोक्त से, दोनों आयुक्तालय लेखापरीक्षा आपत्ति पर सहमत हैं और सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

56. **भविष्य में इस तरह की गलत गणना त्रुटियों को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों पर समिति की चिंताओं पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया निम्नवत है:-**

---

[1] अधिसचूना सं. 23/2015 सीमाशुल्क दिनांक 27.05.2015

"मुंबई से संबंधित मामले में, यह प्रस्तुत है कि जब निर्धारण के समय इस तरह के सामान का पता चलता है, तो उचित सावधानी बरती जाती है, एडीडी की प्रयोज्यता की उचित जांच की जाती है, और भविष्य में गलत गणना त्रुटियों को रोकने के लिए उपयुक्त अधिकारियों को संवेदनशील बनाया गया है।

अधिकारियों को संवेदनशील बनाया गया है और सीटीएच में आने वाले उन सामानों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं जहां एडीडी अधिक सावधानी से वसूलनीय हो। उन्हें सलाह दी गई है कि ई-संचित्त पर सहायक दस्तावेजों से निर्माता/उत्पादक, निर्यातक, मूल देश आदि की पहचान करें, भले ही इनमें से कुछ विवरण बिल ऑफ एंट्री में उपलब्ध न हों, और इन विवरणों के संयोजन के अनुसार लागू होने वाले सही एडीडी पर पहुंचें ताकि लागू एडीडी की गणना में कोई त्रुटि न हो।

आईसीडी-आयात, तुगलकाबाद आयुक्तालय ने सूचित किया है कि "सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को नवीनतम एडीडी अधिसूचना और उनकी प्रयोज्यता के बारे में सख्त जागरूकता रखते हुए प्रविष्टि बिलों की सावधानीपूर्वक जांच और निर्धारण करने के लिए संवेदनशील बनाया गया है"।

57. **इसके अलावा, मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या विभिन्न आयुक्तालयों में एडीडी की गलत गणना की संभावना होने पर आयात के अन्य वर्गों की पहचान की गई थी और क्या आयुक्तालयों को ऐसे आयातों के प्रति संवेदनशील बनाया गया था। इस संबंध में, मंत्रालय ने निमन्वत प्रतिक्रिया दी है::-**

"मुंबई से संबंधित मामले में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को छोड़कर ऐसा कोई मामला नहीं देखा गया है और भविष्य में गलत गणना त्रुटियों को रोकने के लिए उचित अधिकारियों को संवेदनशील बनाया गया है।

शुद्ध टेरेफ्थेलिक एसिड के अलावा आयातों का कोई अन्य वर्ग नहीं देखा गया है, जहां एडीडी की गलत गणना की गई है। जैसा कि ऊपर प्रश्न संख्या 22 के उत्तर में कहा गया है, अधिकारियों को इन विवरणों के संयोजन के अनुसार लागू सही एडीडी का पता लगाने के लिए निर्माता/उत्पादक, निर्यातक, मूल देश आदि की पहचान करने की सलाह दी गई है ताकि लागू एडीडी की गणना में कोई त्रुटि न हो।

दिल्ली जोन से संबंधित मामलों में, यह प्रस्तुत है कि "सशर्त छूट के साथ एडीडी के तहत शामिल आयात माल को लेखापरीक्षा आयुक्तालय द्वारा लेखापरीक्षा के लिए चुना जा सकता है। सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एडीडी के गैर-उदग्रहण के सदृश मामलों के बारे में बंदरगाहों को संवेदनशील बनाया गया है।

आईसीडी-आयात, तुगलकाबाद आयुक्तालय ने सूचित किया कि "उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार एंटी-डंपिंग शुल्क की गलत गणना की संभावना के संबंध में कोई अन्य मामला नहीं पाया गया है। "

VIII पैरा सं. 3.5.7: अनंतिम निर्धारण का गलत सहारा

58. सीमा शुल्क नियमावली के अध्याय 7 के अनुसार, वित्त अधिनियम, 2011 में स्व-मूल्यांकन की शुरुआत हुई जिसके अंतर्गत आयातकों और निर्यातकों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 17 के अनुसार शुल्क का स्व-निर्धारण करना अनिवार्य है। यह स्व-मूल्यांकन सीमा शुल्क के उपयुक्त अधिकारी द्वारा सत्यापन के अधीन है और यदि यह गलत गलत पाया जाता है तो सीमा शुल्क के उपयुक्त अधिकारी द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। हालांकि, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 17(1) के अनुसार, यदि कोई आयातक या निर्यातक स्व-मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं है, तो वह मूल्यांकन के लिए उपयुक्त अधिकारी से लिखित में अनुरोध कर सकता है।इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18 के अनुसार, यदि उपयुक्त अधिकारी स्व-मूल्यांकन को सत्यापित सत्यापित करने या शुल्क का पुनर्मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं है या वह किसी भी आयातित या निर्यात माल को किसी के अधीन करना आवश्यक समझता है रासायनिक या अन्य परीक्षण या जहां आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं या जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है और आगे की जांच करना आवश्यक है, वह निर्देश दे सकता है कि ऐसे सामानों पर लगाए जाने वाले शुल्क का अनंतिम रूप से मूल्यांकन किया जाए। लेखापरीक्षा ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि सीमा शुल्क नियमावली के उसी अध्याय के पैरा 3.1 में कहा गया है कि अस्थायी निर्धारणों को शीघ्रता से, छह महीने के भीतर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

59. (i) प्यूरीफाइड टेरेफ्थेलिक एसिड और (ii) विनाइल क्लोराइड मोनोमर (निलंबन ग्रेड) के आयात के संबंध में गलत तरीके से अनंतिम निर्धारण का सहारा लेने के मामले। (i) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 के परन्तुक में उपबंध है कि आयातित माल के शुल्क की दर और टैरिफ मूल्याङ्कन की तिथि जलयान के आगमन/प्रवेश की तिथि है, भले ही प्रविष्टि पत्र जलयान के आगमन/प्रवेश की तिथि से पहले दायर किया गया हो।

60. जेएनसीएच, मुम्बई के माध्यम से एक आयातक ने चीन से प्यूरिफाइड टैरिफ्थैलिक एसिड की दो परेषणों का आयात(जुलाई 2016) किया है। प्रविष्टि के दो अग्रिम बिल 4 जुलाई

2016 को भरे गए थे जबकि पोत के प्रवेश की तारीख 5 जुलाई 2016 थी। सीटीएच 29173500 के तहत वर्गीकृत प्यूरिफाइड टैरिफ्थैलिक एसिड का आयात 5 जुलाई 2016 से एडीडी[2] के लिए निर्धारित दर यूएसडी 97.60 प्रति एमटी है, यदि मूल और निर्यातक देश चीन है।

61. दोनों परेषणों का अनौपचारिक रूप में निर्धारण किया गया था और उन्हें एडीडी की उगाही के बिना और विभागीय टिप्पणियों के साथ "एडीडी की प्रयोज्यता के स्पष्टीकरण तक" के बिना मंजूरी दे दी गई थी।"

62. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, पोत के प्रवेश की तारीख (अर्थात 5 जुलाई 2016) को बीई की प्रस्तुतिकरण की तारीख के रूप में माना जाता है, इन परेषणों पर लागू एडीडी लगाए बिना अनंतिम रूप से निर्धारण किया गया था चूंकि पोत के प्रवेश की तारीख 5 जुलाई 2016 थी और अधिसूचना सं. 28/2016 को 5 जुलाई 2016 से जारी की गई थी, इसलिए एडीडी की उगाही करना अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप अनंतिम निर्धारण में 1.34 करोड़ रूपए के एडीडी को स्थागित कर दिया गया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में देखा कि छः महीने से अधिक समय की समाप्ति के बावजूद अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है (अक्टूबर 2018)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है।

63. सीटीएच 3904 के तहत वर्गीकृत विनाईल क्लोराइड मोनोमर (संस्पेंशन ग्रेड) का आयात निर्धारित दर पर एडीडी[3] आकर्षित करता हैं, यदि मूल और निर्यात का देश इंडोनेशिया है, मैसर्स 'अ' इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जेएनसीएच (बीई सं. 6571736 और और 6622177 क्रमशः दिनांक 1 और सितम्बर 2016) से आयातिक पीवीसी रेजिन ग्रेड एफजे-65 के दो परेषणों को लंबित परीक्षण रिपोर्ट के कारण अनंतिम निर्धारण किया गया था और 48.15 लाख रूपए की एडीडी की उगाही बिना निकासी कर दी गई थी। इन निर्धारणों को 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अंतिम रूप दिया जाना लंबित था।

64. लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि जेएनसीएच, मुम्बई के माध्यम में अन्य आयातकों द्वारा समान आयात प्रासंगिक अवधि के दौरान एडीडी के अधीन आयात किए किए गए थे।

65. छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर अनंतिम निर्धारणों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारणों, और जुलाई 2018 में विभाग से परीक्षण रिपोर्ट की स्थिति मांगी गई थी

66. छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर अनंतिम निर्धारणों को अंतिम रूप न देने के कारणों के संबंध में, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया::-

"यह मामला मुंबई जोन से संबंधित है और इस संबंध में यह प्रस्तुत है कि मेसर्स आलोक इंडस्ट्रीज के 2 बीई हैं जिनका अनंतिम निर्धारण किया गया था। आयातक लगातार एडीडी की प्रयोज्यता का विरोध कर रहा था और मांगे गए एडीडी का भुगतान करने के लिए वह तैयार नहीं है। इसलिए, अंतिम निर्धारण छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जा सका। अंत में, आयातक ने एक विस्तृत बचाव प्रस्तुत किया और प्राकृतिक न्याय के हित में, अनंतिम रूप से निर्धारित बीई को

---

[2]अधिसूचना सं. 28/2016-सीमाशुल्क, क्रम सं. दिनांक 05.07.2016

[3]अधिसूचना सं. 27/2014-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 13.06.2014, क्रम सं. 29

अंतिम रूप देने से पहले 08 अक्टूबर 2021 को व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी गई। स्पीकिंग ऑर्डर (अंतिम निर्धारण) प्रक्रियाधीन है। ऐसे कोई मामले नहीं हैं जिनमें अनंतिम निर्धारण का सहारा लिया गया हो।

बिल ऑफ एंट्री नंबर 6571736 दिनांक 01.09.2016 और 6622177 दिनांक 06.09.2016 जिसके तहत मैसर्स कीर्ति इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा पॉलीविनाइल क्लोराइड राल ग्रेड एफजे-65आर आयात किया गया था, नमूना सीआईपीईटी, अहमदाबाद को भेजा गया था। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। सीआईपीईटी, अहमदाबाद से परीक्षण रिपोर्ट अग्रेषित करने के लिए दिनांक 04.08.2020 के पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था। उसके उत्तर में, सीआईपीईटी, अहमदाबाद से परीक्षण रिपोर्ट, अक्टूबर, 2020 में प्राप्त हुई थी।

उन परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर, आयातक को एससीएन दिनांक 05.03.2021 जारी किया गया था जिसमें एडीडी लगाकर अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने का प्रस्ताव था। एससीएन में धारा 111(एम) के तहत जब्ती और धारा 112(क) और/या धारा 114क के तहत जुर्माना भी प्रस्तावित किया गया था। एससीएन के जवाब में, आयातक ने चालान संख्या एचसीएम-149 तथा एचसीएम-829 दोनों दिनांक 15.04.2021 के द्वारा 81,67,786/- रुपए के ब्याज के साथ एडीडी का भुगतान किया है। उक्त एससीएन पर न्यायनिर्णयन प्रक्रियाधीन है। "

67. **यह पूछे जाने पर कि क्या लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किए गए मामलों के अलावा अन्य बंदरगाहों से समान आयात की कोई समीक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी, उनका उत्तर निम्नवत था:-**

"इंजेक्शन मोल्डिंग, शहतूत का कच्चा रेशम, नायलॉन फिश नेट, फाइबर ग्लास मापने वाले टेप, एस्कॉर्बिक एसिड इत्यादि जैसी मदों के मामले में, चेन्नई जोन ने लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किए गए मामलों के अलावा इसी तरह के मामलों की समीक्षा की है। इस कवायद में, 118 मामलों

को नमूना जांच के लिए लिया गया और यह पाया गया कि इन सभी खेपों के संबंध में, एंटी-डंपिंग शुल्क के नुकसान का कोई मामला नहीं था।

इसके अलावा एडीडी अधिसूचना की वैधता समाप्त होने के बाद भी एडीडी लगाने के मामले में मुंद्रा आयुक्तालय ने सदृश आयात की समीक्षा की और कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया। "

******

भाग –दो

समिति की टिप्पणियाँ /सिफारिशें

प्रस्तावना

एंटी-डंपिंग ड्यूटी एक प्रशुल्क है। सरकार विदेशी आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी तब लगाती है जब उसे लगता है कि घरेलू बाजार में कम कीमत के जरिए सामान 'डंप' किया जा रहा है। स्थानीय व्यवसायों और बाजारों को विदेशी आयातों द्वारा की जा रही अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। इस प्रकार, एंटी-डंपिंग ड्यूटी माल की डंपिंग और इसके व्यापार विकृत करने वाले प्रभाव से उत्पन्न स्थिति को सुधारने का एक उपाय है। एंटी-डंपिंग ड्यूटी का उद्देश्य डंपिंग के व्यापार विकृत करने वाले प्रभाव को सही करना और निष्पक्ष व्यापार को फिर से स्थापित करना है।

वर्ष 2019 की रिपोर्ट संख्या 17 का अध्याय तीन आयातों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी (एडीडी) उद्ग्रहीत करने संबंधी विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित है। लेखापरीक्षा ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी पाया कि हालांकि आईसीईएस में सीमा शुल्क जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) आधारित निकासी के तहत सिस्टम के माध्यम से बिल ऑफ एंट्री (बीई) को मंजूरी दे दी गई थी, फिर भी आरएमएस एडीडी की उन विशिष्ट शर्तों का पता लगाने में असमर्थ था जो नमूना जांच किए गए कई एंट्री बिलों के तहत हुए आयातों द्वारा पूरी नहीं की गई थीं। इसके अलावा, लेवी से बचने के कई दृष्टांत और एंटी-डंपिंग की शर्तों के गैर-अनुपालन के दृष्टांत पाए गए, जिसके परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा के अनुसार, ₹ 86.69 करोड़ की राशि की एंटी-डंपिंग ड्यूटी का उद्ग्रहण नहीं हुआ /कम उद्ग्रहण हुआ। समिति नोट करती है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में वाणिज्य विभाग में कार्यशील व्यापार उपचार

महानिदेशालय (डीजीटीआर), (पूर्ववर्ती महानिदेशालय एंटी-डंपिंग और संबद्ध शुल्क) एंटी-डंपिंग ड्यूटी की जांच करते हैं और इसके लिए डंपिंग रोधी उपायों को लागू करने के लिए सरकार से सिफारिशें करते हैं। । ऐसा शुल्क अंततः वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (डीओआर) द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से अधिरोपित किया जाता है /वसूल किया जाता है। इस प्रकार, जबकि वाणिज्य विभाग एंटी-डंपिंग ड्यूटी (एडीडी) की सिफारिश करता है, वित्त मंत्रालय, इस तरह का शुल्क वसूल करता है। उपर्युक्त रिपोर्ट के अध्याय-तीन में की गई समग्र चर्चा के अनुसार विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए, समिति ने डीजीटीआर और राजस्व विभाग (डीओआर) दोनों से स्पष्टीकरण मांगा। समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें अनुवर्ती पैराओं में दी गई है।

<u>जोखिम प्रबंधन प्रणाली</u>

2. सीमा शुल्क और अन्य किसी भी शुल्क और अधिभार का भुगतान स्व-घोषणा के आधार पर किया जाता है। आयातक द्वारा आयातित माल का विवरण प्रदान करने वाला बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने के बाद, माल का मूल्यांकन भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई सिस्टम या आईसीईएस द्वारा किया जाता है। आईसीईएस उन लेनदेन की पहचान करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) का उपयोग करता है जिसके लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त जांच करने की आवश्यकता होती है। समिति नोट करती है कि आरएमएस एडीडी की विशिष्ट शर्तों का पता लगाने में असमर्थ था, विशेषकर यदि उत्पाद का नाम या विवरण अधिसूचना से भिन्न हो या यदि एडीडी की वसूली मोटाई या वजन जैसे उत्पाद विनिर्देशनों पर निर्भर करती हो। इसके अलावा, निर्माता/विनिर्माणकर्ता का नाम दाखिल करना अनिवार्य नहीं किया गया था। इस संबंध में, डीओआर ने सूचित किया है कि दिनांक 17.12.2020 के परिपत्र संख्या 55/2020- सीमा शुल्क में

उल्लेख है कि "उन मामलों में जहां शुल्क प्रयोज्यता निर्माताओं पर आधारित है जैसे एंटी-डंपिंग ड्यूटी (एडीडी), सेफगार्ड ड्यूटी (एसडी) आदि , निर्माता का विवरण प्रदान किया जाए। एडीडी को आकर्षित करने वाले उत्पादों के मामले में, इन विवरणों को अनिवार्य रूप से प्रदान करना आवश्यक होगा।" समिति को विश्वास है कि इस संबंध में आईसीईएस को अद्यतन करने के लिए उचित कार्रवाई की गई है जो परिपत्र की शर्तों के अनुरूप होगी।

3. इसके अलावा, सभी बीई में क्षेत्र, उत्पादक /विनिर्माता को अनिवार्य बनाने के लिए, डीओआर ने बताया है कि यह 'उत्पाद' के सीमा शुल्क प्रशुल्क शीर्ष से संबंधित बीई दाखिल करने के लिए पहले से ही अनिवार्य फ़ील्ड के संयोजन में होगा। हालांकि, इस अतिरिक्त प्रणाली सत्यापन में उत्पाद विनिर्देशनों जैसे ग्रेड, घनत्व, मोटाई आदि को ध्यान में नहीं रखा जा सकता। डीओआर ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में, सिस्टम सत्यापन को जोड़ने से घरेलू उद्योग से आयात करने के लिए और उच्च अनुपालन आवश्यकताओं की ओर अग्रसर होने की संभावना है क्योंकि उत्पाद अभी भी अपने विनिर्देशनों के आधार पर एडीडी की प्रयोज्यता को आकर्षित नहीं कर सकता और यह कारोबार करने की उच्च लागत को बढ़ा देगा । एडीडी की विशिष्ट स्थितियों का पता लगाने के लिए आरएमएस की दक्षता बढ़ाने हेतु किए गए प्रयासों के संबंध में, दो स्तरों पर एडीडी से संबंधित जोखिमों सहित विभिन्न जोखिमों के लक्ष्य को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2020 में आरएमएस में मशीन लर्निंग तकनीक शुरू की गई है। समिति, आरएमएस में सुधार के लिए डीओआर द्वारा की गई पहलों को स्वीकार करते हुए, महसूस करती है कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नवीनतम विकास जैसे कोग्निटिव कंप्यूटिंग को भी एक मजबूत फ्लैगिंग तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है जो

क्षेत्र स्तर पर अधिकारियों को उन मामलों का कुशलतापूर्वक पता लगाने में सहायता करेगा जो एडीडी को आकर्षित करेंगे।

4. समिति यह भी नोट करती है कि आरएमएस को समयबद्ध तरीके से एडीडी की विशिष्ट शर्तों के बारे में अलर्ट देने के लिए अद्यतित नहीं किया जा रहा था जैसा कि कुछ अधिसूचनाओं में उल्लेख किया गया है जिसके कारण सिस्टम से पास होते समय बीई ,एडीडी से बच जाते हैं। समिति की सुविचारित राय है कि आईसीईएस में व्यापार नियम अर्थात सीमा शुल्क अधिनियम, नियम, विनियम और प्रक्रियाएं वास्तविक समय के आधार पर अनिवार्य रूप से अद्यतन की जानी चाहिए ताकि लागू शुल्क और लेवी तदनुसार प्रभारित की जा सकें।

<u>एडीडी अधिसूचना की वैधता समाप्त होने के बाद भी एडीडी का उदग्रहण</u>

5. समिति नोट करती है कि सीबीआईसी द्वारा संबंधित अधिसूचना के प्रकाशन के माध्यम से एडीडी लागू होने की तारीख से प्रभार्य किया जा सकता है और यह अधिकतम पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी है जब तक कि इससे पहले इसे निरस्त, प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जाता है। समिति इस संबंध में नोट करती है कि सीटीएच 29291020 के तहत वर्गीकरणयोग्य डाइ-आइसोसाइनेट के आयात दिनांक 5 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 25/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत एडीडी प्रभारित करने योग्य हैं और यह केवल छह महीने के लिए यानी 4 दिसंबर 2017 तक वैध था। इसी तरह , फॉस्फोरिक एसिड, विस्टामैक्स 6202 प्रोपलीन, ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पोर्सिलेन/विट्रिफाइड टाइल्स आदि का आयात क्रमशः दिनांक4 अप्रैल 2012की अधिसूचना 19/2012 , दिनांक 19 नवंबर 2010 की 119/2010 और दिनांक 29 मार्च 2016की 12/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत क्रमशः पांच साल और छह महीने की वैधता के साथ एडीडी प्रभारित करने योग्य है। तथापि , चार

कमिश्नरियों में, विभाग ने निर्धारित अधिसूचनाओं की समाप्ति के बाद डाई-आइसोसाइनेट, फॉस्फोरिक एसिड, विस्टामैक्स, फिनोल और ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पोर्सिलेन/विट्रिफाइड टाइल्स आयात के 72 मामलों में □ 1.17 करोड़ का एडीडी वसूल किया था। विषय की जांच के दौरान, डीओआर ने एडीडी की इस अनियमित वसूली को स्वीकार करते हुए कहा कि भविष्य में, निर्धारण अधिकारियों द्वारा बीई का आकलन करते समय उचित सावधानी बरती जाएगी। डीओआर ने आगे बताया है कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिस्टम को एडीडी अधिसूचना समाप्ति के लिए सिस्टम में एक अंतर्निहित तंत्र बनाने के मुद्दे की जांच करने के लिए कहा गया है। लेवी की अनियमित वसूली को रोकने के लिए सिस्टम में एडीडी अधिसूचना की समाप्ति के लिए तंत्र को तत्काल बनाए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, समिति चाहती है कि निर्धारण अधिकारियों को विधिवत रूप से सुग्राही बनाया जाए ताकि वे शुल्क अधिरोपण/समाप्ति के संबंध में सभी नवीनतम जनकारियों से अवगत रहें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शुल्क को सदैव सही ढंग से लगाया जाता है।

6. समिति नोट करती है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 27 शुल्क के रिफ़ंड के दावे से संबंधित है, और इस प्रकार, सीमा शुल्क अधिनियम में शुल्क के अधिक भुगतान के स्वचालित रिफ़ंड का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा डीओआर के अनुसार, करदाता द्वारा शुल्क का स्व-मूल्यांकन किया जाता है और किसी भी बीई के समक्ष एक बार भुगतान की गई कोई भी राशि भारत की समेकित निधि का हिस्सा बन जाती है। इस संबंध में, डीओआर ने यह भी बताया है कि अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत एक ऐसी प्रणाली के निर्माण में बाधा डालता है जो स्वचालित रिफ़ंड शुरू कर सकती है। अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत के

तहत, यह माना जाता है कि कोई भी अप्रत्यक्ष कर जिसका भुगतान एक आयातक या निर्माता करता है, वह हमेशा उपभोक्ता को दे दिया जाता है और इसलिए, उस अप्रत्यक्ष कर को उसे रिफ़ंड करने से अन्यायपूर्ण संवर्धन होता है क्योंकि निर्माता द्वारा इसी को उपभोक्ता को दे दिया गया होता है। डीओआर ने आगे यह भी बताया कि सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार, करदाता द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 27 के तहत शुल्क के अतिरिक्त भुगतान के रिफ़ंड का दावा किया जा सकता है। हालांकि, रिफ़ंड का कोई दावा दाखिल नहीं किया गया है। समिति की राय में, रिफंड, जहां भी देय हो, यदि शुरू किया जाता है, तो इससे निर्धारितियों के मन में विश्वास पैदा करने में बहुत मदद मिलेगी । हालांकि, अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत के कारण स्व-प्रेरणा से रिफ़ंड शुरू करने के लिए डीओआर की अक्षमता और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सक्षम प्रावधान के बावजूद करदाताओं द्वारा रिफ़ंड का कोई दावा दाखिल नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ,समिति का मत है कि रिफंड प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने से उन मामलों में रिफंड दाखिल करने में करदाताओं का मार्गदर्शन हो सकता है जहां लागत उपभोक्ताओं पर नहीं डाली गई है। इस प्रकार शुरू किया गया रिफंड ,कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लिए विश्वास निर्माण करने वाले अभ्यास के रूप में काम करेगा और बदले में ऐसी अधिसूचनाओं के अनुपालन को बढ़ाने में योगदान देगा।

<u>आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र</u>

7. समिति नोट करती है कि इसमें कई कमियां हैं अर्थात एडीडी वसूल करने के लिए प्रणाली आधारित निर्धारणों में कमी ; एडीडी अधिसूचना की वैधता समाप्त होने के बाद भी एडीडी की वसूली; एडीडी अधिसूचनाओं

की शर्तों का अनुपालन न करना; उद्गम देश की शर्त के उल्लंघन में एडीडी वसूल न करना; उत्पाद विशिष्ट शर्तों के उल्लंघन के कारण एडीडी वसूल नहीं करना; एडीडी की गलत गणना; अनंतिम मूल्यांकन का गलत सहारा लेना; आदि। समिति का मत है कि प्रभावी प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाओं में से एक 'प्रणाली की उचित निगरानी सुनिश्चित करना है। निगरानी में संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित अभिलेखों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना और सिस्टम के कामकाज पर कड़ी और निरंतर निगरानी रखना और चूक के मामलों में समय पर और प्रभावी कार्रवाई शुरू करना शामिल है। डीओआर में मौजूद निगरानी तंत्र के संबंध में, डीओआर ने बताया कि इसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की ऑडिट प्रक्रियाएं जैसे पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट (पीसीए) और राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), सीमा शुल्क निवारक संगठन ,सीमा शुल्क भवनों की विशेष आसूचना और जांच शाखाएं (एसआईआईबी) आदि जैसी एजेंसियों की भागीदारी शामिल हैं । इसके अलावा, ऐसी आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए मामलों का चयन भी जोखिम-आकलन के आधार पर , यह सुनिश्चित करते हुए किया जाता है कि प्रश्नगत आयात एडीडी सहित सभी शुल्कों के मूल्यांकन और भुगतान सहित सभी कानूनी और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप हुआ था। इसके अलावा, डीओआर ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा किसी भी दुरुपयोग के कारण लागू एडीडी के वसूली नहीं होने /कम वसूली पाए जाने पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत वसूली के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं, जिन पर इस प्रकार की लेखापरीक्षा के लिए समर्पित सीमा शुल्क आयुक्तालयों द्वारा ध्यान दिया जाता है।

राजस्व विभाग (डीओआर) में व्यापक निगरानी तंत्र होने के बावजूद समिति को यह जानकार आश्चर्य हुआ कि वे सीएजी द्वारा बताई गई कमियों का

पता लगाने में विफल रहे। समिति का मत है कि पीसीए को प्रभावी सीमा शुल्क जोखिम प्रबंधन रणनीति के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए जिससे विभाग को नियमों के अनुपालन को मापने और परिणाम के आधार पर भविष्य के नियंत्रण को ठीक करने के लिए प्रत्येक व्यापारी के अनुरूप जोखिम के स्तर का आकलन करना आसान हो सके। तथापि, एडीडी लगाने में चूकों का पता लगाने के लिए पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट की विफलता, जांच हेतु नमूने का पता लगाने के लिए बेहतर मापदंडों की आवश्यकता को इंगित करती है। समिति का मत है कि विभाग को आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत कर खामियों का पता लगाने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का विकल्प चुनना चाहिए। समिति सिफारिश करती है कि डीओआर को दुनिया की बेहतर प्रक्रिया और उसके बाद पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट का अध्ययन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए और आईसीईएस डेटाबेस के निरंतर विश्लेषण के माध्यम से आंतरिक ऑडिट प्रक्रिया के लिए मापदंडों के और आगे परिशोधन के लिए फीडबैक तैयार करना चाहिए। समिति इस रिपोर्ट की प्रस्तुति के छह महीने के भीतर डीओआर द्वारा की गई ठोस कार्रवाई से अवगत होना चाहती है।

<u>एडीडी अधिसूचनाओं की शर्तों का अनुपालन न करना</u>

8. समिति नोट करती है कि एडीडी विशिष्ट वस्तुओं पर लगाया जाता है और यह स्रोत विशिष्ट होता है। एडीडी की अधिसूचना में एडीडी लगाने की शर्तें होती हैं जो मुख्य रूप से मूल देश/निर्यातक देश, निर्माता का नाम, आयातित वस्तु का वर्गीकरण और आयातित माल की प्रकृति हैं। उस आयात पर, जिनमें इन सभी शर्तों को पूरा किया जाता है, जैसा कि अधिसूचनाओं में निर्धारित किया गया है, एडीडी लगाया जा सकता है। समिति नोट करती है कि 2015-16 से 2017-18 के दौरान 15 कमिश्नरियों के माध्यम से आयात के 1205 मामलों में एडीडी अधिसूचना प्रावधानों के गलत अनुप्रयोग के कारण ₹ 63.60 करोड़ की

राशि का एडीडी नहीं/कम लगाया गया था। शुल्क निर्धारण से बचने वाली वस्तुएं प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पाद, कपड़ा और नायलॉन यार्न, रसायन, धातु और सिरेमिक तथा कांच के बने पदार्थ जैसी उत्पाद श्रेणियों के अंतर्गत आती थीं। डीओआर की ओर से बताया गया कि एडीडी अधिसूचनाओं को लागू करने के लिए सही आवेदन के अनुपालन को संपूर्ण, बहु-आयामी जोखिम प्रबंधन ढांचे या पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो सुविधा और प्रवर्तन के बीच संतुलन को सक्षम बनाता है। इसके अलावा, डीओआर जोखिम प्रबंधन प्रणाली में अत्यधिक उन्नत तकनीकों को अपनाने की दिशा में कदम उठाने का प्रयास कर रहा है जो विभिन्न स्रोतों से प्रोफाइल निर्माण के लिए निरंतर फीडबैक का उपयोग करने पर आधारित है। समिति का सुविचारित मत है कि एडीडी अधिसूचनाओं की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा निगरानी तंत्र में और सुधार की आवश्यकता है। अतः जोखिम प्रबंधन प्रणाली में अत्यधिक उन्नत तकनीकों को अपनाने की दिशा में डीओआर द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए समिति का यह मानना है कि तकनीकी पहलुओं के अलावा, डीओआर के कर्मियों की भूमिका को भी संबोधित करने की आवश्यकता है। समिति का यह भी मानना है कि डीओआर के फील्ड अधिकारियों के अनुभव साझा करने के लिए एक आंतरिक तंत्र तैयार किया जा सकता है। इससे विचार-मंथन हो सकेगा और इससे न केवल आरएमएस में सुधार करने में मदद मिलेगी, बल्कि निर्धारण अधिकारी भी मामले को समय पर और उचित तरीके से हल करने में सक्षम हो सकेंगे।

9. जहां तक एडीडी अधिसूचनाओं की शर्तों का पालन न करने के कारण हुई चूकों के कारण निहित राशि की वसूली का सवाल है, डीओआर ने अब तक ₹ 63.60 करोड़ में से ₹ 5.52 करोड़ की मामूली राशि की ही वसूली की है, जबकि बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जिनपर `विवाद चल रहे` हैं। जवाब में, डीओआर ने समिति को बताया कि डीओआर ने लगभग 500 ऐसे मामलों को

स्वीकार किया है जिनमें ▯ 5.52 करोड़ की वसूली की जा चुकी है और शेष मामलों के लिए सरकारी राजस्व को सुरक्षा प्रदान करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। शेष लगभग 700 मामलों में डीओआर आपत्ति का विरोध कर रहा है। समिति चाहती है कि वसूली तंत्र को संशोधित करने की दिशा में प्रयास भी किए जाएं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभी तक ▯ 58.08 करोड़ की एक बड़ी राशि की वसूली की जानी बाकी है, समिति यह भी चाहती है कि शेष राशि को उचित तत्परता से वसूल करने के लिए डीओआर द्वारा उठाए गए ठोस कदमों से उन्हें अवगत कराया जाए। डीओआर को आगे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मामलों को कम किया जाए और न्यूनतम रखा जाए।

<u>मूल देश की शर्तों के उल्लंघन में एडीडी का न लगाया जाना</u>

10. पाटनरोधी शुल्क का उद्ग्रहण निर्यातक विशिष्ट और देश विशिष्ट दोनों है। यह उन देशों से आयात पर लागू होता है जिनके संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश पर सीमा शुल्क द्वारा शुल्क अधिसूचित किया गया है। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में उन देशों से आयातों पर एडीडी के उदग्रहण न किए जाने या कम किए जाने के कई उदाहरणों का खुलासा हुआ था जिनके संबंध में पीआर चीन, चीनी ताइपे, फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम से मशीनरी और यांत्रिक उपकरणों, चीन, ताइवान, मलेशिया, थाईलैंड, कोरिया आरपी और इंडोनेशिया से कपड़े, फैब्रिक्स और यार्न, चीन से धातु और धातु की सामग्रियों, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, मलेशिया से यूरोपीय यूनियन मेजरिंग टेपों (स्टील टेप) से रसायन और रासायनिक उत्पाद जैसे उत्पादों के आयात पर एडीडी लगाया जा सकता था। लेखापरीक्षा टिप्पणियों को भी 2017 में सीबीआईसी की नोटिस में लाया गया था। जांच के दौरान, समिति ने नोट किया कि इस विषय पर लेखापरीक्षा में जताई गई आपत्तियों में से अधिकांश आपत्तियों पर सहमति जताते हुए डीओआर ने लागू एंटी-डंपिंग शुल्क की वसूली पहले ही कर ली है और कई मामलों में यह वसूली दंड के साथ की है या उन्होंने लंबित देय राशि

की वसूली के प्रयास शुरू किए गए, जबकि कुछ मामलों में, वे अभी भी संबंधित आयातकों को परामर्श पत्र जारी करने या दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया में हैं। यह भी देखा गया कि चेन्नई सागर कमिश्नरी के माध्यम से पीआर चीन, कोरिया आरपी और इंडोनेशिया से आयातित नाइलॉन फिलामेंट यार्न की खेप को अध्याय शीर्षक 54 के'तहत सही ढंग से वर्गीकृत किया गया था और इन्हें लागू एडीडी लगाए बिना मंजूरी दे दी गई थी। इसी तरह, चेन्नई सागर कमिश्नरी में, चीन से आयातित शहतूत रॉ सिल्क ग्रेड 3 की 5 खेपों को 13.67 लाख के लागू एडीडी लगाए बिना मंजूरी दे दी गई थी, हालांकि उसी बंदरगाह के माध्यम से होने वाले समान आयात पर एडीडी लगाया गया। समिति यह पाती है कि 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, संबंधित कमिश्नरियां अभी भी परामर्शी पत्र जारी करने की प्रक्रिया में हैं। समिति यह महसूस करती है कि डीओआर को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए थी और प्रत्येक कमिश्नरी के संबंध में मामला-दर-मामला आधार पर मामलों के निपटान की सूक्ष्म निगरानी करनी चाहिए थी। समिति ने पाया कि विभाग द्वारा इस मुद्दे की तब तक उपेक्षा की गई है जब तक कि लेखापरीक्षा ने कमिश्नरियों के कामकाज की समीक्षा नहीं की और लोक लेखा समिति ने इस विषय को विस्तृत जांच के लिए नहीं लिया। समिति सिफारिश करती है कि डीओआर को मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कमिश्नरी को मामले में तेजी से कार्रवाई करने का निदेश देना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और इस संबंध में किसी भी प्रकार के विलंब को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और संबद्ध कमिश्नरियों के संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

<u>अनंतिम मूल्यांकन का गलत उपयोग</u>

11. सीमा शुल्क नियमावली के अध्याय 7 के अनुसार, वित्त अधिनियम, 2011 ने स्व-मूल्यांकन की शुरुआत की जिसके तहत आयातकों और निर्यातकों

को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 17 के अनुसार शुल्क का स्व-मूल्यांकन करना अनिवार्य है। यह स्व-मूल्यांकन सीमा शुल्क के संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापन के अध्यधीन है और गलत पाए जाने पर इसका पुनर्मूल्यांकन हो सकता है। हालांकि, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 17(1) के अनुसार, यदि कोई आयातक या निर्यातक स्व-मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं है, तो वह मूल्यांकन के लिए लिखित में अनुरोध कर सकता है। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18 के अनुसार, यदि सीमा शुल्क अधिकारी स्व-मूल्यांकन को सत्यापित करने या शुल्क का पुनर्मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं है या वह किसी भी आयातित या निर्यात माल का रासायनिक या अन्य परीक्षण करना आवश्यक समझता है या जहां आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं या जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है और आगे की जांच करना आवश्यक है तो वह निदेश दे सकता है कि ऐसे सामानों पर लगाए जाने वाले शुल्क का अनंतिम रूप से मूल्यांकन किया जाए। सीमा शुल्क नियमावली के उपर्युक्त अध्याय के पैरा 3.1 के अनुसार, अनंतिम निर्धारणों को शीघ्रता से छह महीने के भीतर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 के परंतुक के तहत, आयातित माल के शुल्क की दर और टैरिफ मूल्यांकन के निर्धारण की तारीख पोत की आवक प्रविष्टि तारीख है, भले ही प्रविष्टि पत्र प्रविष्टि की तारीख से पहले दायर किया गया हो। समिति नोट करती है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 में इन स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद कि पोत की प्रविष्टि तारीख (यानी 5 जुलाई 2016) को बीई की प्रस्तुति की तारीख माना जाए, चीन से आयातित शुद्ध टेरेफ्थेलिक एसिड की दो खेपों का 97.60 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की निर्धारित दर पर लागू एडीडी लगाए बिना अनंतिम रूप से मूल्यांकन किया गया। चूंकि पोत की आवक प्रविष्टि तिथि 5 जुलाई 2016 थी और अधिसूचना संख्या 28/2016, 5 जुलाई 2016 से जारी की गई थी, इसलिए एडीडी लगाया

जाना आवश्यक था। इसके परिणामस्वरूप अनंतिम निर्धारणों में □1.34 करोड़ का एडीडी नहीं लगाया गया। इसके अलावा, अक्तूबर 2018 तक छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अनंतिम मूल्यांकन नहीं किया गया था। इसी तरह, सीटीएच 3904 के तहत वर्गीकृत विनायल क्लोराइड मोनोमर (सस्पेंशन ग्रेड) के आयात, जिस पर किं निर्धारित दर पर एडीडी लगाई जानी है, के मामले में यदि इसके उद्भव और निर्यात का देश इंडोनेशिया है, तो "पीवीसी रेजिन ग्रेड एफजे -65 आर" की मैसर्स कृति इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड द्वारा जेएनसीएच (बीई संख्या 6571736 और 6622177, दिनांक क्रमशः 1 और 6 सितंबर 2016) के माध्यम से आयातित दो खेपों (सितंबर, 2016) जिनका अनंतिम रूप से मूल्यांकन किया गया था, की परीक्षण रिपोर्ट लंबित हैं और इन्हें □ 48.15 लाख का एडीडी लगाए बिना मंजूरी दे दी गई थी। इन मूल्यांकनों को 6 माह से अधिक की अवधि समाप्त होने के बावजूद अंतिम रूप नहीं दिया गया। बाद के मामले के संबंध में, डीओआर ने अपने उत्तर में कहा कि पार्टी ने □ 81,67,786/ की राशि के लिए ब्याज सहित एडीडी का भुगतान किया है, जबकि पूर्व मामले में, समिति नोट करती है कि कमिश्नरी लेखापरीक्षा आपत्ति से सहमत है और वसूली प्रक्रिया के भाग के रूप में 05.09.2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें □ 3,03,87,5271 की मांग की गई थी। हालांकि, उक्त एससीएन को सीमा शुल्क आयुक्त, एनएस-आई द्वारा अधिनिर्णीत किया गया था, जिन्होंने ओ-इन-ओ सं. 07/2019-20/कमि./एनएस-1/जेएनसीएच दिनांक 26.04.2019 के तहत मांग को छोड़ दिया था। यह जानकारी मिली है कि विभाग ने सीईएसटीएटी में अपील दायर की है। समिति चाहती है कि छह महीने की निर्धारित अवधि के भीतर अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप न देने के कारणों का पता लगाया जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय की जाए। डीओआर को अनंतिम मूल्यांकन के मामलों पर भी अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए और उन मामलों

को चिह्नित करना चाहिए जिनमें देरी हुई है ताकि उन्हें उजागर किया जा सके और उन पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। समिति उपरोक्त मामलों के निपटान और वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयासों से भी अवगत होना चाहेगी।

<u>डीओसी और डीओआर के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता</u>

12. भारत में एंटी-डंपिंग उपायों को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) द्वारा शासित किया जाता है। डीजीटीआर एंटी डंपिंग शुल्क संबंधी जांच करता है और सरकार को एंटी डंपिंग उपाय लागू करने के लिए सिफारिशें करता है।

ऐसा शुल्क अंततः वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना द्वारा अधिरोपित किया/लगाया जाता है। तथापि, समिति नोट करती है कि राजस्व विभाग द्वारा एडीडी लगाने पर निर्णय लेने से पूर्व डीजीटीआर के साथ परामर्श करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। इस संबंध में, राजस्व विभाग ने बताया कि डीओआर, डीजीटीआर द्वारा एंटी-डंपिंग शुल्क पर जारी किए गए निष्कर्षों की जांच करता है जो स्वतः पूर्ण हैं और जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग से प्राप्त आंकड़ों द्वारा विधिवत समर्थित हैं। यदि और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, या किसी भी विसंगति या रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि होने पर, इस मामले में निर्णय लेने से पूर्व डीओआर द्वारा डीजीटीआर से निष्कर्षों से संबंधित इनपुट / स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था पर प्रस्तावित उपाय के समग्र प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रासंगिक समझे जाने वाले अन्य पणधारकों, मंत्रालयों और अन्य संस्थाओं के आदानों पर भी विचार किया जाता है। इसके अलावा, यदि डीजीटीआर द्वारा एडीडी लगाने की सिफारिशें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार की जाती हैं, तो इस आशय की एक अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। यदि डीजीटीआर की एडीडी लगाने की सिफारिशों को

स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इसकी सूचना डीजीटीआर को भेजी जाती है। डीजीटीआर द्वारा की गई सिफारिशों पर डीओआर की प्रतिक्रिया के संबंध में, साक्ष्य के दौरान, यह बताया गया था कि पिछले कुछ वर्षों में, डीजीटीआर द्वारा की गई सिफारिशों में से डीओआर द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है - जो पहले के वर्षों में लगभग 100 प्रतिशत की सीमा तक थी जो हाल के दिनों में लगभग 60 प्रतिशत थी। डीजीटीआर ने स्वीकार किया कि जबकि वे केवल तथ्यों और आंकड़ों पर ध्यान देते हैं, डीओआर, डीजीटीआर की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखता है। इस तथ्य से कि वर्तमान प्रणाली में, सिफारिशों को अस्वीकार करने के कारणों को डीजीटीआर को सूचित नहीं किया गया है और डीओआर द्वारा स्वीकार किए गए डीजीटीआर की सिफारिशों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है, समिति यह मानती है कि दो विभागों के बीच संवादहीनता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि एक तंत्र तैयार करके वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा की जानी चाहिए जिसमें डीजीटीआर को उनकी सिफारिशों को अस्वीकार करने या अधिसूचनाओं के अनुप्रयोग पर विचारों के अंतर के कारणों को सूचित किया जाए। इससे न केवल डीजीटीआर को डीओआर से प्राप्त फीडबैक के अनुरूप जांच करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने में मदद मिलेगी, बल्कि डीजीटीआर और डीओआर के बीच समन्वय को भी बढ़ाएगा और उत्पाद विशिष्ट स्थितियों के संबंध में किसी भी भ्रम और गलत व्याख्या की आशंका को दूर करेगा। समिति महसूस करती है कि इस तरह के उपाय से डीजीटीआर के प्रयासों का लाभकारी उपयोग भी होगा।

13. समिति यह भी नोट करती है कि ऐसे उदाहरण हैं जैसे हेसियन कपड़े के मामले में, जो जूट सेकिंग फैब्रिक है, जहां डीओआर द्वारा एडीडी नहीं लगाया गया था, क्योंकि इसे जूट उत्पाद नहीं माना जाता था। तथापि, साक्ष्य के दौरान

डीजीटीआर के प्रतिनिधियों ने कहा कि इसमें कार्यान्वयन स्तर पर उत्पाद की पहचान का मुद्दा शामिल है और यह कि संबंधित अधिसूचना में हेसियन कपड़े भी शामिल हैं। समिति का मत है कि ऐसे मामलों में भी शामिल एजेंसियों के बीच उचित संप्रेषण की आवश्यकता है ताकि जारी अधिसूचनाओं की सही व्याख्या सुनिश्चित की जा सके।

<u>डीजीटीआर द्वारा जांच में लगने वाले समय में कमी की आवश्यकता</u>

14. डंपिंग रोधी उपायों को लागू करने के साथ-साथ घरेलू उद्योग को सुरक्षा उपाय प्रदान करने की दृष्टि से उनकी जांच को पूरा करने में लगने वाले औसत समय को कम करने के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में, समिति को डीजीटीआर द्वारा एक जांच पूरी करने और जारी करने में लगने वाले समय से अवगत कराया गया है। पिछले वर्षों में 400 दिनों से अधिक की तुलना में वर्ष 2019-20 में अंतिम निष्कर्षों को घटाकर 230 दिन कर दिया गया है। समिति इस तथ्य पर ध्यान देती है कि डंपिंग रोधी जांच करने और डीजीटीआर द्वारा डंपिंग रोधी उपायों को लागू करने के लिए सरकार को सिफारिश करने और उसके बाद राजस्व विभाग द्वारा एक अधिसूचना द्वारा शुल्क लगाने की पूरी प्रक्रिया में समय लगता है और यह हो सकता है कि कभी-कभी यह एक निरर्थक कवायद हो जाती है, क्योंकि जब तक डीओआर द्वारा शुल्क लगाने के लिए अधिसूचना जारी की जाती है, तब तक घरेलू उद्योग को पहले ही नुकसान हो चुका होता है। समिति महसूस करती है कि व्यापार उपचारात्मक कार्रवाइयों के त्वरित और समय पर कार्यान्वयन की घरेलू उद्योग के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि डीजीटीआर जांच पूरा करने के लिए दिनों की संख्या में और कमी करने के लिए ईमानदार प्रयास करे ताकि घरेलू उद्योग को जब भी इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो, क्षति से बचाया जा सके। समिति, इस संबंध में डीजीटीआर द्वारा किए गए ठोस प्रयासों से अवगत होना चाहती।

डीजीटीआर की जवाबदेही

15. समिति को बताया गया है कि डीजीटीआर का मिशन व्यापक एंटी-डंपिंग, एंटी –सब्सिडी और परिवंचना विरोधी जांच और सुरक्षा उपायों जैसे प्रभावी व्यापार उपचारात्मक उपायों का उपयोग क़र किसी भी निर्यातक देश से अनुचित व्यापार प्रथाओं, जैसे डंपिंग, कार्रवाई योग्य सब्सिडी, धोखाधड़ी आदि के प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध घरेलू उद्योग को एक समान मंच प्रदान करना है। समिति को विश्वास है कि चूंकि डीजीटीआर भारत में व्यापक और तेज व्यापार रक्षा तंत्र प्रदान करने के लिए एक एकीकृत एजेंसी है, इसलिए उन्हें सीएजी की रिपोर्ट के साथ-साथ अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों की रिपोर्ट से खुद को अवगत रखना चाहिए जो उनके क्षेत्र से संबंधित हैं। समिति ने मौखिक साक्ष्य में बताए गए तथ्यों से नोट करती है कि डीजीटीआर, लेखापरीक्षा रिपोर्ट के सार्वजनिक डोमेन में होने के बावजूद एडीडी के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से अवगत नहीं था। समिति यह नोट कर निराश है कि डीजीटीआर ने पीएसी द्वारा साक्ष्य के लिए बुलाए जाने तक स्वयं को लेखापरीक्षा सिफारिशों से अवगत नहीं रखा था। समिति महसूस करती है कि चूंकि डीओआर द्वारा एडीडी लगाया जाना डीजीटीआर की सिफारिशों पर आधारित है, और इसकी लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई है, डीजीटीआर स्वयं को केवल एक सिफारिश करने वाले प्राधिकारी के रूप में मानने की दलील नहीं दे सकता है। समिति चाहती है कि सभी संबंधित एजेंसियां अपनी रिपोर्ट में लेखापरीक्षा या किसी अन्य विशेष एजेंसी द्वारा की गई टिप्पणियों से खुद को अवगत रखें और लेखापरीक्षा टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रयास करें।

एमएसएमई के लिए डीजीटीआर द्वारा स्व-प्रेरित पहल

16. डीजीटीआर द्वारा समिति को बताया गया है कि प्रमुख उत्पाद श्रेणियां जो आम तौर पर एडीडी के अंतर्गत आती हैं, वे हैं (एक) रासायनिक और संबद्ध

उद्योगों के उत्पाद; (दो) आधार धातु और सामग्री; (तीन) पत्थर, प्लास्टर, सिरेमिक उत्पाद; कांच की सामग्री; (चार) कपड़ा और सामग्री; और (पांच) मशीनरी और विद्युत उपकरण। इसके अलावा, उद्योग को हुई क्षति को दर्शाने वाली एक जांच शुरू करने के लिए, डीजीटीआर को प्रासंगिक डेटा के साथ घरेलू उद्योगों के कम से कम 25% प्रतिनिधियों द्वारा दायर अभ्यावेदन की आवश्यकता है। समिति महसूस करती है कि डंपिंग से प्रभावित कुछ उद्योग विशेषकर एमएसएमई प्रारंभिक अवस्था में होने के कारण उन्हें हुई क्षति को उजागर करने के लिए उचित संसाधनों की कमी के कारण डीजीटीआर तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। समिति यह भी नोट करती है कि डंपिंग रोधी नियमावली के नियम 5(4) में निर्दिष्ट प्राधिकारी अर्थात डीजीटीआर द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत या किसी अन्य स्रोत से नियुक्त सीमा शुल्क कलेक्टर से प्राप्त सूचना के आधार पर डंपिंग रोधी कार्यवाही शुरू करने का प्रावधान है। ऐसी परिस्थितियों में, प्राधिकारी इस संबंध में दायर की गई किसी शिकायत/याचिका के बिना स्वयं ही पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं, बशर्ते कि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि डंप किए गए आयातों और कथित नुकसान के बीच डंपिंग, नुकसान और कैजुअल लिंक के पर्याप्त सबूत विद्यमान हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जांच शुरू करने के बाद, ऐसी जांच उसी प्रक्रिया का पालन करती है जो एक याचिका पर आधारित होती है जैसा कि डंपिंग रोधी नियमों में उल्लिखित है। तथापि, इस संबंध में डीजीटीआर ने मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया कि स्वप्रेरणा से जांच का प्रावधान मौजूद है, लेकिन इस तरह से उठाए गए मामले बहुत कम हैं। डीजीटीआर ने यह भी उल्लेख किया है कि स्वप्रेरणा से जांच शुरू करते समय, घरेलू उद्योग से आंकड़ों की कमी उनके लिए घरेलू उद्योग को डंपिंग और नुकसान के बीच कैजुअल लिंक साबित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। समिति महसूस करती है कि ऐसे उद्योग आवश्यक डेटा एकत्र करने में सक्षम नहीं हैं जो डंपिंग के प्रभाव को दर्शाता है, विशेष रूप

से कोविड -19 महामारी के बीच में जब अधिकांश एमएसएमई संसाधन की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे एमएसएमई को सुरक्षा उपाय प्रदान करने की दृष्टि से, समिति सिफारिश करती है कि डीजीटीआर को एमएसएमई के लिए अपनी शिकायतों को दर्ज करने के लिए आसान मंच बनाना चाहिए। डीजीटीआर, एक विशेष निकाय होने के नाते एमएसएमई के लिए अपने आवेदनों को मानदंडों के साथ निर्धारित प्रारूप में उक्त मंच पर जमा करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करे जो ऐसे उद्यम माप सकें ताकि डीजीटीआर प्रासंगिक डेटा प्राप्त कर सके और जांच स्वत: आयोजित की जा सके।

17. समिति नोट करती है कि सीबीआईसी द्वारा अधिसूचना लागू करने की तिथि से अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के भीतर एडीडी को निरस्त, प्रतिस्थापित या संशोधित किया जाता है और पांच वर्ष समाप्त होने पर, डीजीटीआर द्वारा एक निष्कर्षनात्मक समीक्षा का प्रावधान है। समिति को बताया गया था कि समीक्षा के दौरान सभी इच्छुक पक्षों, घरेलू उद्योग और आयातकों के फीडबैक को ध्यान में रखा जाता है। तथापि, बेरियम कार्बोनेट के मामले में, जिसका व्यापक रूप से सिरेमिक उद्योग में ग्लेज़ में एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है, और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, डीओआर द्वारा एडीडी को रद्द कर दिया गया था। किसी उत्पाद पर एंटी-डंपिंग शुल्क को हटाने के संबंध में, समिति का मानना है कि उनकी सीमाओं के कारण, लघु उद्योग, मध्यावधि समीक्षा और एडीडी की निष्कर्षनात्मक समीक्षा के समय अपने मामले प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं भी हो सकते हैं, जिसके कारण ऐसे उद्योगों से पर्याप्त प्रतिनिधित्व के बिना एडीडी को हटाया जा सकता है। समिति इस बात पर जोर देती है कि घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए, विशेष रूप से भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन वाले उत्पाद पर एंटी-डंपिंग शुल्क के निरसन के संबंध में निर्णय के लिए, मंच के माध्यम से उद्योग पणधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जैसा कि पिछले पैरा में सुझाव दिया गया है।

<u>प्रभाव आकलन के लिए डीजीटीआर और डीओआर के बीच डेटा साझा करना</u>

18. समिति नोट करती है कि व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) अन्य बातों के साथ-साथ विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992, जिसे वर्ष 2010 में संशोधित किया गया था, और रक्षोपाय उपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियम, 2012 में अंतर्विष्ट सुरक्षा उपायों के लिए विधायी ढांचे के तहत मात्रात्मक प्रतिबंधों की सिफारिश के माध्यम से रक्षोपाय मात्रात्मक प्रतिबंध जांच करता है। इसके अलावा, डीजीटीआर भी इच्छुक पक्षों द्वारा बताए गए तथ्यों का समालोचनात्मक विश्लेषण करता है और उसके बाद केंद्र सरकार को, यदि आवश्यक हो, तो इसे लागू करने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करता है। तथापि, समिति यह पाती है कि चूंकि डीजीटीआर की भूमिका केवल एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश करने तक ही सीमित है और ऐसे शुल्क लगाना और उनका संग्रहण डीओआर के दायरे में आता है, डीजीटीआर के पास शुल्क लगाने के बाद आयात पर किए गए एडीडी संग्रहण की सीमा के बारे में जानकारी नहीं है। समिति महसूस करती है कि इस डेटा अभाव में डीजीटीआर के पास मूल्यवान जानकारी नहीं रहती है जो उन्हें उनकी सिफारिशों के प्रभाव का पता लगाने में मदद कर सकती है और भविष्य की जांच में सुधार के लिए उनका मार्गदर्शन भी कर सकती है। डीजीटीआर को प्रदान किए गए विभिन्न डब्ल्यूटीओ अनुपालन व्यापार उपचारात्मक उपायों की जांच और सिफारिश करने की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के आलोक में, समिति सिफारिश करती है कि डीजीटीआर द्वारा आवश्यक डेटा को उनके साथ साझा किया जाए, ताकि उनकी सिफारिश के आधार पर लगाए गए शुल्कों के प्रभाव का आकलन किया जा सके।

नई दिल्ली;
31 <u>मार्च, 2022</u>
10 चैत्र, 1944 (शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति